डीजी परिपत्र सं0 - 02/26

यक्ष परिपत्र संख्या- 01/2026

अ0शा0 पत्र संख्या- डीजी-सात-एचसी(यक्ष)/2026

राजीव कृष्णा,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस भवन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

दिनांक- जनवरी 9 , 2026

प्राथमिकता – 1
Zero Tolerance against crime and criminals

प्रिय महोदया/ महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि सरकार की प्राथमिकता अपराधमुक्त / भयमुक्त वातावरण बनाते हुये कानून का राज स्थापित करना है। पुलिस का मुख्य कार्य अपराधों की रोकथाम एवं अपराध कारित करने वाले अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने का है। पुलिस की कार्य कुशलता का आंकलन अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध त्वरित प्रभावी कार्यवाही द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान परिदृश्य में त्वरित एवं वास्तविक समय में कार्यवाही हेतु AI Based उन्नतशील डिजिटल तकनीक से पुलिस को और अधिक दक्ष एवं सुदृढ़ करना आवश्यक है।

वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुये कई प्रकार के प्लेटफार्म उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे है, यथा प्रदेश में **Mobile based application त्रिनेत्र 2.O** में Centralized Online Criminal Database उपलब्ध है। **बीट प्रहरी ऐप** के माध्यम से अपराधियों की निगरानी एवं शस्त्रों के सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार कुछ तकनीकी दक्ष अधिकारियों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में Initiative लेते हुये अभिनव प्रयोग किये गये हैं। आगरा जोन में प्रचलित **ऑपरेशन पहचान** एक सफल प्रयोग साबित हुआ है।

वर्तमान समय में मुख्य समस्या यह है कि भिन्न भिन्न Application / Digital Platform के उपयोग के कारण अधीनस्थ कर्मचारियों को व्यवहारिक एवं तकनीकी समस्याओं का सामना एवं एकीकृत सूचना उपलब्ध न होने के कारण अपराध एवं अपराधियों की मॉनिटरिंग एवं सत्यापन आदि की कार्यवाही में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही थाना प्रभारी, हल्का/चौकी प्रभारी, बीट कर्मचारी के पास अपने-अपने क्षेत्र में अपराध करने वाले अपराधियों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण अपराधियों की निगरानी/सत्यापन एवं अज्ञात घटनाओं में सम्भावित अपराधियों की पहचान करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और घटना के अनावरण में विलम्ब होता है।

प्रदेश में अपराध की घटना तथा अपराधियों की गतिविधि को रोकने एवं थाना प्रभारियों, हल्का/चौकी प्रभारियों एवं बीट कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्र में अपराध करने वाले अपराधियों की जानकारी, समय समय पर सत्यापन एवं उन पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से इस मुख्यालय द्वारा एक AI Based Application “YAKSH/यक्ष” विकसित किया गया है।

आप अवगत है कि यक्ष ऐप को दिनांक 27.12.2025 को **"पुलिस मंथन 2025"** के दौरान **माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लान्च** किया गया है।

इस ऐप के परिचालन के सम्बन्ध में **विस्तृत जानकारी एवं प्रशिक्षण – पुलिस मुख्यालय स्तर** से प्रदान किया जा रहा है । अब तक **लगभग 9000 कर्मियों** को ऐप के परिचालन का **प्रशिक्षण** प्रदान किया जा चुका है एवं शेष कर्मियों के प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रचलित है।

ऐप के सफल परिचालन के सम्बन्ध में यह आवश्यक था कि सभी कर्मियों के पास सामान्य भाषा में स्क्रीनशॉट सम्मिलित करते हुये एक **SOP** की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके ताकि उनको कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

उक्त के दृष्टिगत विस्तृत **SOP मुख्यालय स्तर से तैयार कर** इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कर्मियों को इसकी **सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी उपलब्ध कराना सुनिश्चित** करें।

इस ऐप को प्रत्येक स्तर पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर **01 माह में पूर्णरूपेण लागू किया जाना है,** जिसके सम्बन्ध में **कार्ययोजना अलग से प्रेषित की जा रही है**।

यक्ष ऐप अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण तकनीकी पहल है । इसके माध्यम से अपराधियों की जानकारी, समय-समय पर सत्यापन तथा उन पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी । सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए इस अनुप्रयोग के सफल संचालन में सक्रिय भूमिका निभाएँगे । मुख्यालय स्तर पर यक्ष ऐप को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिये **अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध** के पर्यवेक्षण में **यक्ष कण्ट्रोल रूम** की स्थापना की गयी है।

मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके सामूहिक प्रयासों और तकनीक के प्रयोग से प्रदेश में **यक्ष ऐप** के माध्यम से बीट पुलिसिंग को सशक्त करते हुये अपराध पर प्रभावी एवं ठोस नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / जनपद प्रभारी उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर पुलिस महानिदेशक एसटीएफ, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

For UP Police
By the makers of Trinetra

यक्ष

यूजर गाइड

For Desktop & Mobile Application

यक्ष ऐप यूजर गाइड

For Desktop and Mobile Application

1. “YAKSH/यक्ष ऐप का उद्देश्य

- प्रदेश में किसी भी जनपद में जघन्य व सनसनीखेज अपराधों को कारित करने वाले सभी अपराधियों का उनके निवास थाने के आधार पर अभिलेखीकरण व लगातार सत्यापन।
- थानों की बीट व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण व बीट के प्रत्येक कर्मी की “बीट के अपराधी की जिम्मेदारी बीट सिपाही के नाम” के सिद्वान्त पर जबावदेही।
- वास्तविक सक्रिय अपराधियों, माफिया, हिस्ट्रीशीटर, जिला बदर, वाण्टेड, पुरस्कार घोषित की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी एवं रोकथाम।
- टॉप-10 अपराधियों के चयन की पारदर्शी व प्रभावी प्रकिया।
- किसी जघन्य व सनसनीखेज आपराधिक घटना के घटित होने या उसके समाधान करने के लिए उपरोक्त **Database** से तत्काल संभावित अपराधियों का चिन्हांकन एवं उनकी अद्यतन स्थिति तथा उक्त सम्भावित अपराधी की जानकारी रखने वाले पुलिस कर्मी की तत्काल जानकारी।
- सीसीटीएनएस पर दर्ज अभियोग में आरोप पत्र होने के पश्चात अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तों का विवरण स्वतः ऐप में प्रदर्शित होने लगेगा।
- सजायाफ्ता अपराधियों, हिस्ट्रीशीटर की निगरानी ।
- लाइसेन्सी शस्त्रों एवं कारतूसों का सत्यापन ।
- **AI Powered Facial Recognition** के माध्यम से संदिग्ध अपराधियों की पहचान की सुविधा उपलब्ध रहेगी ।
- **“YAKSH/यक्ष”** ऐप में **AI powered Voice Search** की भी व्यवस्था रहेगी जिससे घटना के अनावरण व अपराधों के रोकथाम में मदद मिलेगी ।
- ऐप में अभियुक्तों की श्रेणीवार कलर कोडिंग की व्यवस्था ।
- ऐप में अभियुक्त द्वारा कारित किये गये अपराध की संवेदनशीलता, अपराध करने का समय, अपराध में प्रयुक्त हथियार के अनुसार अभियुक्त के स्कोर निर्धारण की व्यवस्था की गयी है ताकि उनको श्रेणीबद्ध करते हुये निगरानी की जा सकेगी ।
- इस ऐप में यह व्यवस्था भी उलब्ध है कि अभियुक्त के सत्यापन के दौरान यदि अभियुक्त अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाता है तो बीट कर्मचारी द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज करने पर अभियुक्त द्वारा गन्तव्य स्थान के थाना क्षेत्र के सम्बन्धित बीट कर्मचारी को अलर्ट प्राप्त हो जायेगा एवं सम्बन्धित बीट के कर्मचारी को सत्यापन की जिम्मेदारी होगी ।
- इस ऐप में शस्त्रो के सत्यापन तथा अपराधियों के बारे में संकलित की गयी अन्य जानकारियों को बीट कर्मचारी द्वारा ऐप में अंकित करने की व्यवस्था की जायेगी।
- बीट कर्मचारी प्रत्येक अपराधी का सत्यापन उसके रहने के स्थान पर जाकर कर करेगें और आवश्यकतानुसार गॉव / मौहल्ले के व्यक्तियों, परिवार के सदस्यों से वार्ता कर सही-सही जानकारी भर सकेंगे।

- बीट कर्मी द्वारा सत्यापन के दौरान अपराधियों का आंकलन- तथ्यात्मक जानकारी भरने के बाद अन्तिम 02 बिन्दुओं में बीट कर्मी अपराधियों के भविष्य में अपराध कारित करने की सम्भावना के दृष्टिगत ऑकलन कर सकते हैं तथा उसके विरूद्ध की जाने आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की टिप्पणी भी कर सकेंगे।
- बीट कर्मचारी के जानकारी भरने के पश्चात सम्बन्धित थाना प्रभारी उक्त तथ्यात्मक जानकारी, आपराधिक इतिहास, बीट कर्मी के आंकलन इत्यादि के आधार पर अपराधी को दी गयी श्रेणी (वर्तमान सकिय/निष्क्रिय, जेल मे इत्यादि) में परिवर्तन कर सकेंगे।
- अपराधी सत्यापन फॉर्म के कॉलम के अतिरिक्त यदि बीट कर्मचारी अपराधी के सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त महत्वपूर्ण दस्तावेज/फोटो अपलोड करना चाहते है तो उसे दिये गये कैमरा बटन के द्वारा अपलोड कर सकेंगे।
- बीट कर्मियों द्वारा उनके बीट क्षेत्र में हो रहे अपराधिक गतिविधियाँ जैसे- जुआं, अवैध शराब/शस्त्र, मादक द्रव्यों की बिक्री व तस्करी, पशु तस्करी आदि के सम्बन्ध में सूचनायें एवं टिप्पणी ऐप में दर्ज कर सकेंगे ताकि अपराधों पर नियन्त्रण हो सके ।

2.“YAKSH/यक्ष” ऐप कैसे कार्य करेगा?

- “YAKSH/यक्ष” ऐप Android and IOS दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगा, जिसे गूगल प्ले स्टोर/ ऐप स्टोर से समस्त जिला प्रमुख / Addl. SP / CO / थाना प्रभारी / चौकी व हल्का प्रभारी / बीट कर्मी द्वारा अपने सीयूजी/रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नम्बर पर डाउनलोड करने की कार्यवाही की जायेगी ।
- डाउनलोड करने के उपरान्त निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी । यह ऐप हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो भाषाओं में कार्य करेगा, उपयोगकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार भाषा का चयन कर सकता है।
- यक्ष ऐप में साइन करने हेतु अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर डालने के उपरान्त Get OTP पर क्लिक करना होगा । OTP डालने के उपरान्त ऐप खुल जायेगा एवं जिस कार्य के लिये वह मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड होगा उससे सम्बन्धित पेज प्रदर्शित हो जायेगा (यथा- थानाध्यक्ष को उनके द्वारा ऐप से सम्बन्धित किये जाने वाले समस्त कार्य प्रदर्शित हो जायेगा, इसी प्रकार बीट कर्मी की भी उसके कार्य से सम्बन्धित पेज खुल जायेगा) । इनके कार्यों के विवरण को आगे विस्तृत में बताया जा रहा है ।

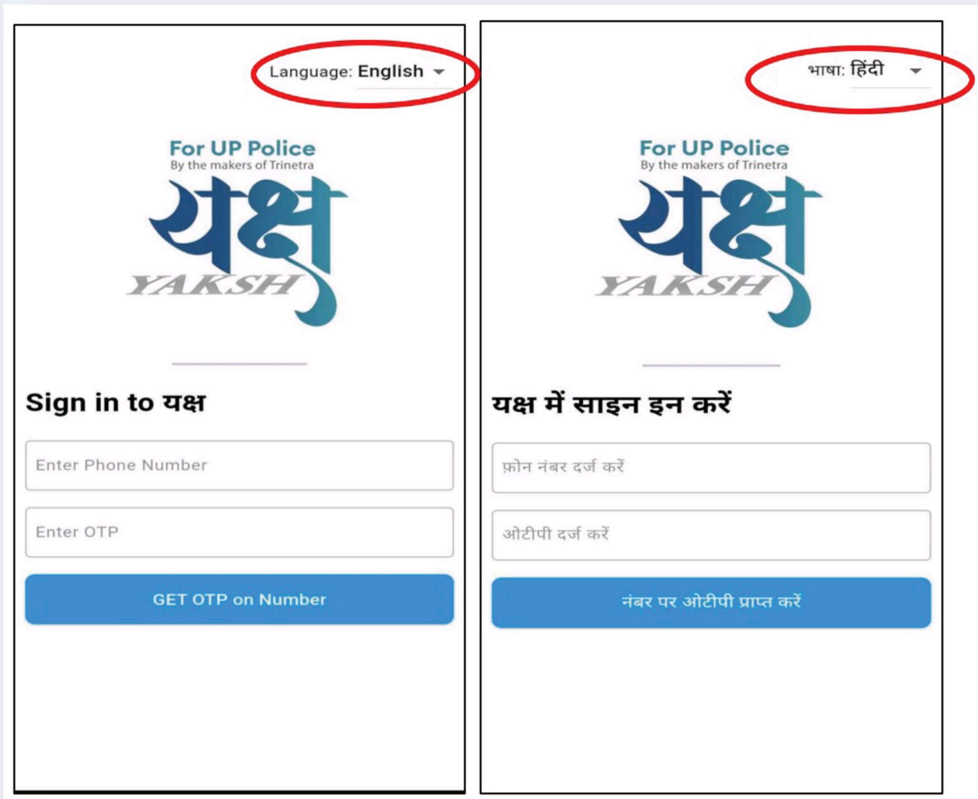

3. “YAKSH/यक्ष” ऐप हेतु विभिन्न स्तरों से अपेक्षायें एवं अपेक्षित कार्यवाही-

3.1 थाना स्तर (वेब पोर्टल पर अपेक्षित कार्यवाही)-

A. लॉगिन और सेटअप

- सर्वप्रथम थाना प्रभारी **yaksh.ai** को कम्प्यूटर पर खोलेगें और अपने थाने के रजिस्टर्ड **CUG No** से **OTP** द्वारा लॉगिन करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगा

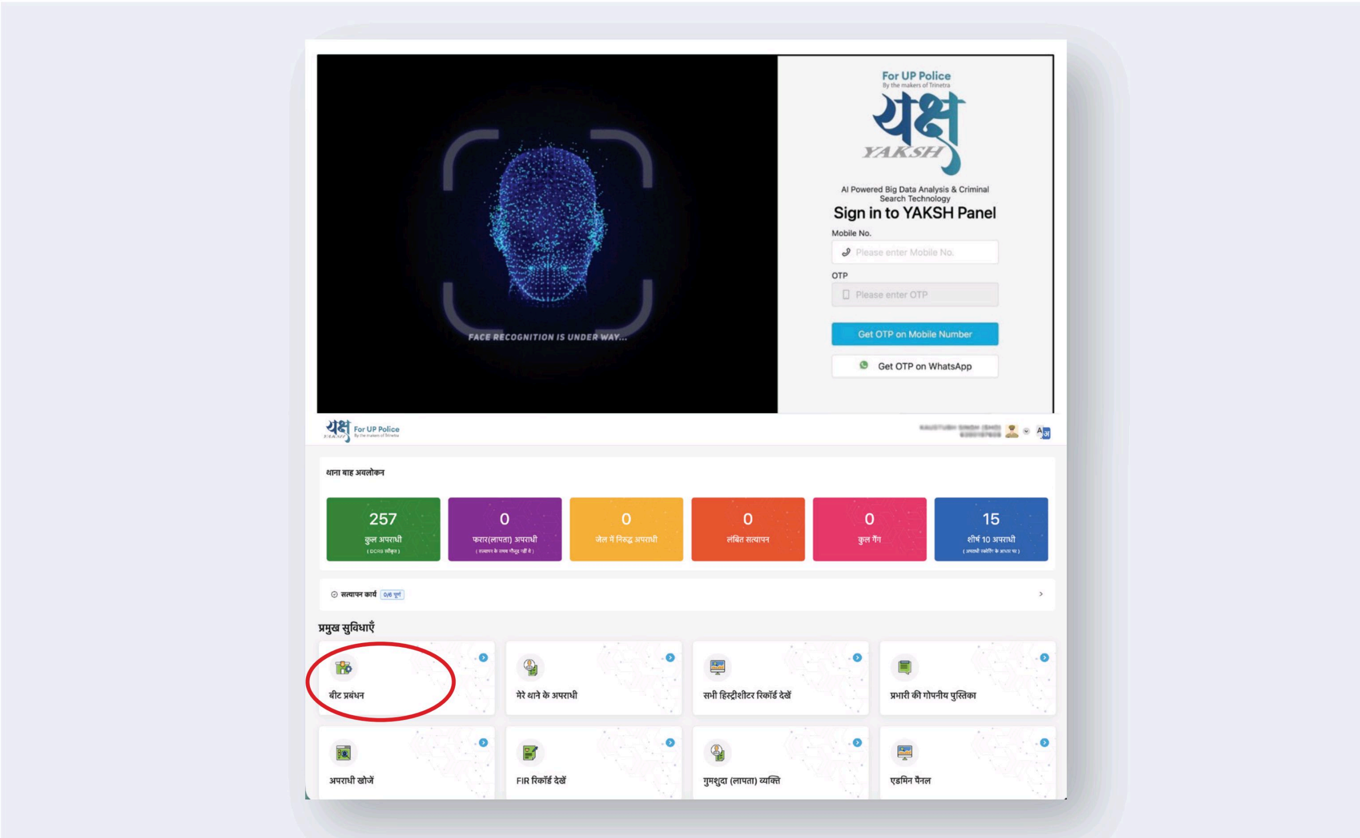

- लॉगिन के बाद होमस्क्रीन में प्रदर्शित बीट प्रबंधन **Icon** पर **Click** करने के उपरान्त निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी । निम्न स्क्रीन में प्रदर्शित **Icons** में फीड किये गये डाटा को अद्यावधिक किये जाने की कार्यवाही थाना प्रभारी एवं थाने पर नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा की जायेगी ।

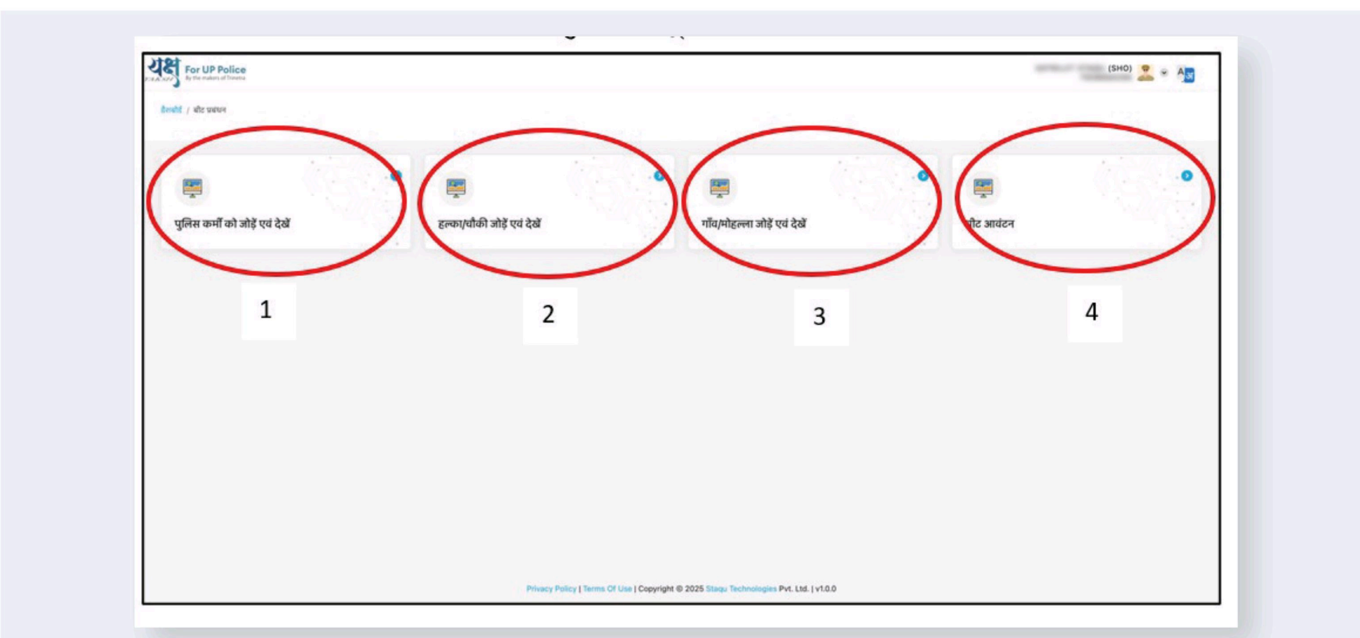

1. स्क्रीन पर प्रदर्शित पुलिस कर्मी को जोड़े एवं देंखे **Icon** पर **Click** करके थाने पर नियुक्त सभी पुलिस कर्मियों के नाम, पदनाम, पीएनओ, मोबाइल नम्बर का सत्यापन कर थाने पर समस्त पुलिस कर्मियों का विवरण अद्यतन करेगा । (थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस कर्मियों का जो मोबाइल नम्बर फीड किया जा रहा है वह सम्बन्धित कर्मी के आधार नम्बर से जारी हो साथ ही **ID** बनने के पश्चात सम्बन्धित के मोबाइल नम्बर पर स्वतः ही सूचना **SMS** के माध्यम से पहुँच जायेगी)
2. स्क्रीन पर प्रदर्शित गांव/मोहल्ला जोड़े एवं देंखे **Icon** पर **Click** करके बीट डेटा और गांवों के नाम सत्यापित कर विवरण अद्यतन करेगा । (थाना प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर का दायित्व होगा कि सभी गांवो और मोहल्लों की **spelling** चैक करे और साथ में यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी गाँव/मोहल्ले का नाम छूट ना गया हो)
3. स्क्रीन पर प्रदर्शित हल्का/चौकी जोड़े एवं देंखे **Icon** पर **Click** करके हल्का/चौकी का नाम एवं हल्का/चौकी प्रभारी के विवरण को सत्यापित करते हुये अद्यतन करेगें ।
4. स्क्रीन पर प्रदर्शित बीट आवंटन **Icon** पर **Click** करके बीट आवंटन को सत्यापित कर अद्यतन करेगें ।

B. नए पुलिस कर्मी को जोड़ना

1.जब कोई नया पुलिस कर्मी थाने में पोस्टिंग पर आता है-

- तो पोर्टल पर उनका नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, **PNO** और जीडी प्रविष्टि का नम्बर एवं दिनांक दर्ज करें ।

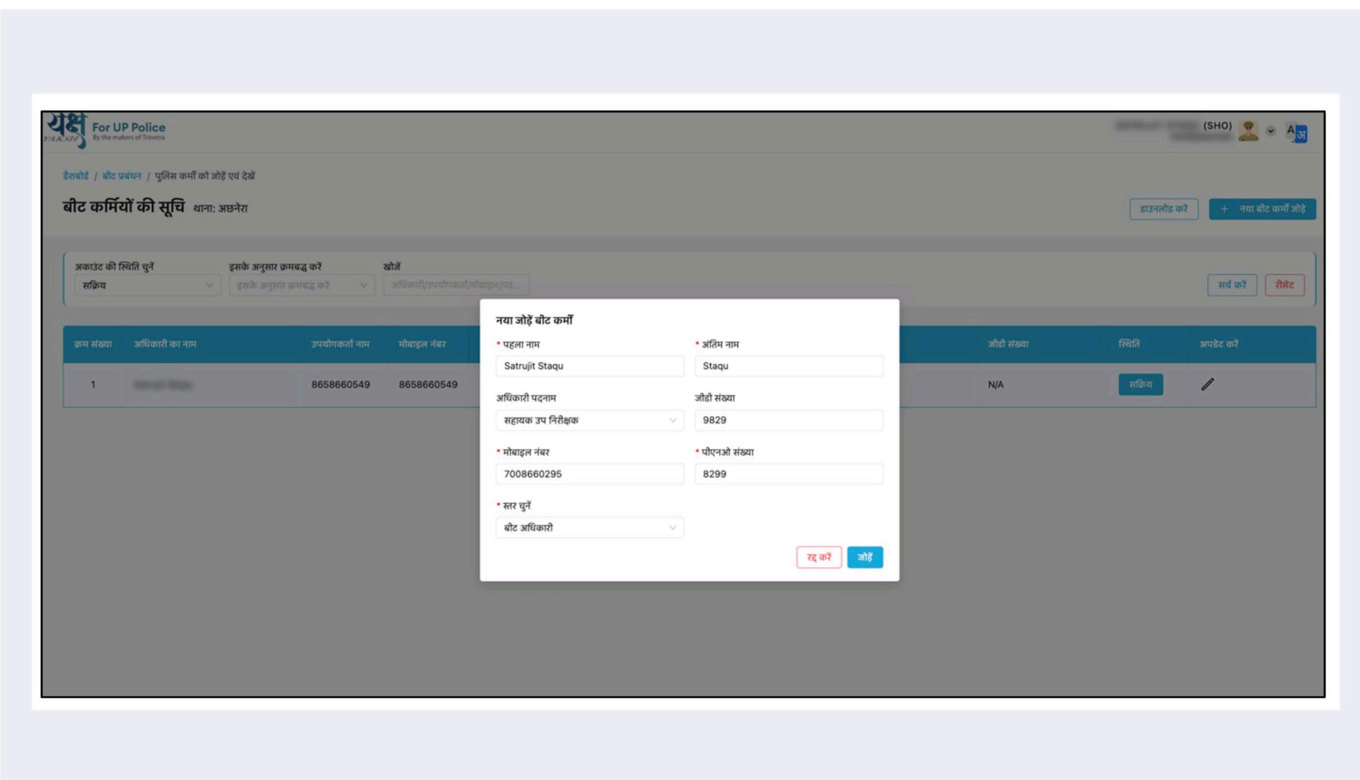

- जिस पुलिस कर्मी की आमद की जानी है अगर वह पहले से किसी थाने की बीट में फीड है तो उसे अपने पुलिस थाने में स्थानांनतरण करने के लिये एक पॉप अप मैसेज प्रदर्शित होगा-

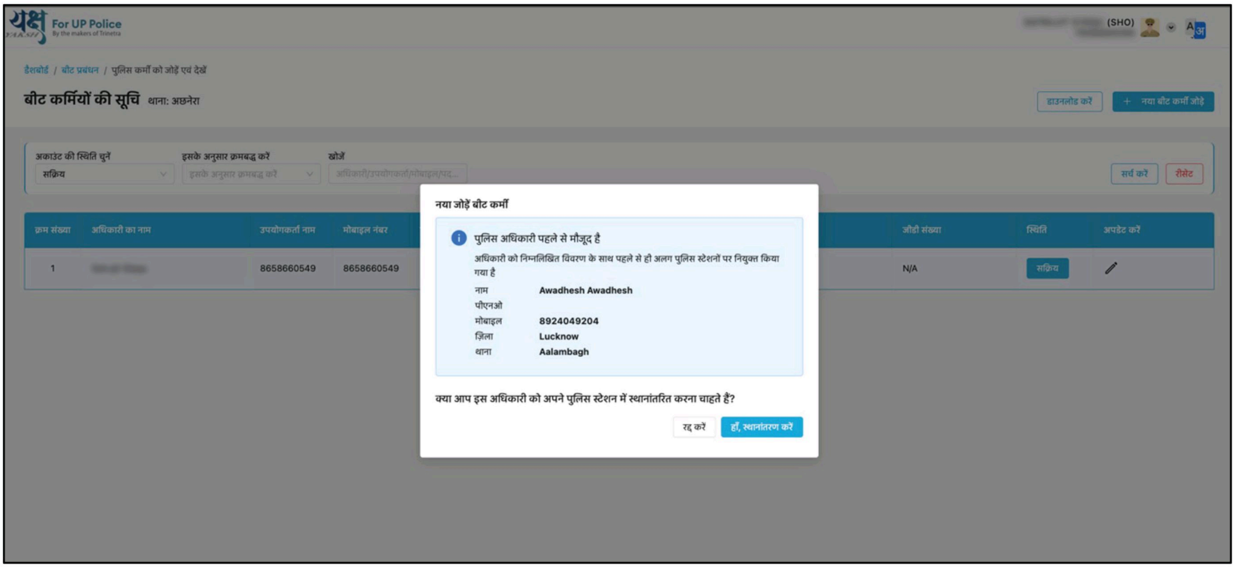

जिस पुलिस कर्मी की आमद की जानी है उस पुलिस कर्मी के मोबाइल नम्बर पर प्राप्त OTP को पोर्टल पर दर्ज किया जाने पर उक्त कर्मी पोर्टल पर ट्रांसफर हो जायेगा ।

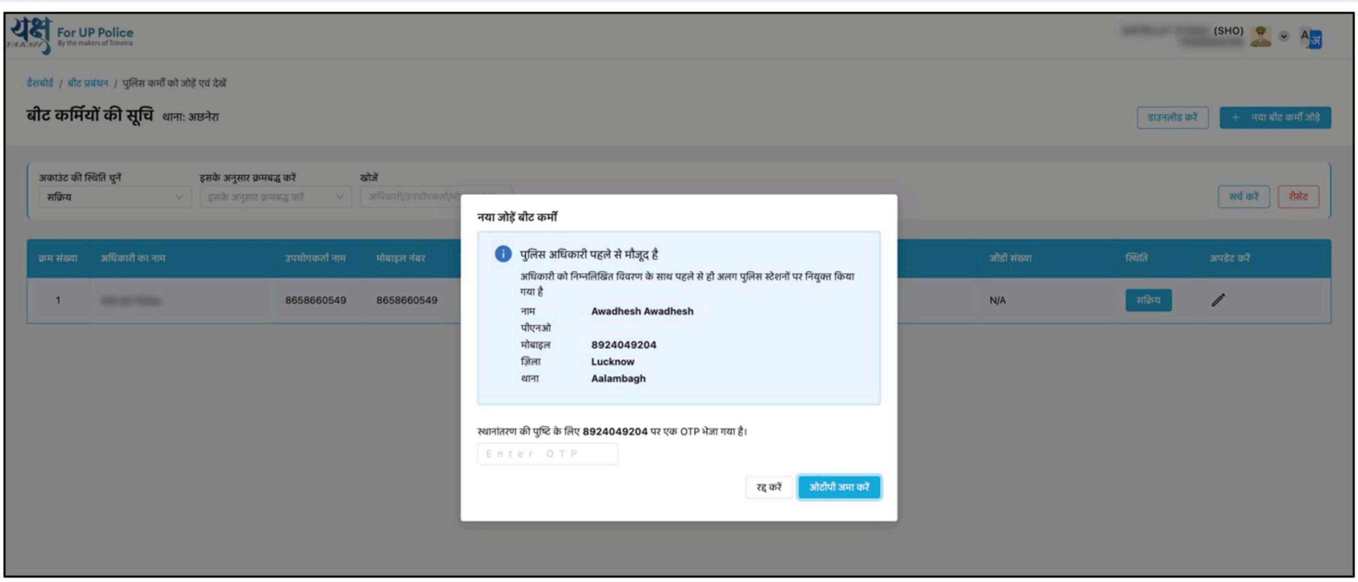

C. हल्का/चौकी जोड़े एवं देंखे-

हल्का/चौकी जोड़े एवं देंखे **Icon** पर **Click** करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें हल्का/चौकी को **edit & delete** करने की सुविधा दी गयी है।

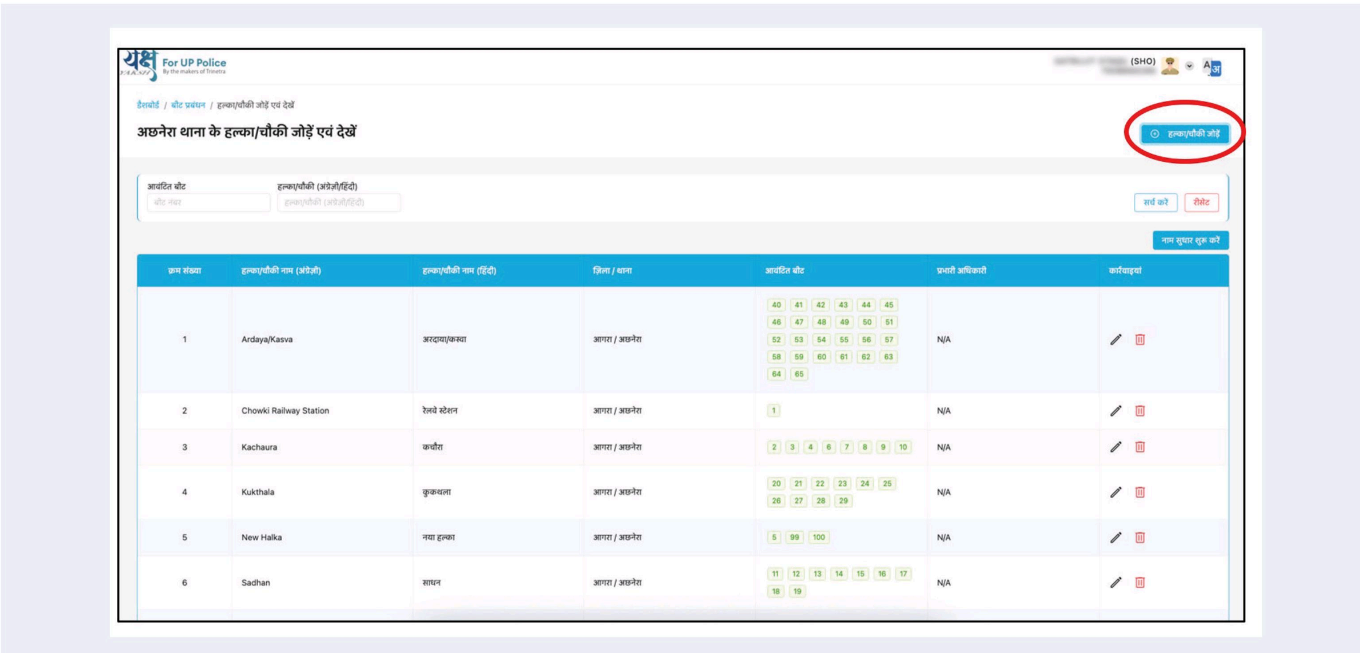

इस स्क्रीन में जनपदों द्वारा उपलब्ध कराये गये हल्का/चौकी के नाम प्रदर्शित है । थाना प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर का दायित्व होगा कि सभी हल्का/चौकी के नाम का स्पेलिंग चैक करे और साथ में यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी हल्का/चौकी का नाम छूट ना गया हो या रिपीट ना हो गया हो । प्रत्येक हल्का/चौकी को सौंपे गए अधिकारियों का सत्यापन करें और यदि किसी हल्का/चौकी में हल्का/चौकी इंचार्ज को नियुक्त नहीं किया गया है, तो उन्हें नियुक्त करें।

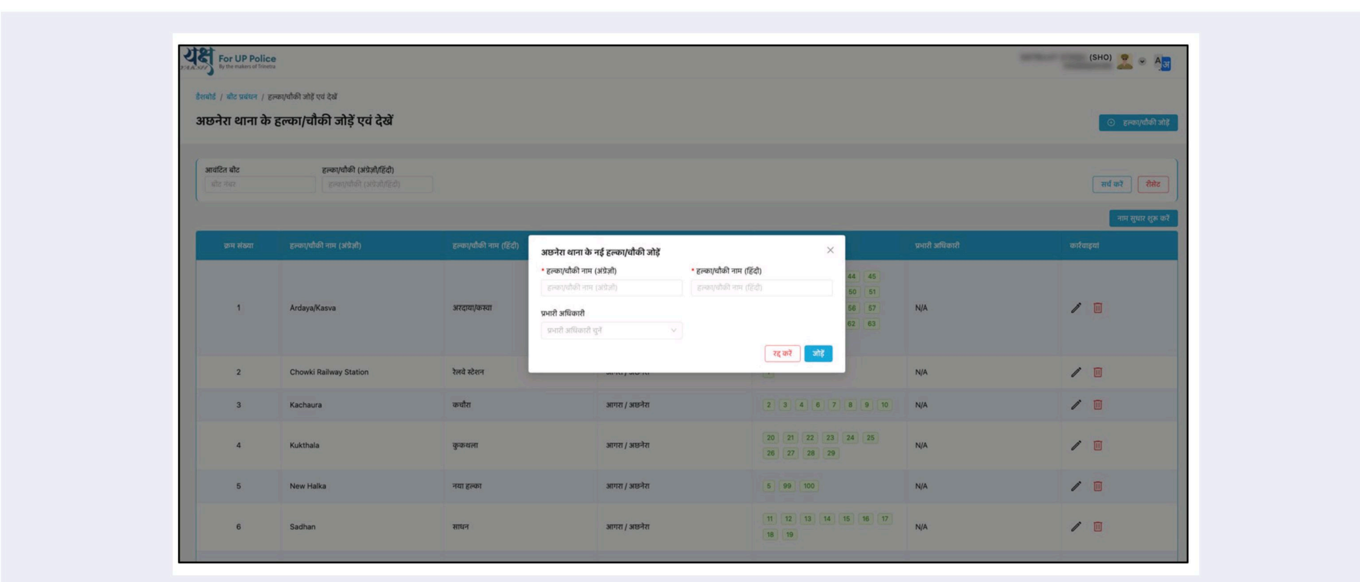

D. गांव/मोहल्ला जोड़ें एवं देखें-

गांव/मोहल्ला जोड़े एवं देंखे **Icon** पर **Click** करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें गांव/ मोहल्ला को **edit & delete** करने की सुविधा दी गयी है।

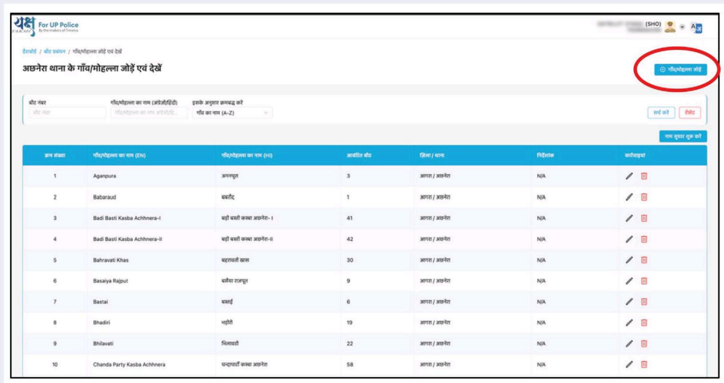

इस स्क्रीन में जनपदों द्वारा उपलब्ध कराये गये गांव एवं मोहल्लों के नाम प्रदर्शित है । थाना प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर का दायित्व होगा कि सभी गांवो और मोहल्लों के नाम का स्पेलिंग चैक करे और साथ में यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी गाँव/मोहल्ले का नाम छूट ना गया हो या पुनरावृत्ति ना हो रही हो ।

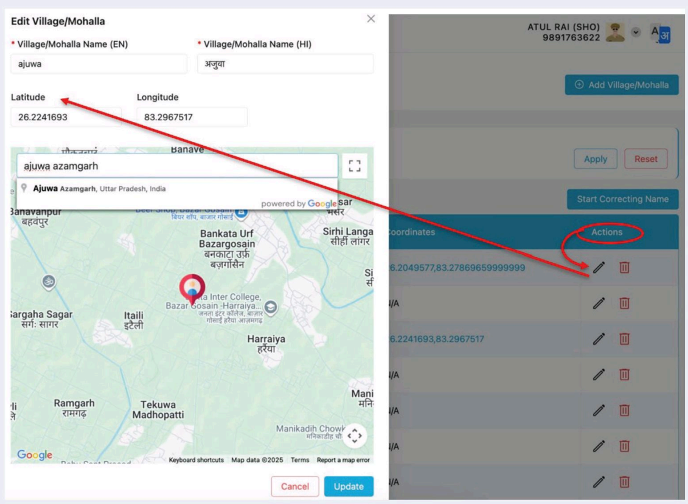

नोट- जनपदों द्वारा उपलब्ध कराये गये बीट आवंटन एक्सेल डाटा में एक सेल में एक से अधिक गाँव/मोहल्ले के नाम अंकित कर उपलब्ध कराये गये हैं जिन्हें पोर्टल पर डाला जा चुका है, जो त्रुटिपूर्ण है। थाना प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वह पोर्टल पर सभी गांवो और मोहल्लों का अलग अलग फीड कराये ।

गांव/मोहल्लों की Geo-fencing करने हेतु कार्यवाही/action option में edit icon पर click करने के पश्चात पेज पर प्रदर्शित गुगल मैप की सहायता से अपना गांव/मोहल्ला चिन्हित करते हुये उसका अक्षांश देशांतर (Latitude – Longitude) अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे ।

E. बीट आवंटन-

बीट आवंटन **Icon** पर **Click** करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें बीट आवंटन को **edit & delete** करने की सुविधा दी गयी है।

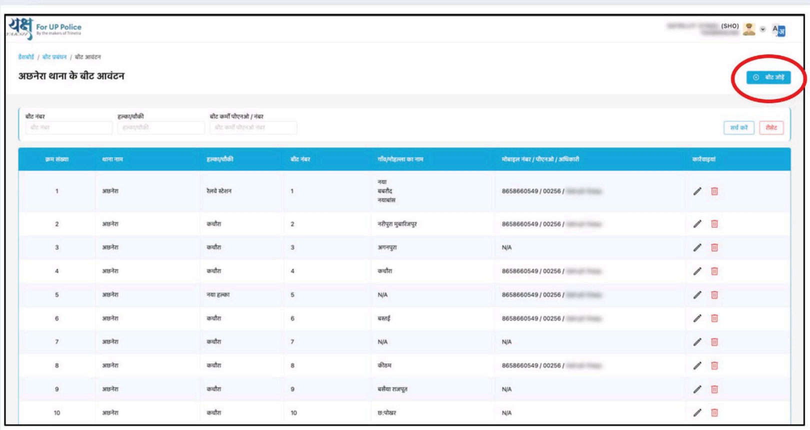

उक्त प्रदर्शित स्क्रीन में बीट जोड़े पर **Click** करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी-

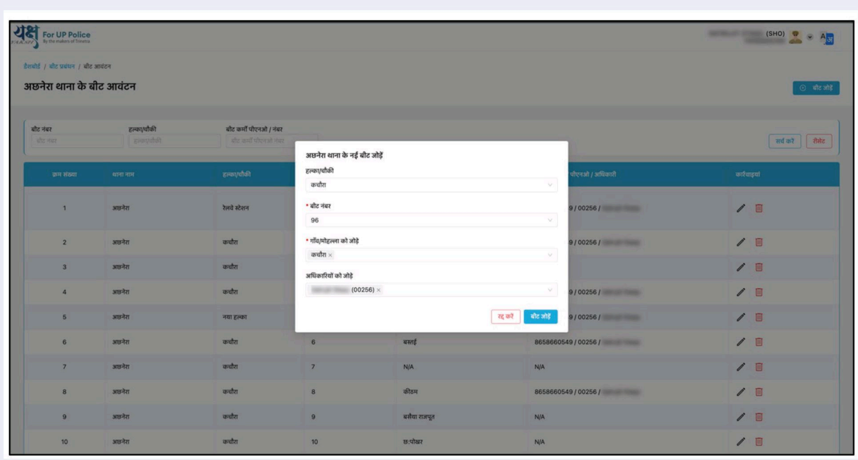

उक्त प्रदर्शित स्क्रीन में हल्का/चौकी, बीट नम्बर, गांव/मोहल्ला एवं पुलिस कर्मी को **select** करके बीट जोड़े पर **Click** करने पर बीट आवंटन हो जायेगा ।

बीट आवटंन होते ही सम्बन्धित पुलिस कर्मी को बीट आवंटन सम्बन्धी सूचना **SMS/WhatsApp** के माध्यम से मिल जायेगी कि आपको बीट आवंटित हो गयी है । इसके उपरान्त सम्बन्धित कर्मी **Play store** या **App store** से **Yaksh App** डाउनलोड करके अपने रजिस्टर्ड नम्बर से लॉगिन करके आवंटित गांव/मोहल्ला के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे । (थाने पर तैनात थाना प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर का दायित्व होगा कि सभी कर्मियों को बीट आवंटन के उपरान्त **Play store** या **App store** से **Yaksh App** डाउनलोड कराना सुनिश्चित करते हुये अग्रिम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे)

F. त्रिनेत्र में पहले जोड़े गए अपराधियों के साथ कोई ग्राम जानकारी संबद्ध नहीं थी। हमने अपराधियों के ग्रामों को उनके प्रोफाइल के साथ मैप कर दिया है, लेकिन त्रुटियां हो सकती हैं। कृपया ग्राम आवंटन को सत्यापित करें और उसे अद्यतन करें।

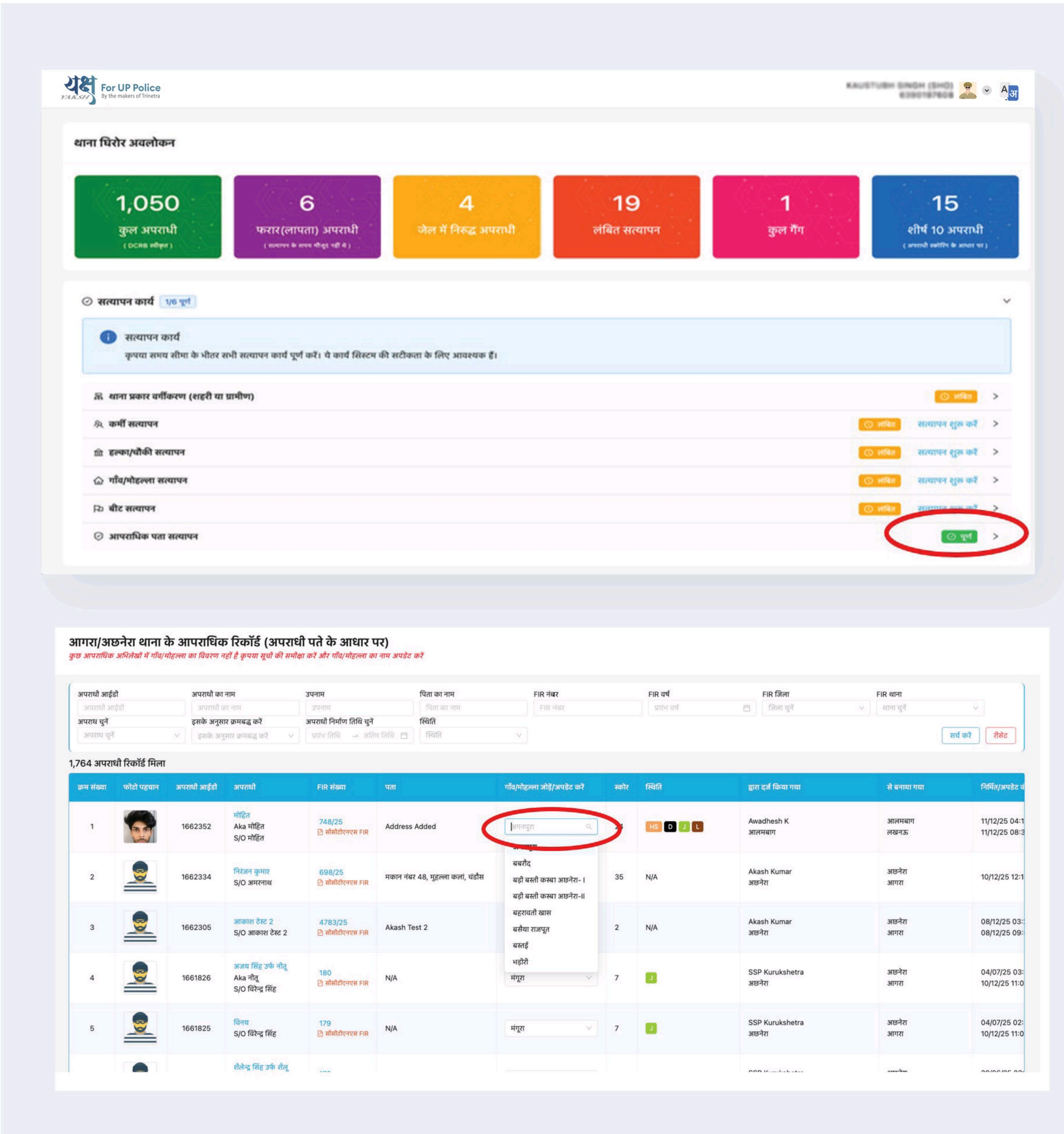

G. थाने की स्थिति के आधार पर अपने थाने को या तो ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के रूप में चिह्नित करें।

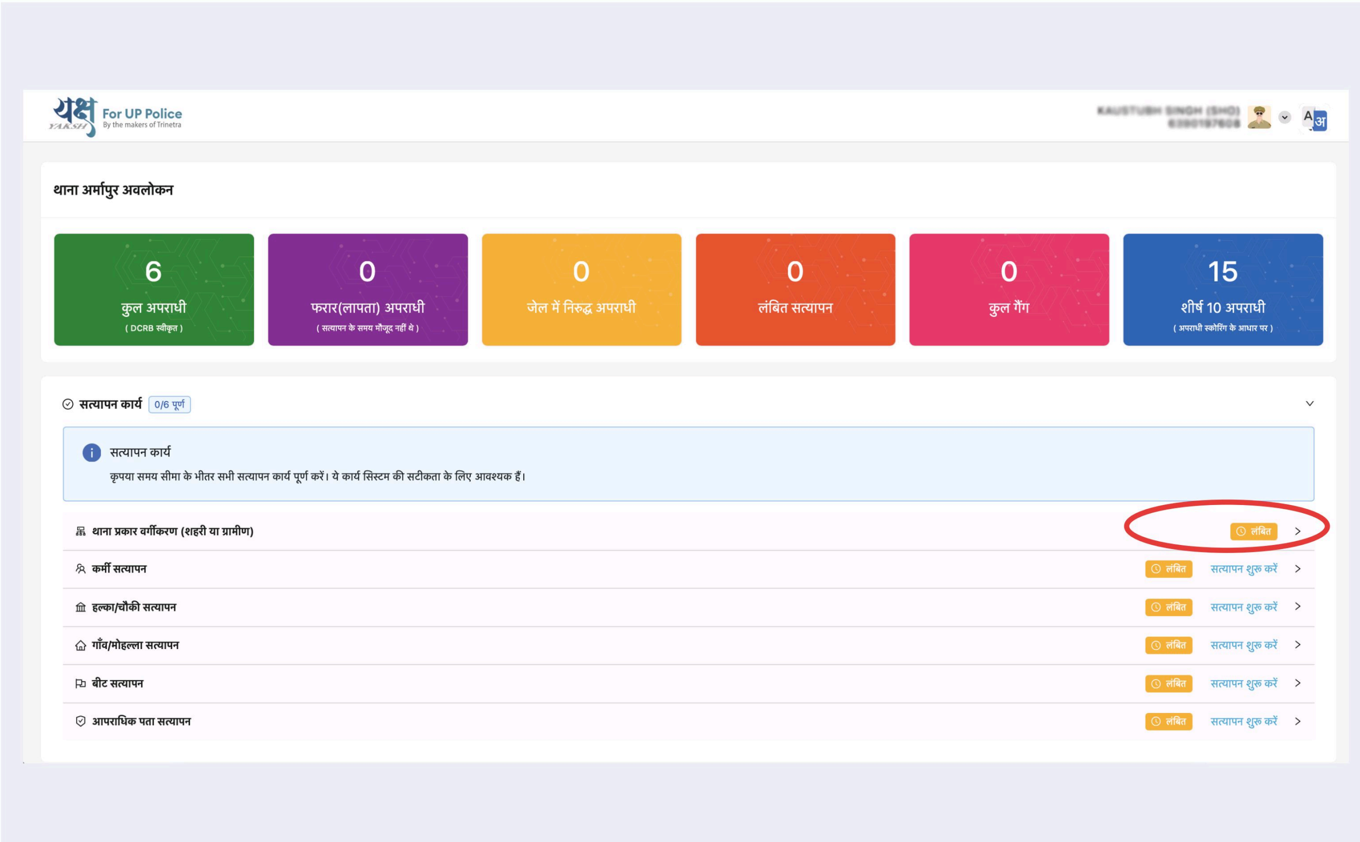

3.2 थाना स्तर (ऐप/वेब पोर्टल पर अपेक्षित अन्य कार्यवाहियां)-

थाना स्तर पर बीट प्रबंधन के अतिरिक्त अन्य कार्यवाही जैसे- नये अपराधी जोड़े, हिस्ट्रीशीटर के रिकार्ड, शस्त्र लाइसेंस पंजीकरण, थाने में पंजीकृत अपराधी, प्रभारी की गोपनीय पुस्तिका, गुमशुदा पंजीकरण, मालखाना प्रबंधन एवं अन्य रिकार्ड को बीट प्रबंधन की कार्यवाही के अनुसार ही फीड किया जायेगा । सभी कार्यवाही करने के लिये बड़ा ही सरल यूजर फ्रेन्डली इण्टरफेस बनाया गया है जिसके कारण किसी भी कार्यवाही को पूर्ण करने के लिये किसी तकनीकी दक्षता की आवश्यकता नहीं है ।

A. नये अपराधी जोड़ने की कार्यवाही-

अपराधी का रिकॉर्ड मोबाइल ऍप से ही बनाएँ। जब भी कोई अपराधी गिरफ्तार होता है तो ऐप में सर्वप्रथम “नये अपराधी जोड़े” Icon पर Click करने के उपरान्त निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगा-

सर्वप्रथम, अपराधी का फोटो जोड़ें।

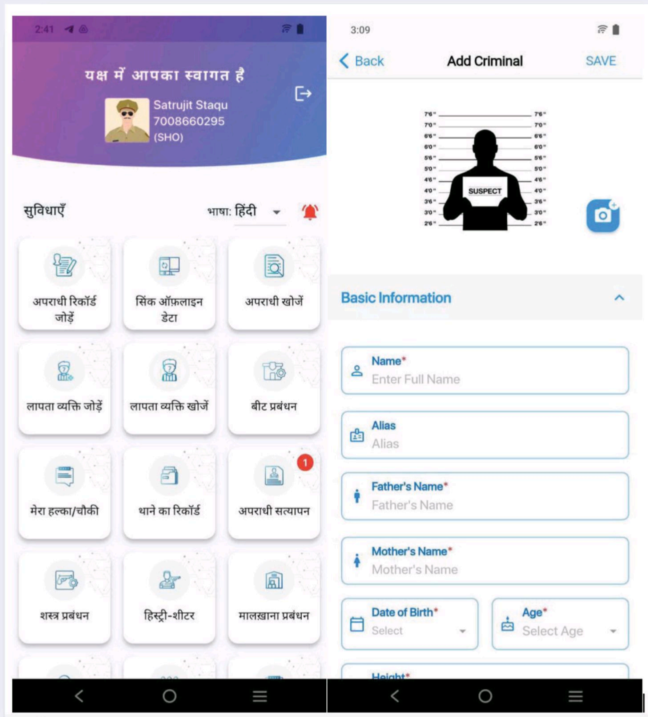

उपलब्ध रिकॉर्ड से फोटो का मिलान (Match) करें। यदि मिलान हो जाए, तो पुराने रिकॉर्ड को अपनाएँ (Adopt)।

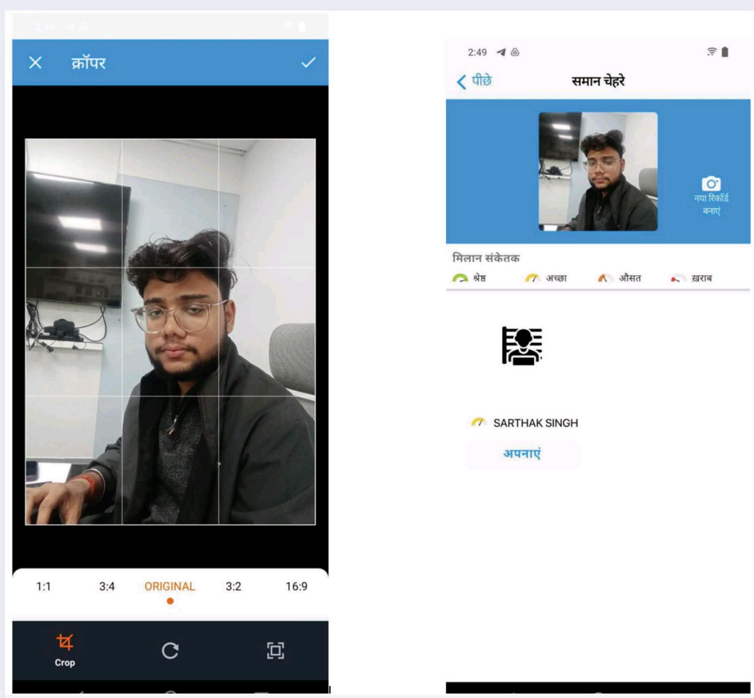

अन्यथा, नया रिकॉर्ड जोड़ें (Add New Record)।

मूल और पता की जानकारी

ऐप में वॉयस सैम्पल अपलोड करते समय किसी प्रकार की तकनीकी कमी न हो इसको दृष्टिगत रखते हुये साक्षर एवं निरक्षर व्यक्तियों के लिये निम्नानुसार निये दिये गये Text को अपराधियों को पढ़कर/पढ़वाकर रिकार्ड करना सुनिश्चित करेंगे ताकि Voice Logs की गुणवत्ता बनी रहे एवं AI के माध्यम से संदिग्ध अपराधियों की आवाज मिलाई जा सके । साथ ही अन्य विवरण एवं एक से दो मिनट तक का वॉयस सैम्पल ऐप में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अपलोड करेगा ।

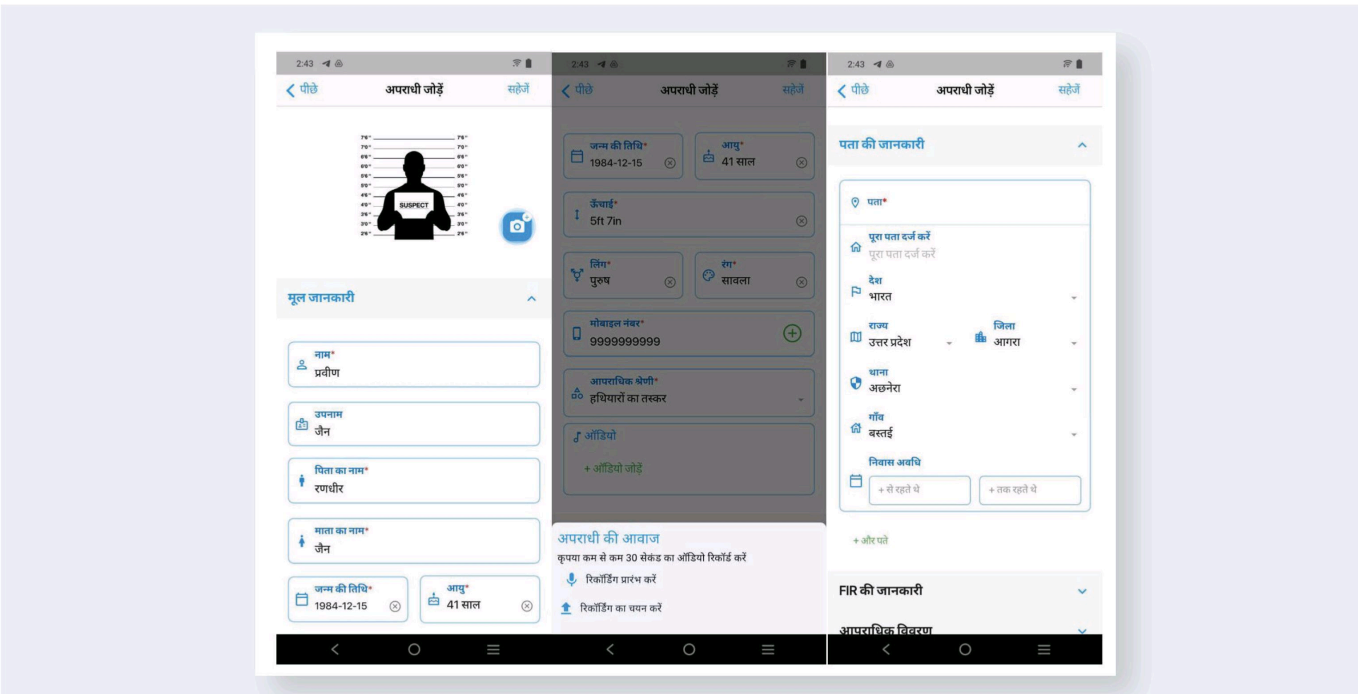

एफआईआर की जानकारी

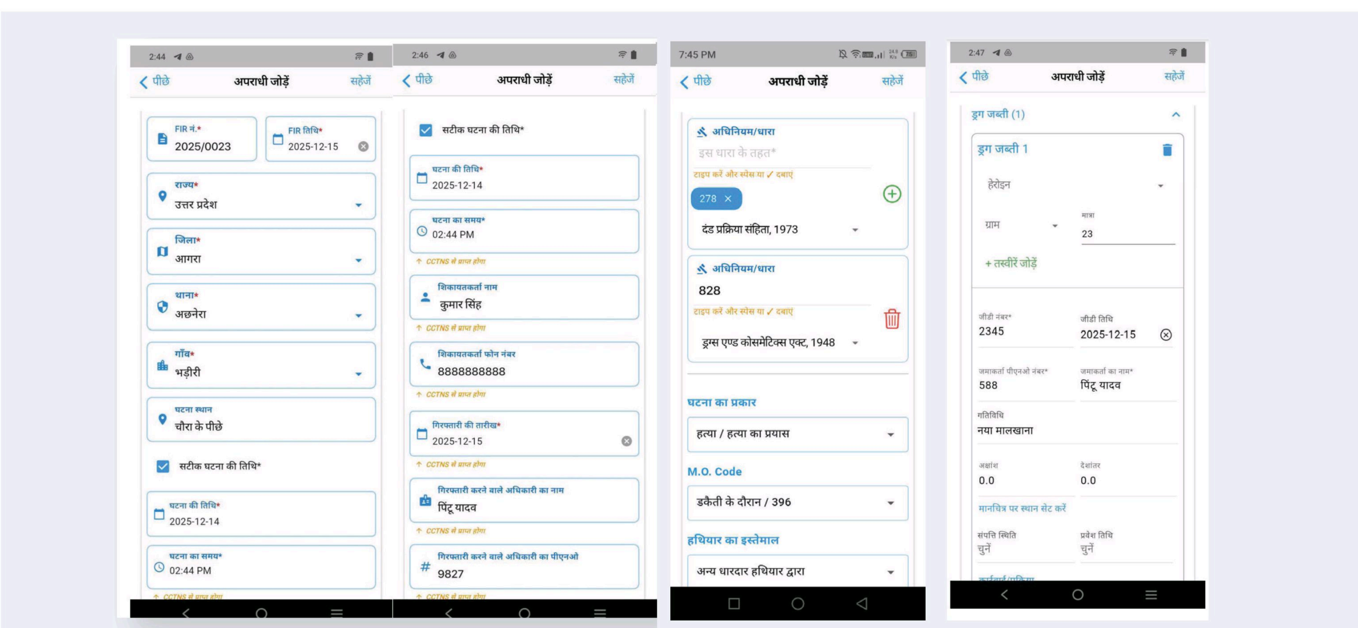

आपराधिक जानकारी

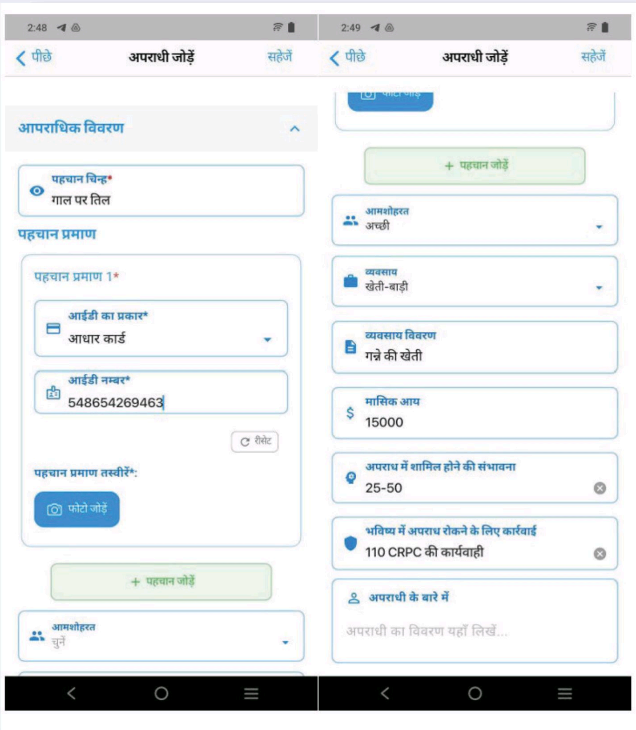

जब FIR सहेजी जा रही हो, तो एक QR कोड अपने आप जनरेट हो जाएगा। इस QR कोड को सहेजें और प्रिंट करें। इसे उपयोग करने के लिए खंड F में दिए गए मालखाना (Malkhana) भाग का पालन करें।

B. हिस्ट्री शीटर, गिरोह और माफ़िया रिकॉर्ड-

थाना प्रभारी एवं थाने के कम्प्यूटर ऑपरेटर की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐप के लॉन्च होने के उपरान्त थाने के सभी हिस्ट्रीशीटरों, गिरोह और माफ़िया को वेब पोर्टल/ऐप में एक एक करके नीचे दिये स्क्रीन के अनुसार मार्क करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि सभी हिस्ट्रीशीटर का एक निश्चित समयान्तराल में सत्यापन किया जा सके ।

पैनल के माध्यम से

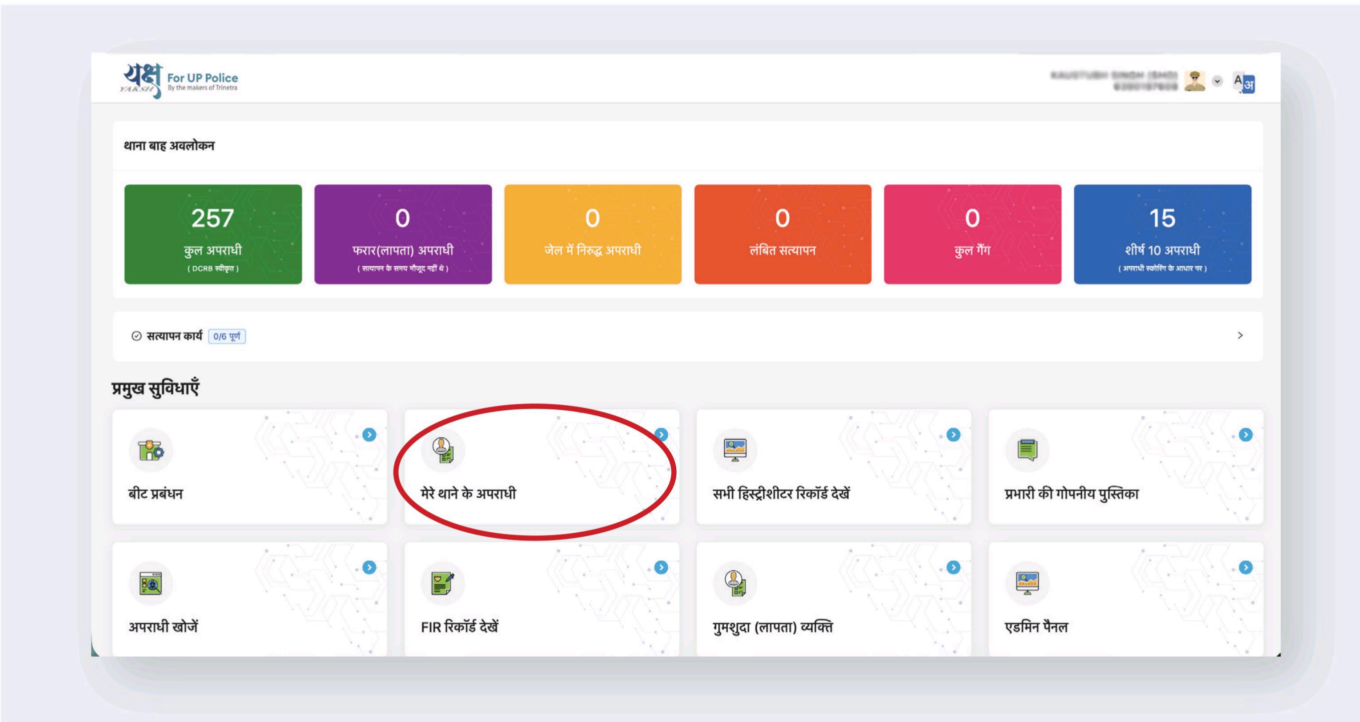

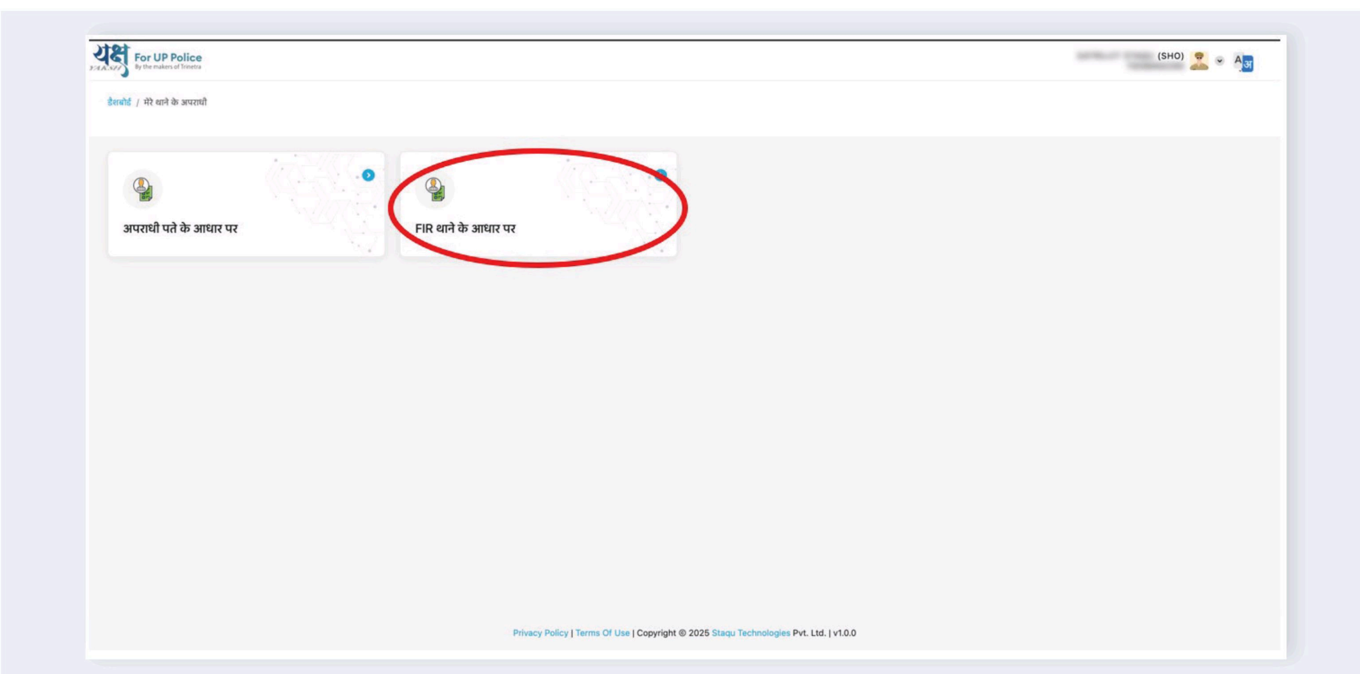

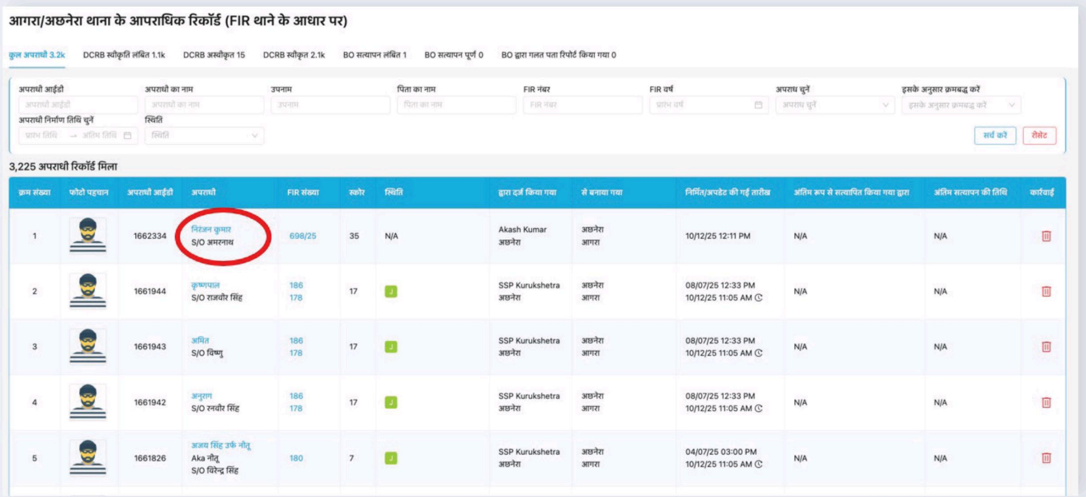
आगरा/अछनेरा थाना के आपराधिक रिकॉर्ड (FIR थाने के आधार पर)
3,225 अपराधी रिकॉर्ड मिला

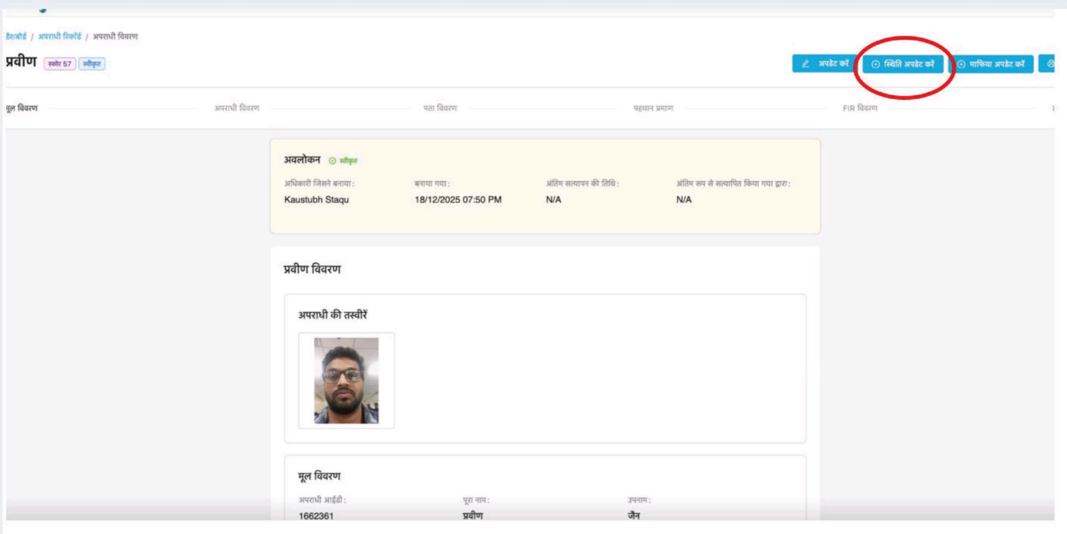
प्रवीण
स्थिति अपडेट करें
अवलोकन
प्रवीण विवरण
अपराधी की तस्वीरें
मूल विवरण

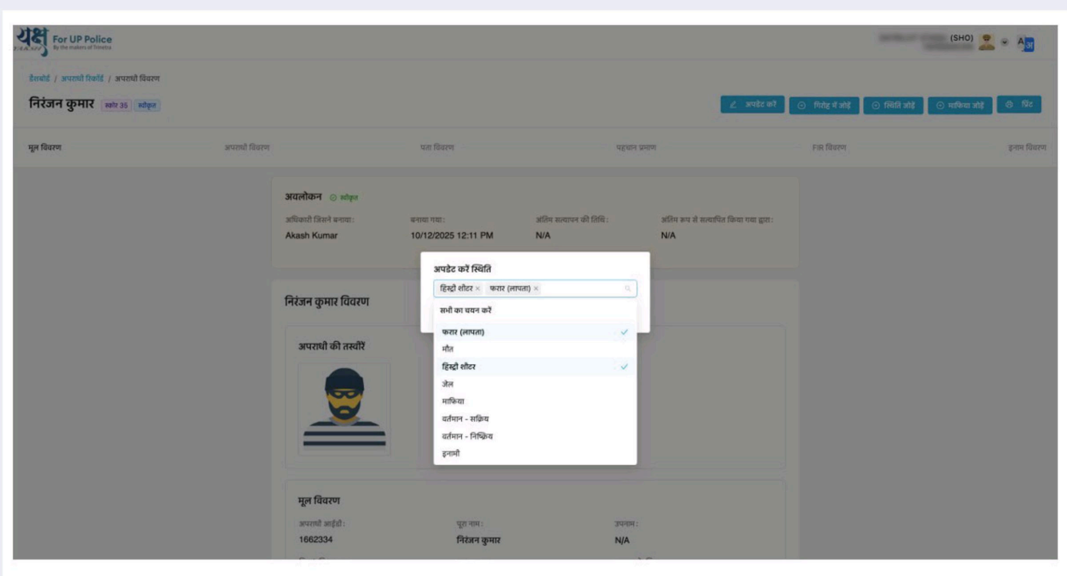
निरंजन कुमार
अपडेट करें स्थिति
अवलोकन
निरंजन कुमार विवरण
अपराधी की तस्वीरें
मूल विवरण

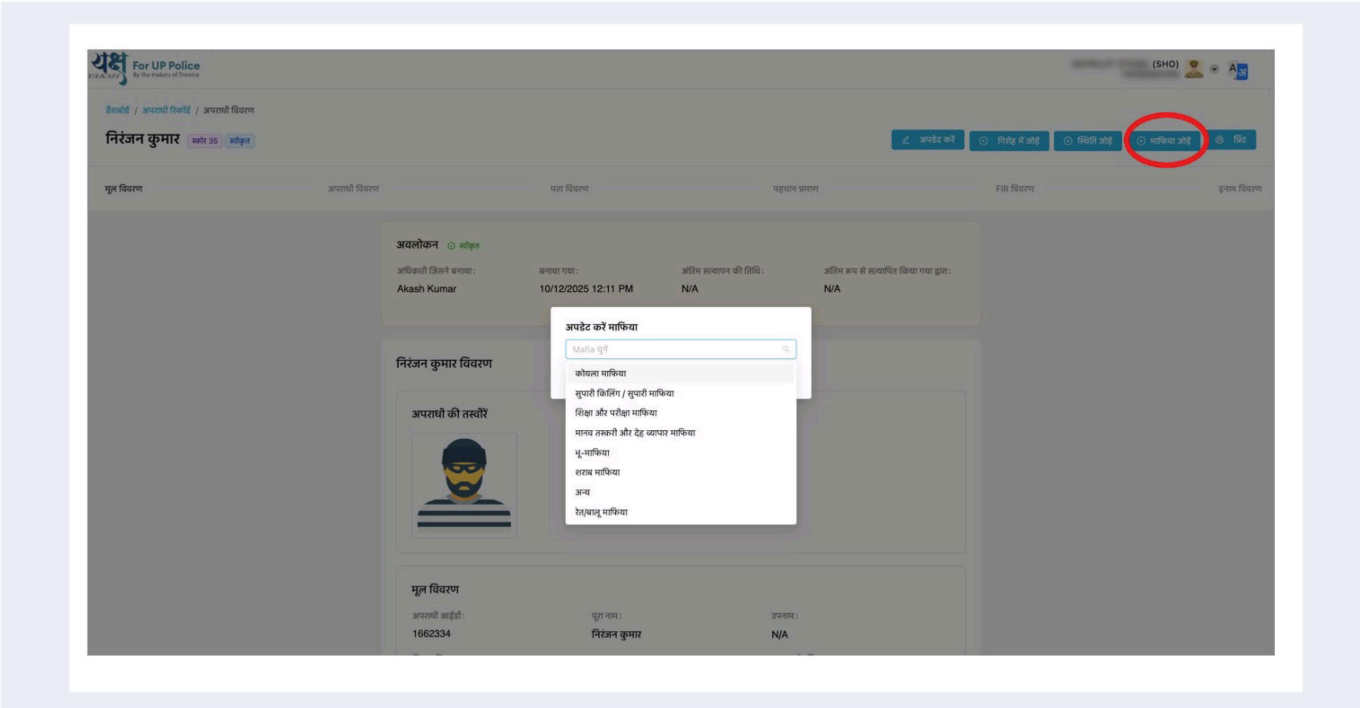
For UP Police
निरंजन कुमार
मूल विवरण
अवलोकन
Akash Kumar
10/12/2025 12:11 PM
N/A
N/A
अपडेट करें माफिया
Mafia चुनें
कोयला माफिया
सुपारी किलिंग / सुपारी माफिया
शिक्षा और परीक्षा माफिया
मानव तस्करी और देह व्यापार माफिया
भू-माफिया
शराब माफिया
अन्य
रेत/बालू माफिया
निरंजन कुमार विवरण
अपराधी की तस्वीरें
मूल विवरण
1662334
निरंजन कुमार
N/A

ऐप के माध्यम से

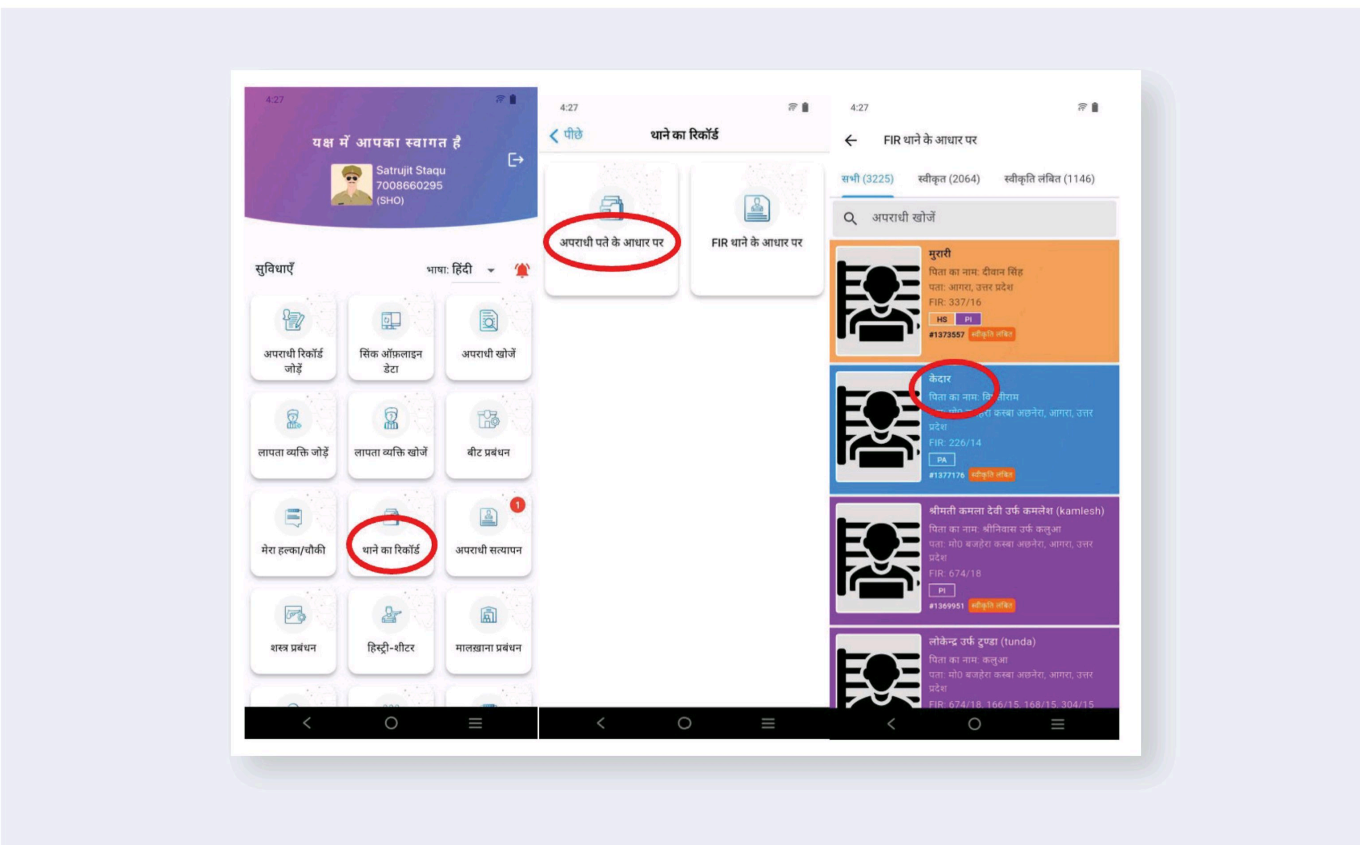
यक्ष में आपका स्वागत है
Satrujit Staqu
7008660295
(SHO)
सुविधाएँ
भाषा: हिंदी
अपराधी रिकॉर्ड जोड़ें
सिंक ऑफ़लाइन डेटा
अपराधी खोजें
लापता व्यक्ति जोड़ें
लापता व्यक्ति खोजें
बीट प्रबंधन
मेरा हल्का/चौकी
थाने का रिकॉर्ड
अपराधी सत्यापन
शस्त्र प्रबंधन
हिस्ट्री-शीटर
मालखाना प्रबंधन
पीछे
थाने का रिकॉर्ड
अपराधी पते के आधार पर
FIR थाने के आधार पर
FIR थाने के आधार पर
सभी (3225)
स्वीकृत (2064)
स्वीकृति लंबित (1146)
अपराधी खोजें
मुरारी
पिता का नाम: दीवान सिंह
पता: आगरा, उत्तर प्रदेश
FIR: 337/16
केदार
FIR: 226/14
श्रीमती कमला देवी उर्फ कमलेश (kamlesh)
FIR: 674/18
लोकेन्द्र उर्फ टुण्डा (tunda)

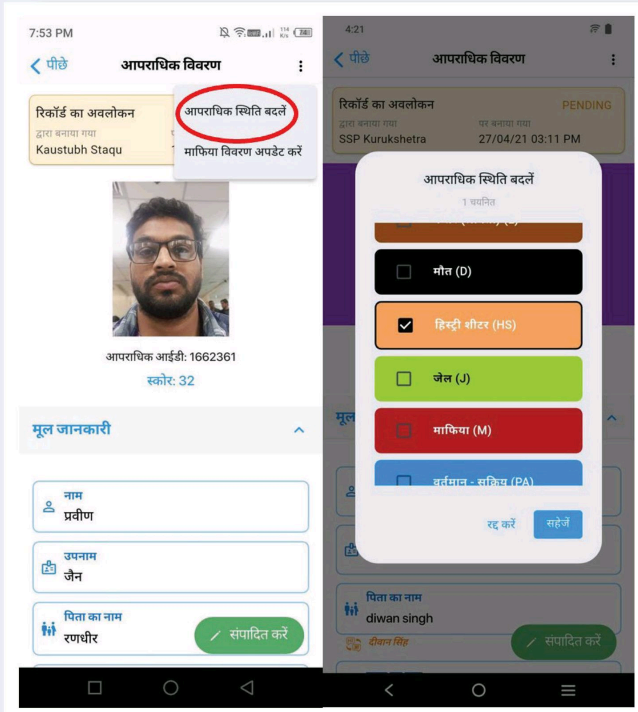

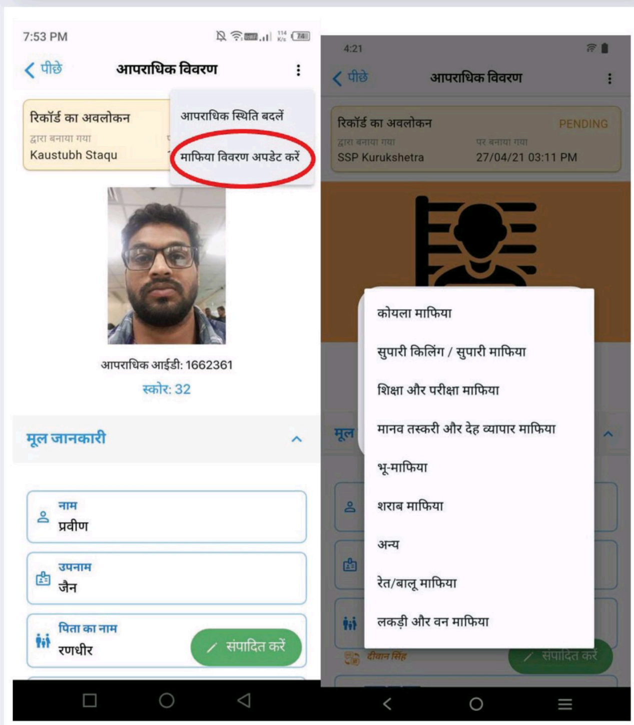

अगर पूर्व से फीड किये गये डाटा में थाने का कोई हिस्ट्रीशीटर नहीं प्रदर्शित हो रहा है तो सम्बन्धित हिस्ट्रीशीटर का पेज खोलकर वहाँ हिस्ट्रीशीटर को मार्क करना सुनिश्चित करेंगे ।

C. शस्त्र लाइसेंस पंजीकरण-

प्रदेश के समस्त लाइसेन्सी शस्त्रधारको का विवरण जनपदवार ऑनलाइन उपलब्ध है । मुख्यालय स्तर से समस्त लाइसेन्सी शस्त्रों का विवरण एकमुश्त यक्ष ऐप पर फीड कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है । बीट प्रभारियों का यह दायित्व होगा कि शस्त्रधारको का विवरण ऐप प्रदर्शित होने पर निम्न प्रक्रिया के अनुसार शस्त्रों एवं कारतूसों के सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । अगर बीट प्रभारी को शस्त्रधारको के सत्यापन के समय कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आये तो बीट प्रभारी उसे ऐप में दर्ज कर सकते है।

पैनल के माध्यम से

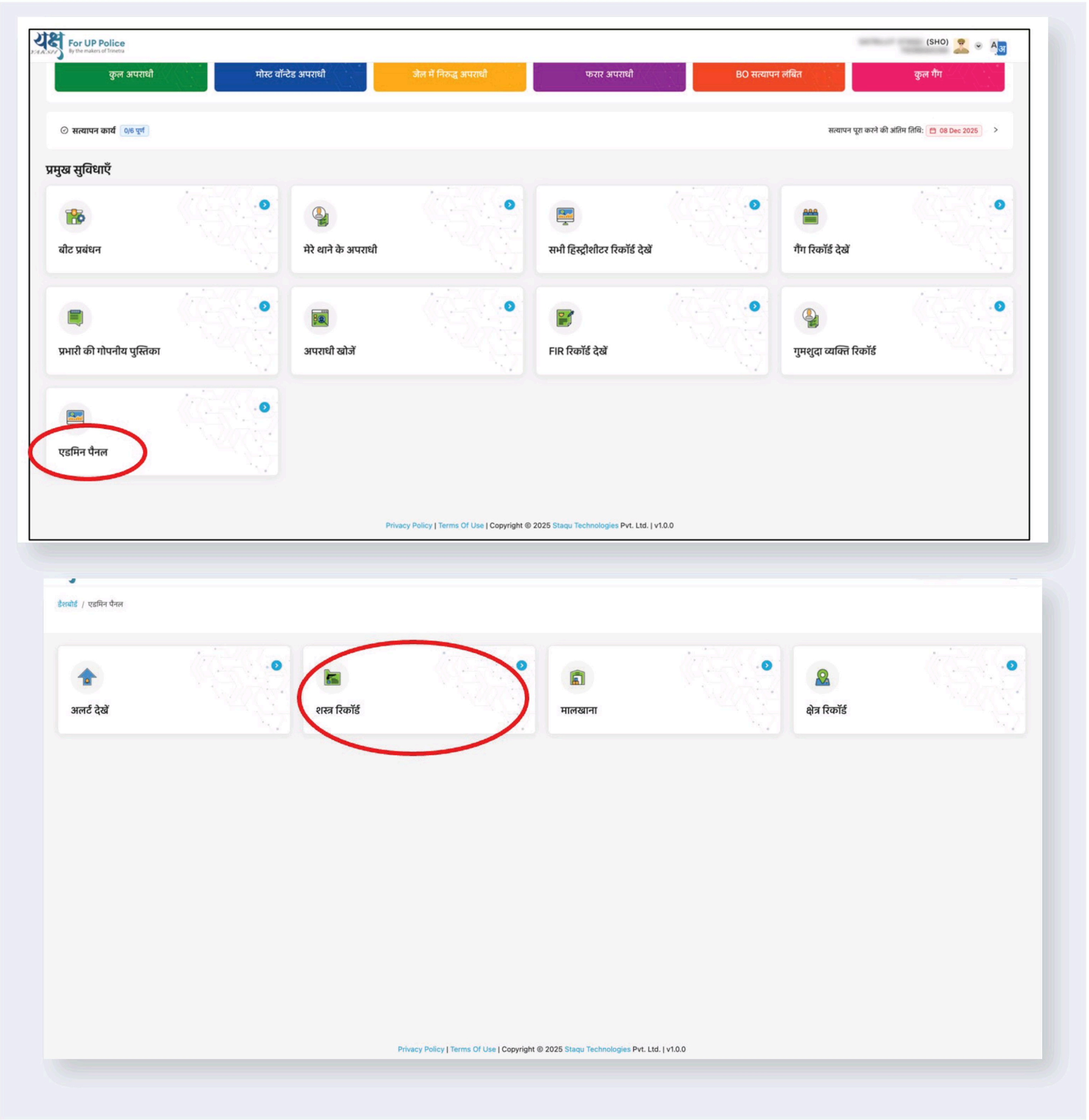

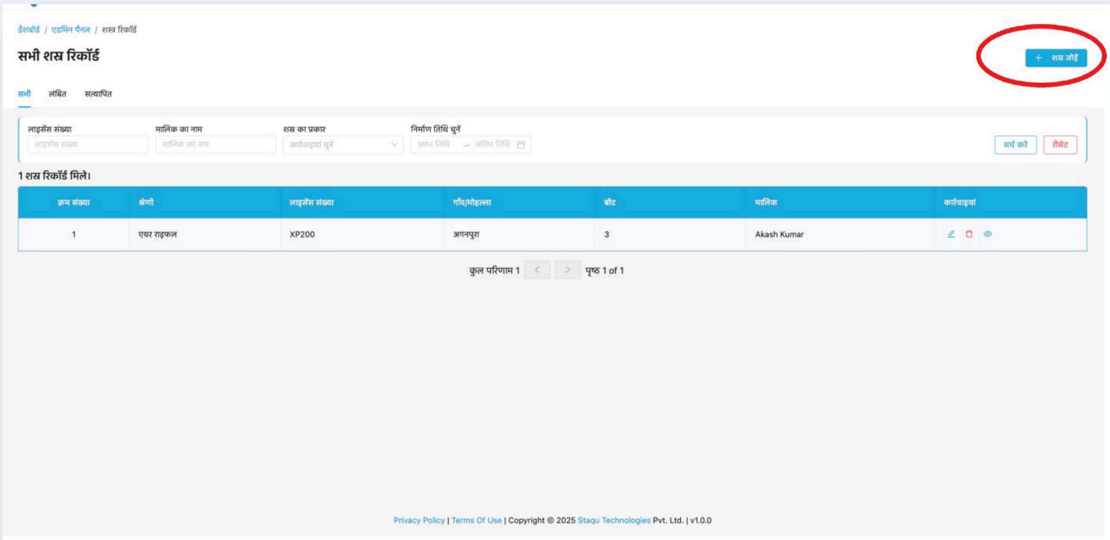
डैशबोर्ड / एडमिन पैनल / शस्त्र रिकॉर्ड
सभी शस्त्र रिकॉर्ड
+ शस्त्र जोड़ें
सभी
लंबित
सत्यापित
लाइसेंस संख्या
मालिक का नाम
शस्त्र का प्रकार
निर्माण तिथि चुनें
सर्च करें
रीसेट
1 शस्त्र रिकॉर्ड मिले।
क्रम संख्या
श्रेणी
लाइसेंस संख्या
गाँव/मोहल्ला
बीट
मालिक
कार्यवाइयां
1
एयर राइफल
XP200
अगनपुरा
3
Akash Kumar
कुल परिणाम 1
पृष्ठ 1 of 1
Privacy Policy | Terms Of Use | Copyright © 2025 Staqu Technologies Pvt. Ltd. | v1.0.0

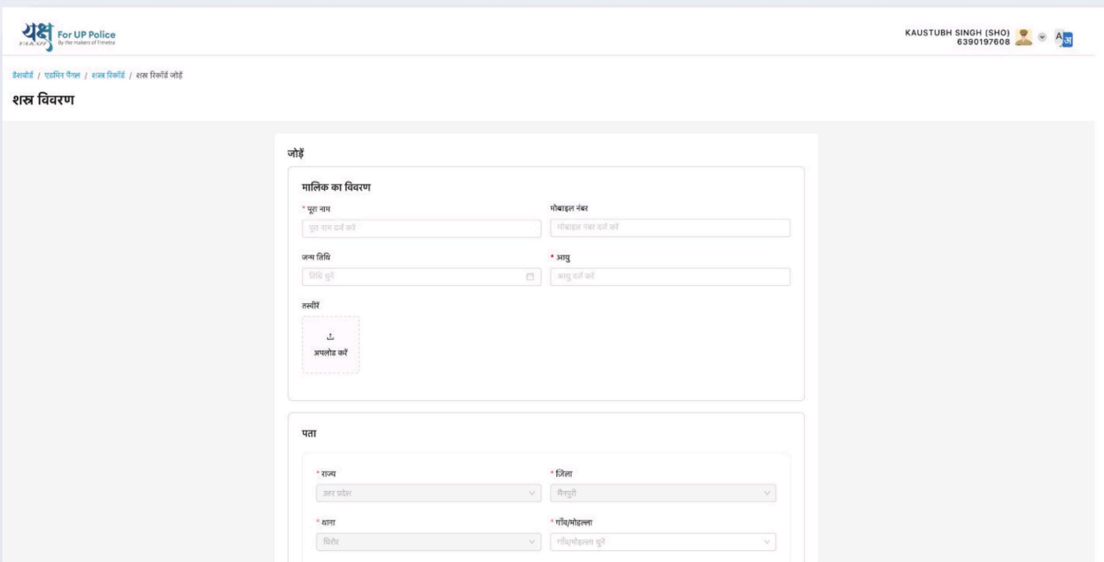
For UP Police
KAUSTUBH SINGH (SHO)
6390197608
डैशबोर्ड / एडमिन पैनल / शस्त्र रिकॉर्ड / शस्त्र रिकॉर्ड जोड़ें
शस्त्र विवरण
जोड़ें
मालिक का विवरण
* पूरा नाम
मोबाइल नंबर
जन्म तिथि
* आयु
तस्वीरें
अपलोड करें
पता
* राज्य
* ज़िला
* थाना
* गाँव/मोहल्ला

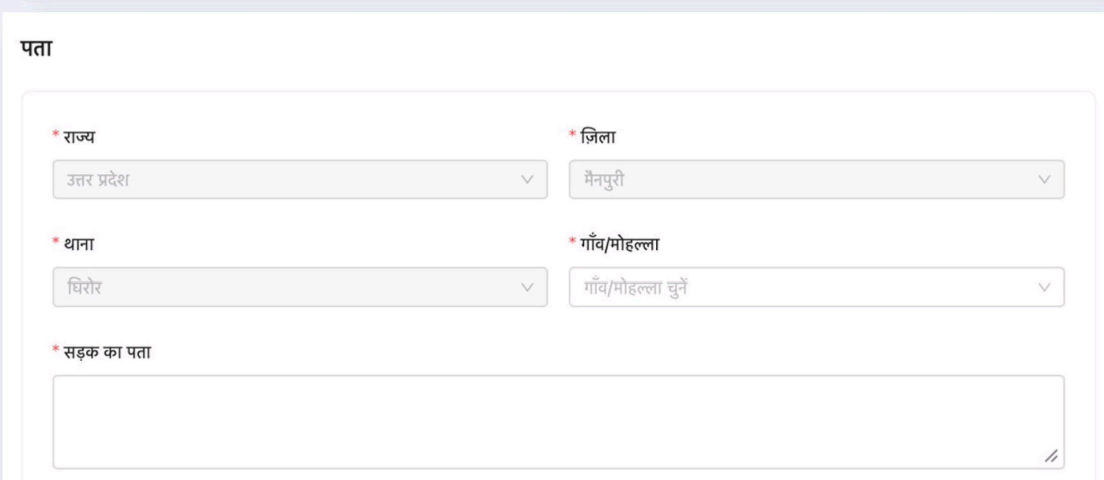
पता
* राज्य
उत्तर प्रदेश
* ज़िला
मैनपुरी
* थाना
घिरोर
* गाँव/मोहल्ला
गाँव/मोहल्ला चुनें
* सड़क का पता

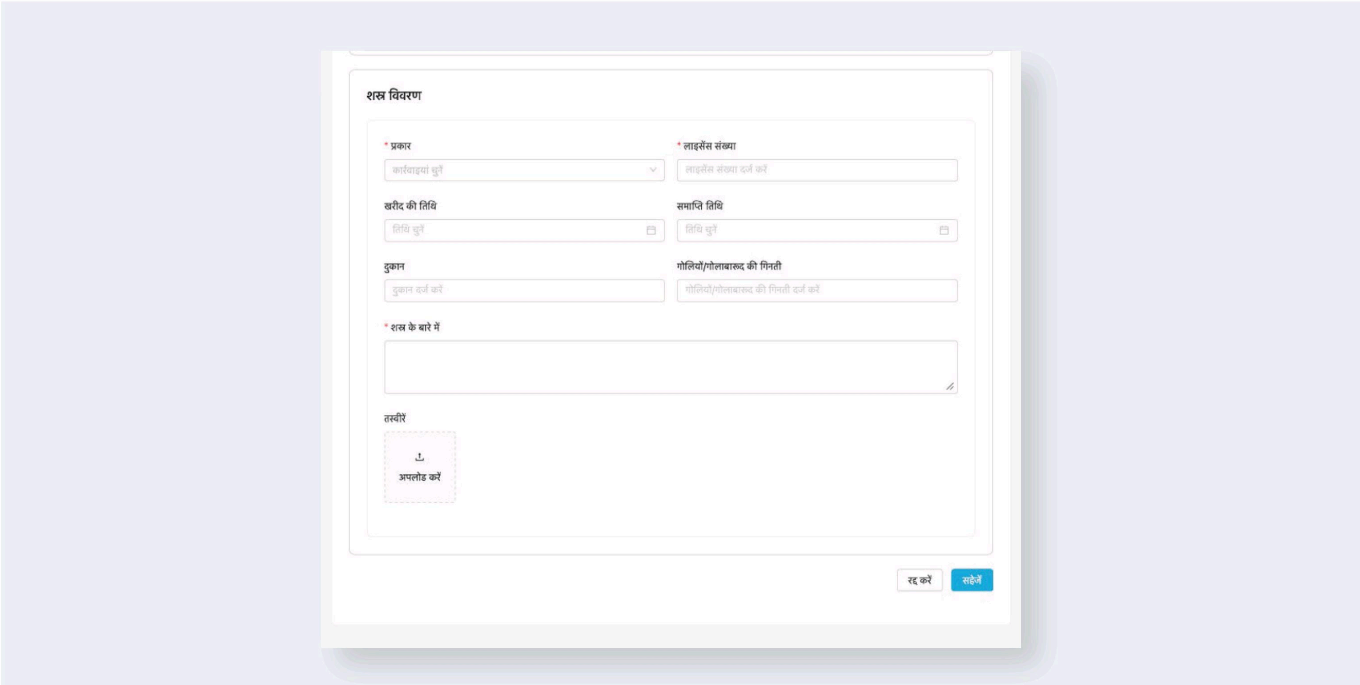
शस्त्र विवरण
* प्रकार
* लाइसेंस संख्या
खरीद की तिथि
समाप्ति तिथि
दुकान
गोलियों/गोलाबारूद की गिनती
* शस्त्र के बारे में
तस्वीरें
अपलोड करें
रद्द करें
सहेजें

ऐप के माध्यम से

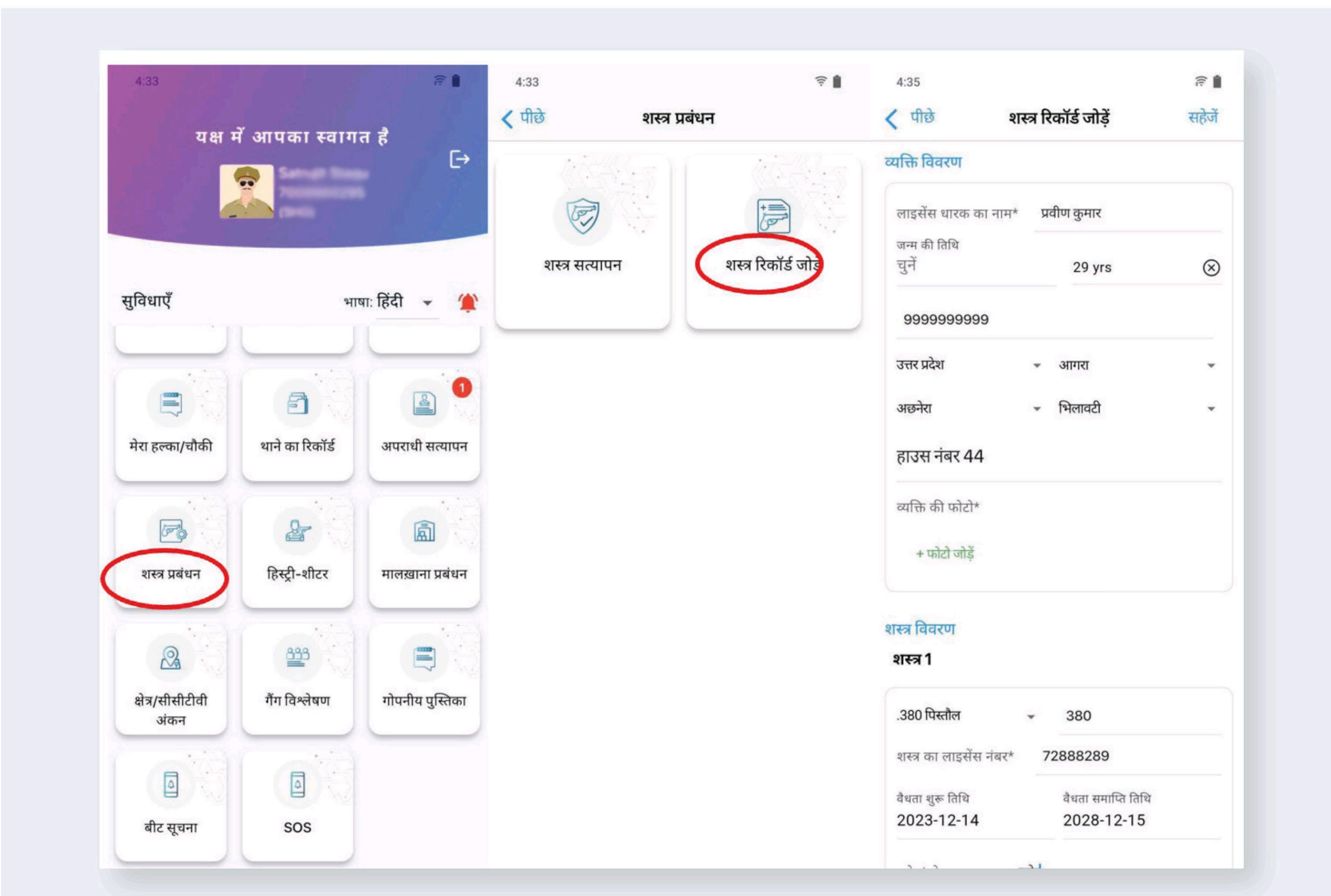
यक्ष में आपका स्वागत है
सुविधाएँ
भाषा: हिंदी
मेरा हल्का/चौकी
थाने का रिकॉर्ड
अपराधी सत्यापन
शस्त्र प्रबंधन
हिस्ट्री-शीटर
मालख़ाना प्रबंधन
क्षेत्र/सीसीटीवी अंकन
गैंग विश्लेषण
गोपनीय पुस्तिका
बीट सूचना
SOS
पीछे
शस्त्र प्रबंधन
शस्त्र सत्यापन
शस्त्र रिकॉर्ड जोड़ें
शस्त्र रिकॉर्ड जोड़ें
सहेजें
व्यक्ति विवरण
लाइसेंस धारक का नाम*
प्रवीण कुमार
जन्म की तिथि
चुनें
29 yrs
9999999999
उत्तर प्रदेश
आगरा
अछनेरा
भिलावटी
हाउस नंबर 44
व्यक्ति की फोटो*
+ फोटो जोड़ें
शस्त्र विवरण
शस्त्र 1
.380 पिस्तौल
380
शस्त्र का लाइसेंस नंबर*
72888289
वैधता शुरू तिथि
2023-12-14
वैधता समाप्ति तिथि
2028-12-15

D. प्रभारी की गोपनीय पुस्तिका-

थाना प्रभारियों की गोपनीय पुस्तिका की व्यवस्था भी इस ऐप में की गयी है । थाना प्रभारी कोई भी संवेदनशील या ऐसी गोपनीय जानकारी जो थाना क्षेत्र के सम्बन्ध में या किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में हो, को बिना अपना नाम व दिनांक अंकित किये बिना दर्ज कर सकता है ।

पैनल के माध्यम से

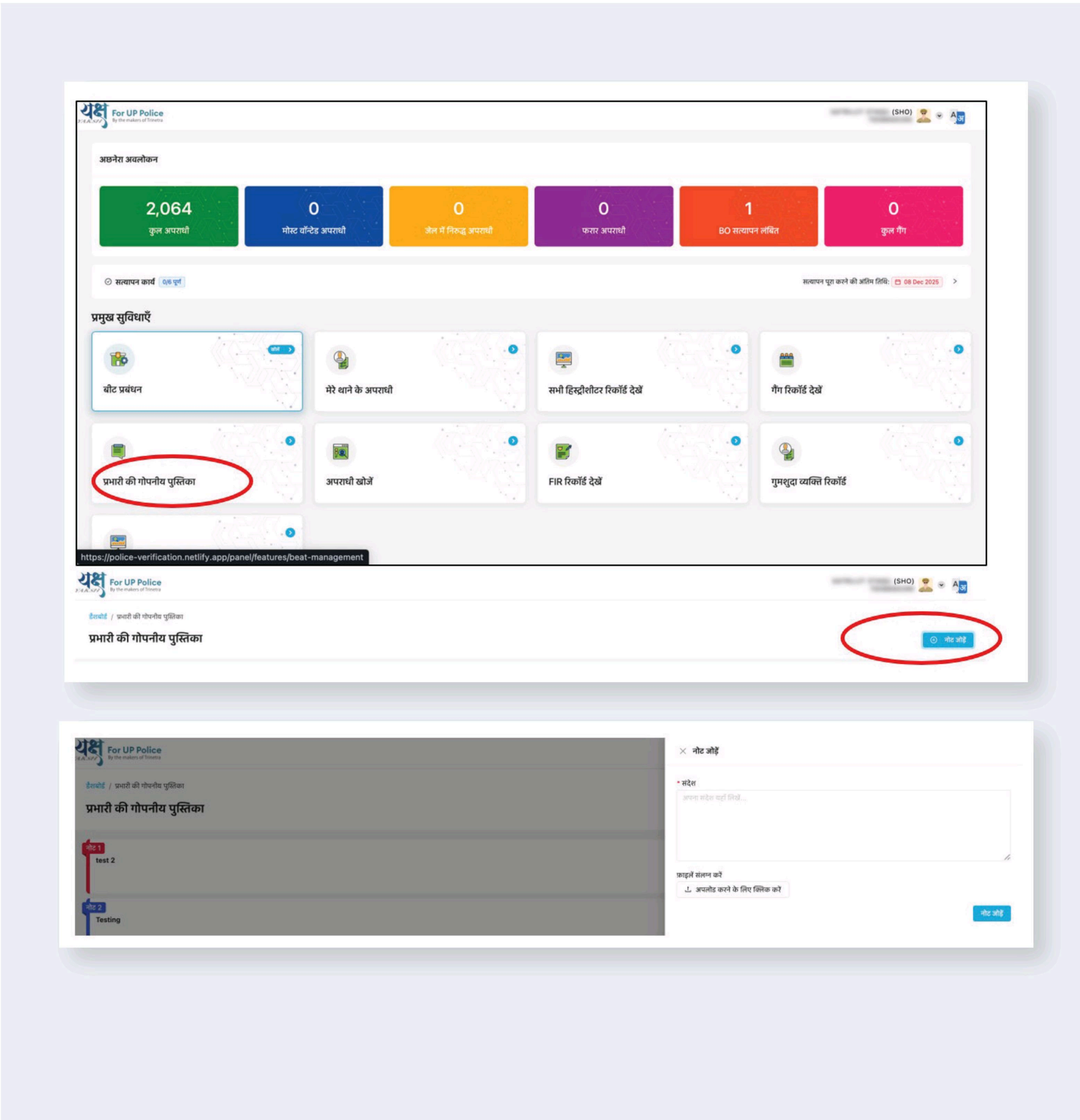

ऐप के माध्यम से

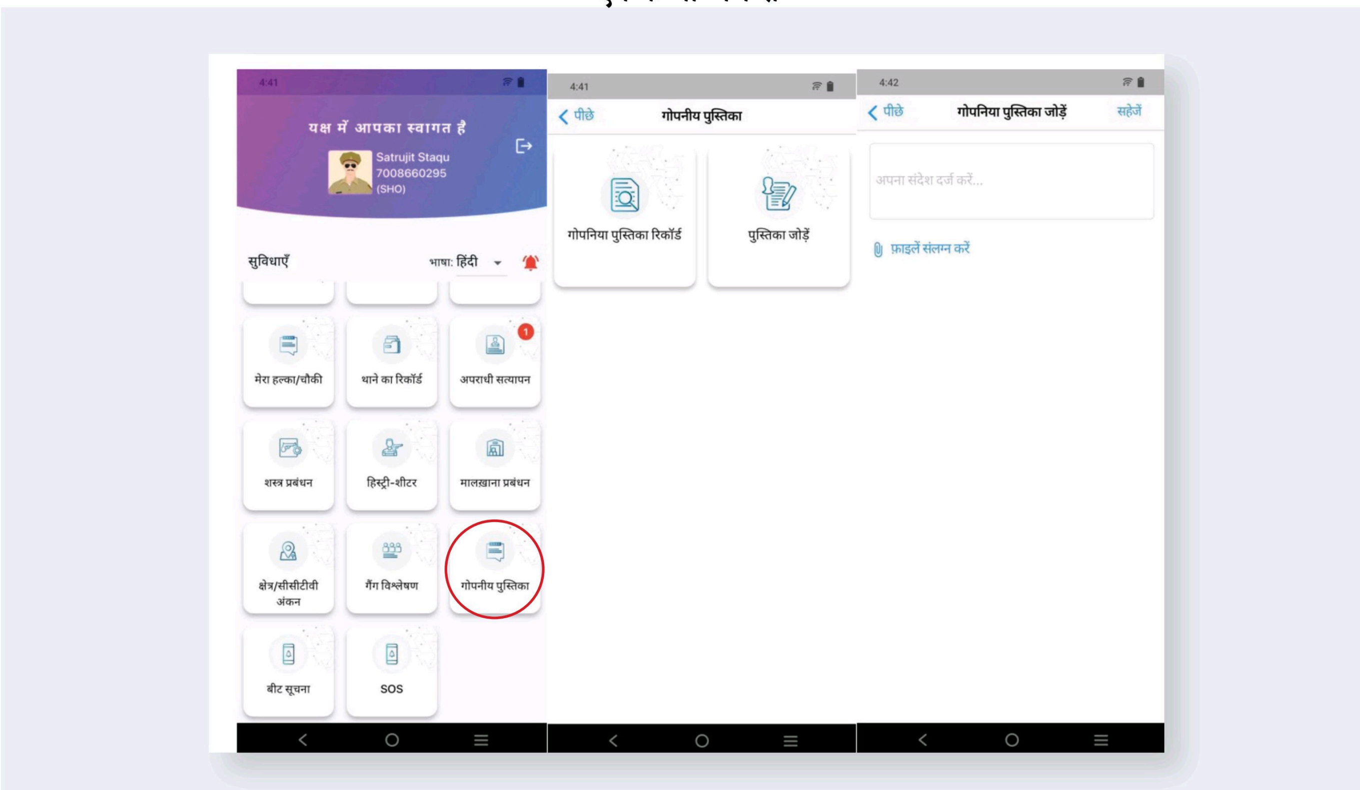

यह सूचना पूर्ण रूपेण गोपनीय रहेगी एवं वरिष्ठतम स्तर पर ही इसका अवलोकन किया जा सकता है । यह जानकारी किसी को भी नहीं पायेगी कि यह गोपनीय सूचना कब और किसके द्वारा दर्ज की गयी है ।

E. गुमशुदा व्यक्ति / अज्ञात शव का पंजीकरण-

थाना प्रभारी अपने थाना क्षेत्र के समस्त गुमशुदा व्यक्ति / अज्ञात शव की तलाश एवं शिनाख्त के सम्बन्ध में समस्त अपेक्षित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेगा और इस सम्बन्ध मे यक्ष आप में और सीसीटीएनएस साफ्टेवयर में सूचनाओ को अद्यावधिक करायेंगे ताकि ऐप में अद्यतन जानकारी उपलब्ध रहे । इस सम्बन्ध में बीट आरक्षी को भी निर्देशित करेगा कि वह अपने बीट क्षेत्र में गुमशुदा व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होने पर ऐप में अद्यावधिक करें ।

अगर थाना क्षेत्र में किसी गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी मिलती है या कोई अज्ञात शव मिलता है तो थानाध्यक्ष ऐप में गुमशुदा व्यक्ति एवं अज्ञात शव के डाटा से मिलान करायेंगे, डाटा मैच होने कि दशा में ऐप में अद्यावधिक करते हुये सम्बन्धित थाने को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें । गुमशुदा व्यक्ति / अज्ञात शव का विवरण स्वतः ही सीसीटीएनएस से Fetch होकर ऐप पर प्रदर्शित होने लगेगा यह सुविधा आगे जाके उपलब्ध करायी जाएगी ।

लापता व्यक्ति का सत्यापन कुछ-कुछ अंतराल में होगा और इसके आधार पर, व्यक्ति की स्थिति को निम्नलिखित में से किसी एक रूप में अद्यतन (Update) किया जाएगा:

लापता , मृत , मिल गया

पैनल के माध्यम से

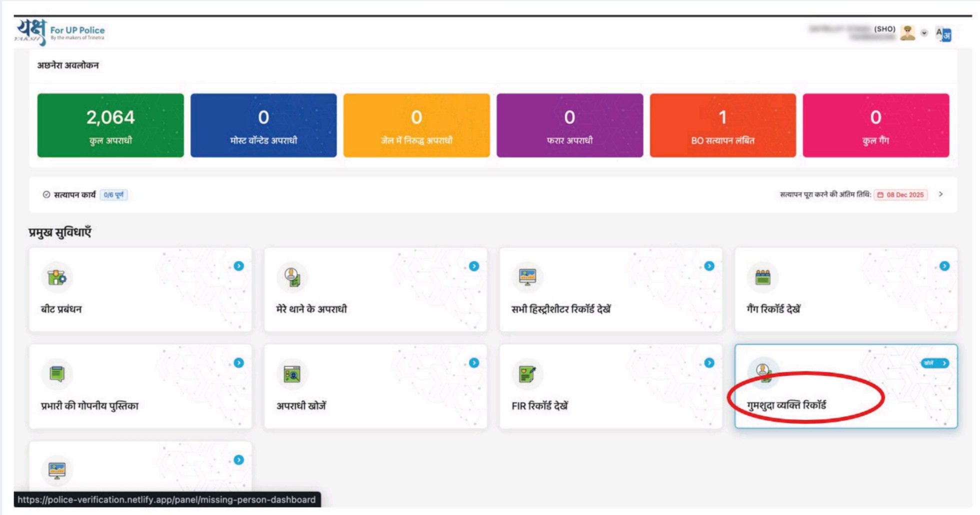
For UP Police
अछनेरा अवलोकन
2,064
कुल अपराधी
0
मोस्ट वॉन्टेड अपराधी
0
जेल में निरुद्ध अपराधी
0
फरार अपराधी
1
BO सत्यापन लंबित
0
कुल गैंग
प्रमुख सुविधाएँ
बीट प्रबंधन
मेरे थाने के अपराधी
सभी हिस्ट्रीशीटर रिकॉर्ड देखें
गैंग रिकॉर्ड देखें
प्रभारी की गोपनीय पुस्तिका
अपराधी खोजें
FIR रिकॉर्ड देखें
गुमशुदा व्यक्ति रिकॉर्ड
https://police-verification.netlify.app/panel/missing-person-dashboard

For UP Police
लापता व्यक्ति डैशबोर्ड
जोड़ें
FIR संख्या
नाम
उपनाम
लापता व्यक्ति आईडी
राज्य
जिला चुनें
पुलिस स्टेशन चुनें
द्वारा दर्ज किया गया
FIR तिथि चुनें

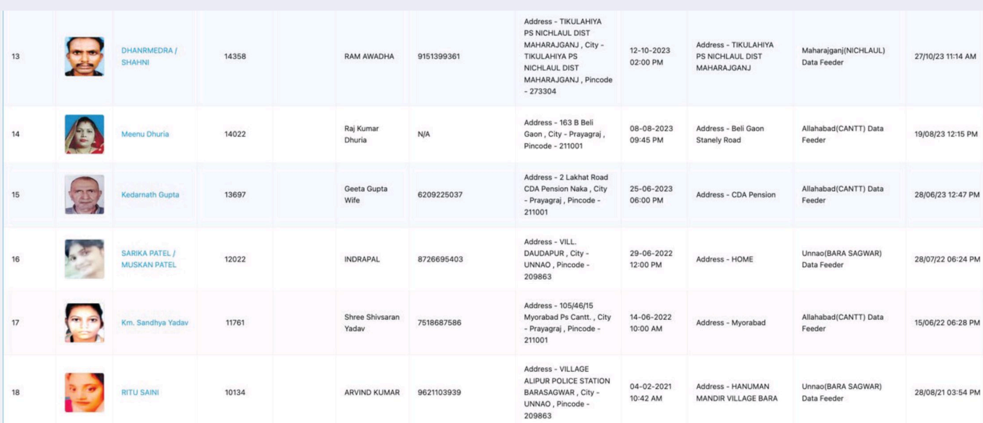
DHANRMEDRA / SHAHNI
Meenu Dhuria
Kedarnath Gupta
SARIKA PATEL / MUSKAN PATEL
Km. Sandhya Yadav
RITU SAINI

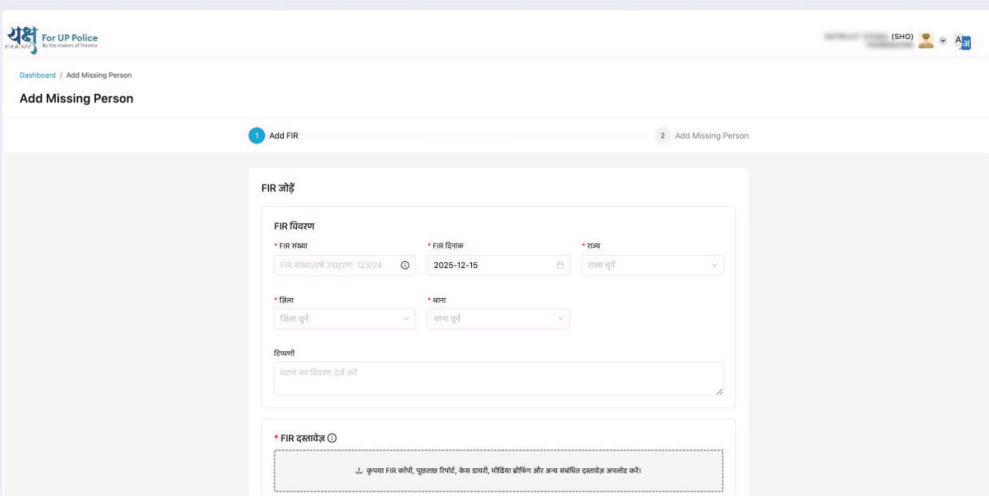
For UP Police
Dashboard / Add Missing Person
Add Missing Person
1 Add FIR
2 Add Missing Person
FIR जोड़ें
FIR विवरण
* FIR संख्या
* FIR दिनांक
2025-12-15
* राज्य
* ज़िला
* थाना
टिप्पणी
* FIR दस्तावेज़

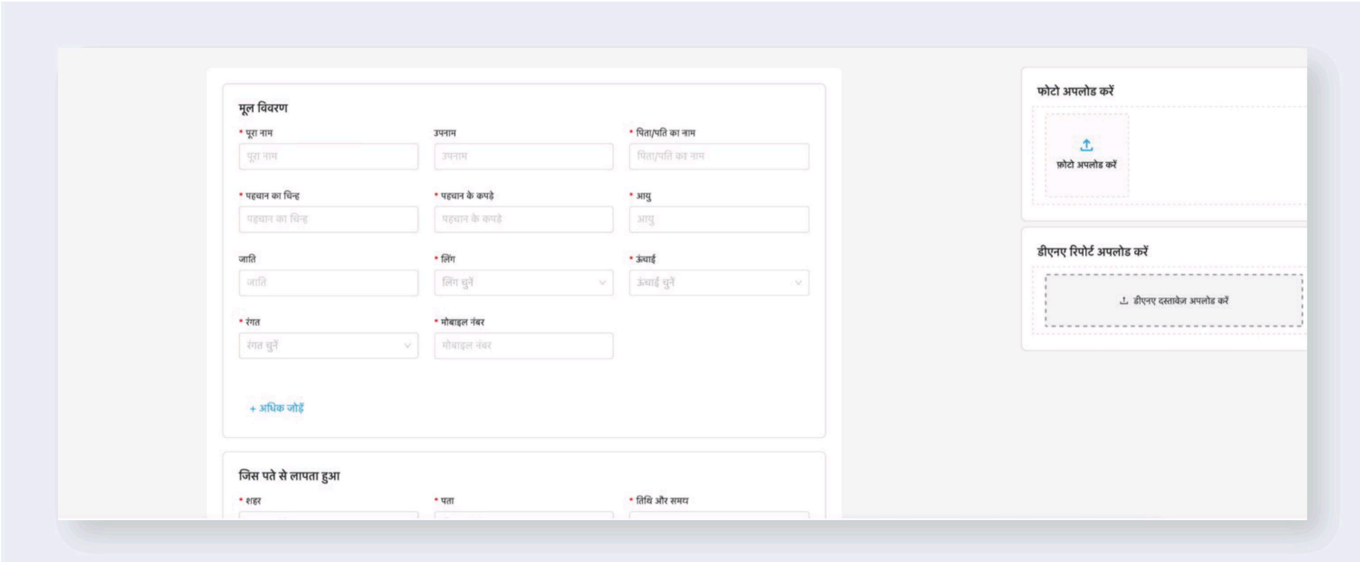
मूल विवरण
* पूरा नाम
उपनाम
* पिता/पति का नाम
* पहचान का चिन्ह
* पहचान के कपड़े
* आयु
जाति
* लिंग
* ऊंचाई
* रंगत
* मोबाइल नंबर
+ अधिक जोड़ें
जिस पते से लापता हुआ
* शहर
* पता
* तिथि और समय
फोटो अपलोड करें
फ़ोटो अपलोड करें
डीएनए रिपोर्ट अपलोड करें
डीएनए दस्तावेज अपलोड करें

ऐप के माध्यम से

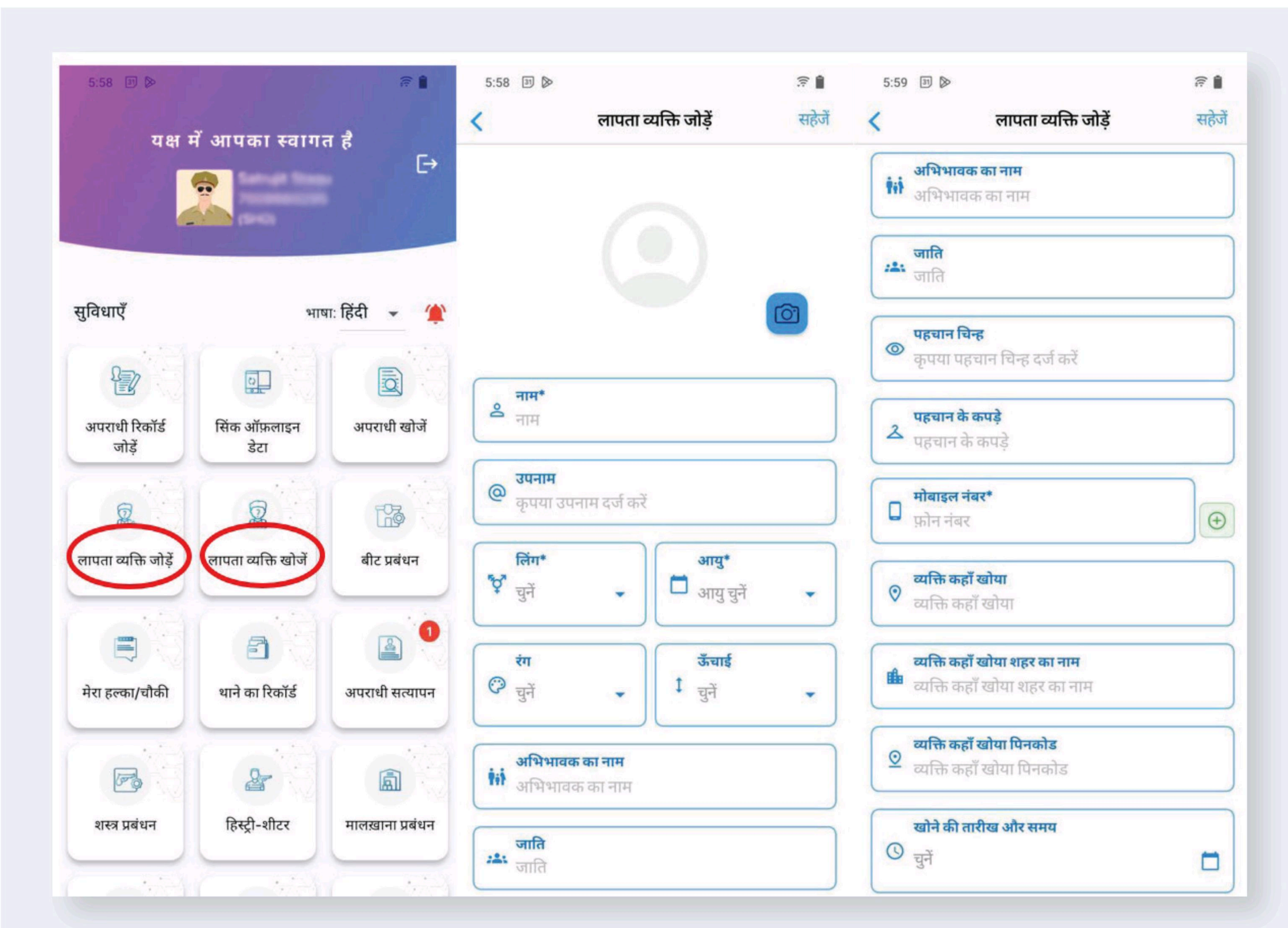
यक्ष में आपका स्वागत है
सुविधाएँ
भाषा: हिंदी
अपराधी रिकॉर्ड जोड़ें
सिंक ऑफ़लाइन डेटा
अपराधी खोजें
लापता व्यक्ति जोड़ें
लापता व्यक्ति खोजें
बीट प्रबंधन
मेरा हल्का/चौकी
थाने का रिकॉर्ड
अपराधी सत्यापन
शस्त्र प्रबंधन
हिस्ट्री-शीटर
मालख़ाना प्रबंधन
लापता व्यक्ति जोड़ें
सहेजें
नाम*
उपनाम
कृपया उपनाम दर्ज करें
लिंग*
चुनें
आयु*
आयु चुनें
रंग
ऊंचाई
अभिभावक का नाम
जाति
पहचान चिन्ह
कृपया पहचान चिन्ह दर्ज करें
पहचान के कपड़े
मोबाइल नंबर*
फ़ोन नंबर
व्यक्ति कहाँ खोया
व्यक्ति कहाँ खोया शहर का नाम
व्यक्ति कहाँ खोया पिनकोड
खोने की तारीख और समय

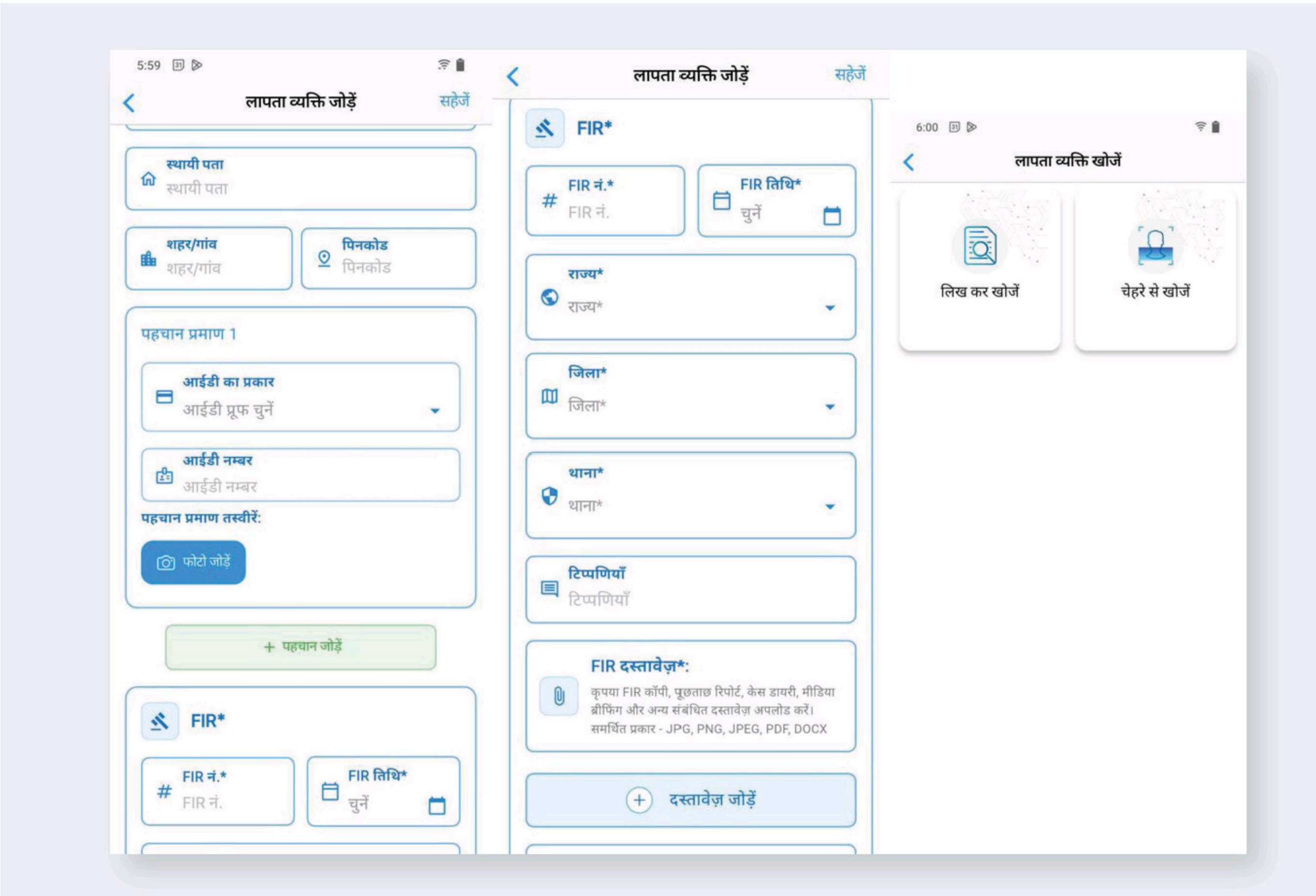

F. मालखाना प्रबंधन-

थाना प्रभारी का दायित्व होगा कि मालखाने से सम्बन्धित समस्त जानकारी को वेब पोर्टल / ऐप में अद्यावधिक रखेंगे ।

मालखाना प्रबंधन जब्त की गयी वस्तुओं का प्रबंधन है। इससे टैग करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि जब्त की गई वस्तुएं सही एफआईआर के साथ जुड़ी हुई हैं और भंडारण के दौरान उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसे करने के लिए कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें –

1. आप पहली बार या मौजूदा एफआईआर जोड़ते समय एक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं
2. पहली बार एफआईआर जोड़ने के बाद, एक बार जब सभी तीन चरण एफआईआर जोड़ें, अपराधी जोड़े और सम्पत्ति जब्ती विवरण जोड़ने की कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी, तो यह आपको सेव करने पर कई विकल्प देगा, उनमें से एक जब्ती के लिए क्यूआर कोड create करना होगा।
3. मौजूदा एफआईआर के लिए क्यूआर कोड बनाने के लिए, "एफआईआर रिकॉर्ड्स" पर जाएं, संबंधित एफआईआर खोजें और एफआईआर विवरण पेज पर, "जब्ती क्यूआर कोड जेनरेट करें" पर क्लिक करें।
4. एक बार QR Code जनरेट हो जाने के बाद, उन्हें जब्त की गई वस्तुओं के ऊपर चिपकायें, जिससे भविष्य में उस QR कोड को स्कैन कर के जब्त हुई वस्तु के बारे में और उससे से संबंधित FIR के बारे में आसानी से जानकारी उपलब्ध हो सके।

5. किसी जब्त सम्पत्ति पर लगे QR Code को स्कैन करने के लिये निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा-

i. iकिसी QR कोड से समन्धित जानकारी जानने के लिए एप्लिकेशन में, 'मलखाना प्रबंधन' / Malkhana Management विकल्प में जाएं।

ii. "सर्च QR" बटन पर क्लिक करें और कैमरा से QR कोड को स्कैन करें ।

स्कैन पूर्ण होने के बाद संबंधित FIR डिटेल के बारे आप को सारी जानकारी मिल जाएगी ।

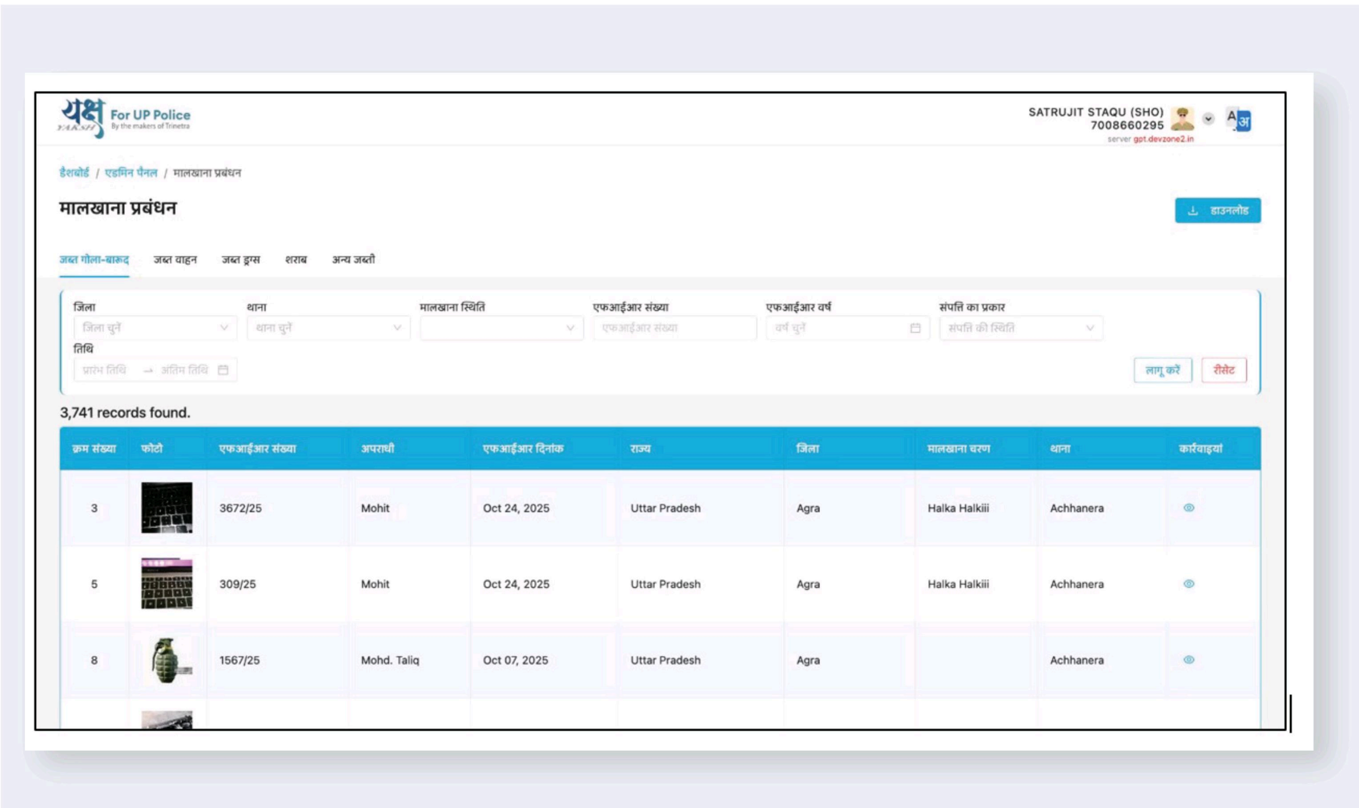

G. क्राइम GPT-

क्राइम GPT (Generative Pre-trained Transformer) एक नई तकनीक है जो अपराध से जुड़े डेटा का विश्लेषण करती है। यह यक्ष ऐप में उपलब्ध है। इसके ज़रिए आप अपराधियों और अपराध से जुड़े सवाल साधारण बातचीत की तरह पूछ सकते हैं। जवाब भी उसी तरह मिलेंगे, जैसे आप किसी से सीधे बात कर रहे हों। इसे इस्तेमाल करने के लिए दिए गए स्टेप्स/चरणों का पालन करना होता है-

1. यक्ष ऐप के होमपेज पर जाएं और वहां से "क्राइम GPT" विकल्प चुनें
2. कृपया उसी पृष्ठ पर खोज करने के लिए दिए गए निर्देशों को पढ़ें, पोस्ट करें और नीचे जाएं और वहां सर्च/खोज बॉक्स में सर्च करें।

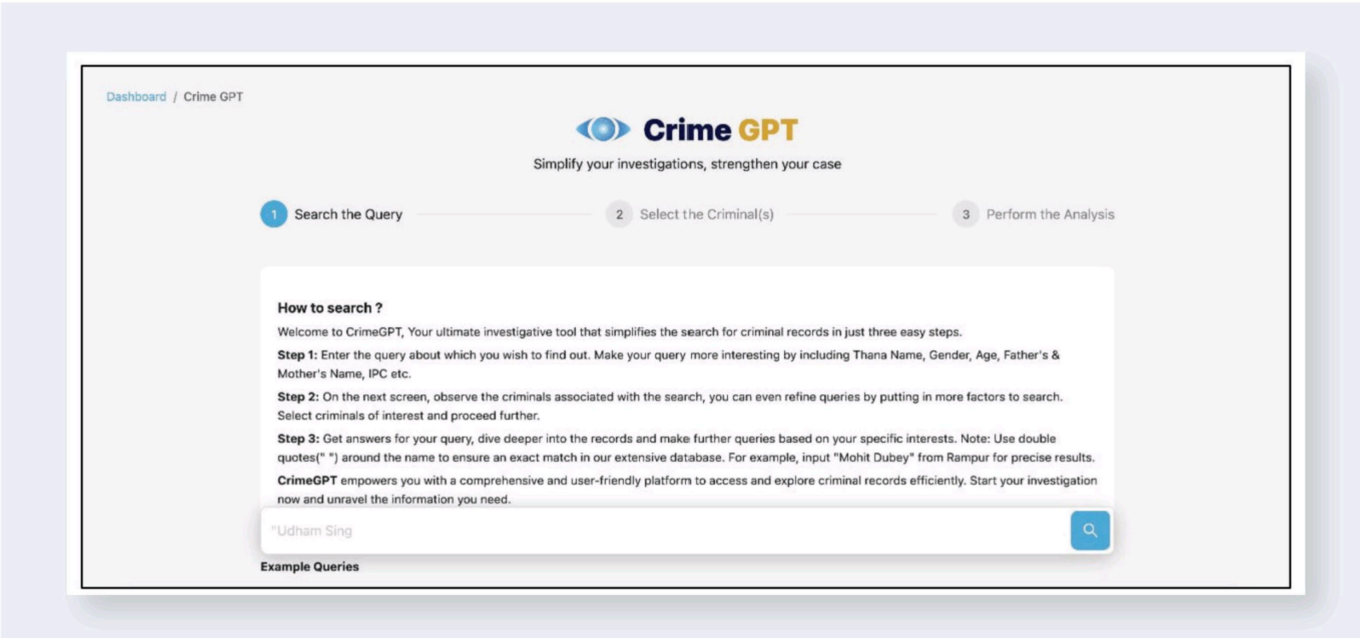

3. सर्च या तो केवल एक आपराधिक नाम या अपराधी से संबंधित प्रश्न के रूप में हो सकती है ।
4. अगले स्क्रीन पर उन अपराधियों की एक सूची दी जाएगी जिन्हें आप आगे के विश्लेषण के लिए शॉर्टलिस्ट / चयन करना चाहते हैं। इन अपराधियों को सेलेक्ट करें ।

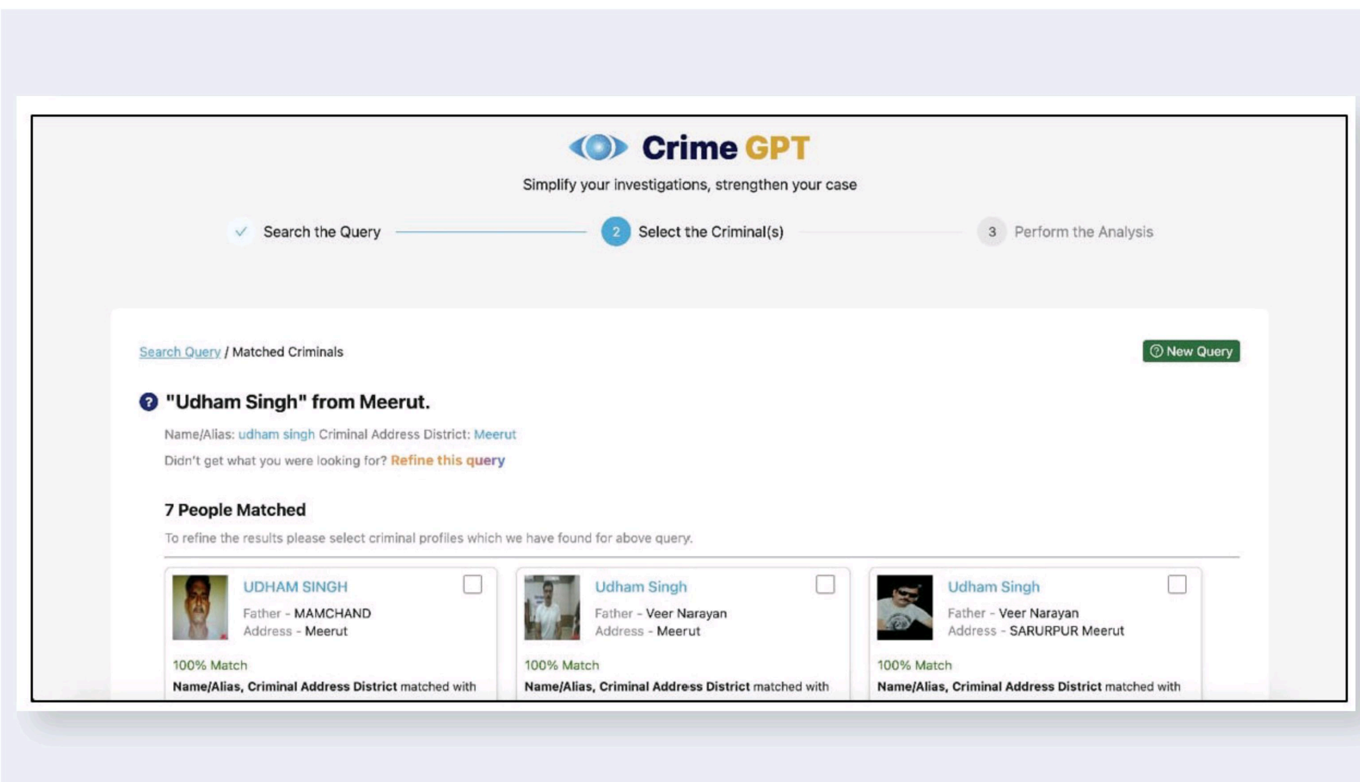

5. सर्च करने पर आपको एक पेज मिलेगा जहाँ छोटा सा जवाब और आसान चार्ट/चित्रों में पूरी जानकारी दिखाएग जैसे की:

i. संबंधित दस्तावेज़ः वह रिकार्ड जो यक्ष ऐप पर अपलोड किए गए, जिनसे AI ने जानकारी ली है।

ii. संबंधित अपराधीः उन अपराधियों की लिस्ट जो FIR या दस्तावेज़ों में मुख्य अपराधियों से जुड़े हुए हैं।

iii. ग्राफ़ः एक चार्ट जो दिखाता है कि कब और कहाँ (थाना/वर्ष के हिसाब से) अपराध ज़्यादा हुए।

iv. सारांशः एक छोटा पैराग्राफ जिसमें पूरे अपराध की जानकारी का संक्षेप दिया जाता है ताकि आसानी से समझा जा सके।

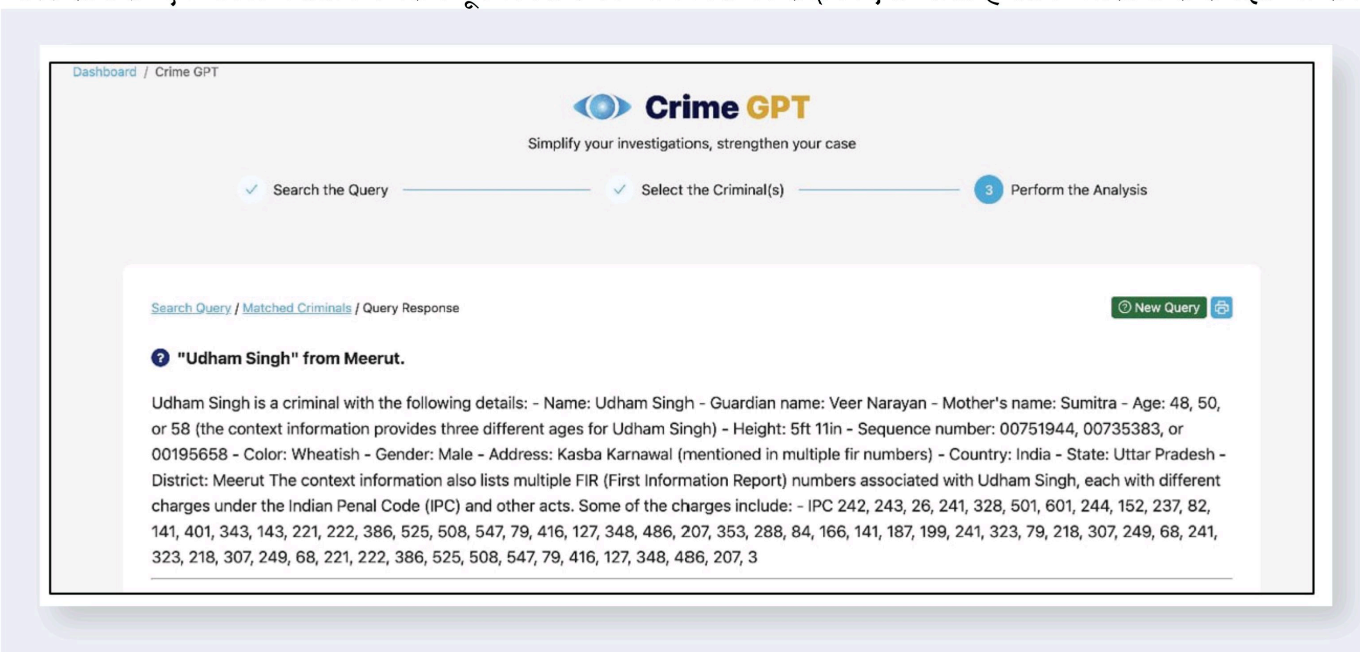

6. आप यक्ष प्लेटफॉर्म पर आपराधिक आईडी, दस्तावेजों और अन्य डेटा के आधार पर अधिक प्रश्न पूछने और प्रतिक्रिया के रूप में उत्तरों का समरी / सारांश प्राप्त करने के लिए "समरी " की बटन दबाएँ या "आस्क फॉलो अप" बॉक्स का इस्तेमाल करे सकते हैं ।

7. चुने हुए अपराधी के बारे में अधिक जानकारी करने के लिए नीचे "आस्क फॉलो अप" बॉक्स में जा कर और प्रश्न भी पूछ सकते हैं ।

नोट- आप नामों, स्थानों को सर्च करने के लिए "" जैसे ऑपरेटरों का उपयोग कर सकते हैं जिनका परिणाम में सटीक मिलान होना आवश्यक है।

(यह आवश्यक है कि CrimeGPT का अच्छा उपयोग तभी सम्भव है जब हमारे द्वारा फीड किया जाना वाले डाटा accurate and specific हो । तभी machine learning process के द्वारा CrimeGPT अत्यन्त उपयोगी होगा।)

H. गैंग एनालिसिस-

यक्ष ऐप एडवांस्ड गैंग एनालिसिस ऑप्शन के साथ आता है, जिससे सभी अपराधी जो एक दूसरे के साथ मिलकर गैंग बनाते हुये अपराध करते हैं को बहुत आसानी से ढूंढा जा सकता है। FIR और दूसरे डॉक्यूमेंट्स को मैन्युअली स्क्रॉल करने के बजाय, यक्ष ऐप AI का इस्तेमाल करके सभी अपराधी जो एक दूसरे के साथ मिलकर अपराध करते हैं उसे एक स्थान पर गैंग के रूप में प्रस्तुत करता हैं जिससे गैंग के विरूद्ध कार्यवाही करने में आसानी हो सकेगी ।

गैंग एनालिसिस करने की प्रक्रिया-

1. "एडमिन पैनल" पर जाएं, वहां से "गैंग एनालिसिस" चुनें
2. "गैंग एनालिसिस" कॉलम के नीचे, अपने क्रिमिनल को जीरो डाउन (zero down) करने के लिए सभी ज़रूरी फिल्टर भरें जैसे ज़ोन, डिस्ट्रिक्ट, रेंज, GRP, क्रिमिनल नेम, क्रिमिनल ID.

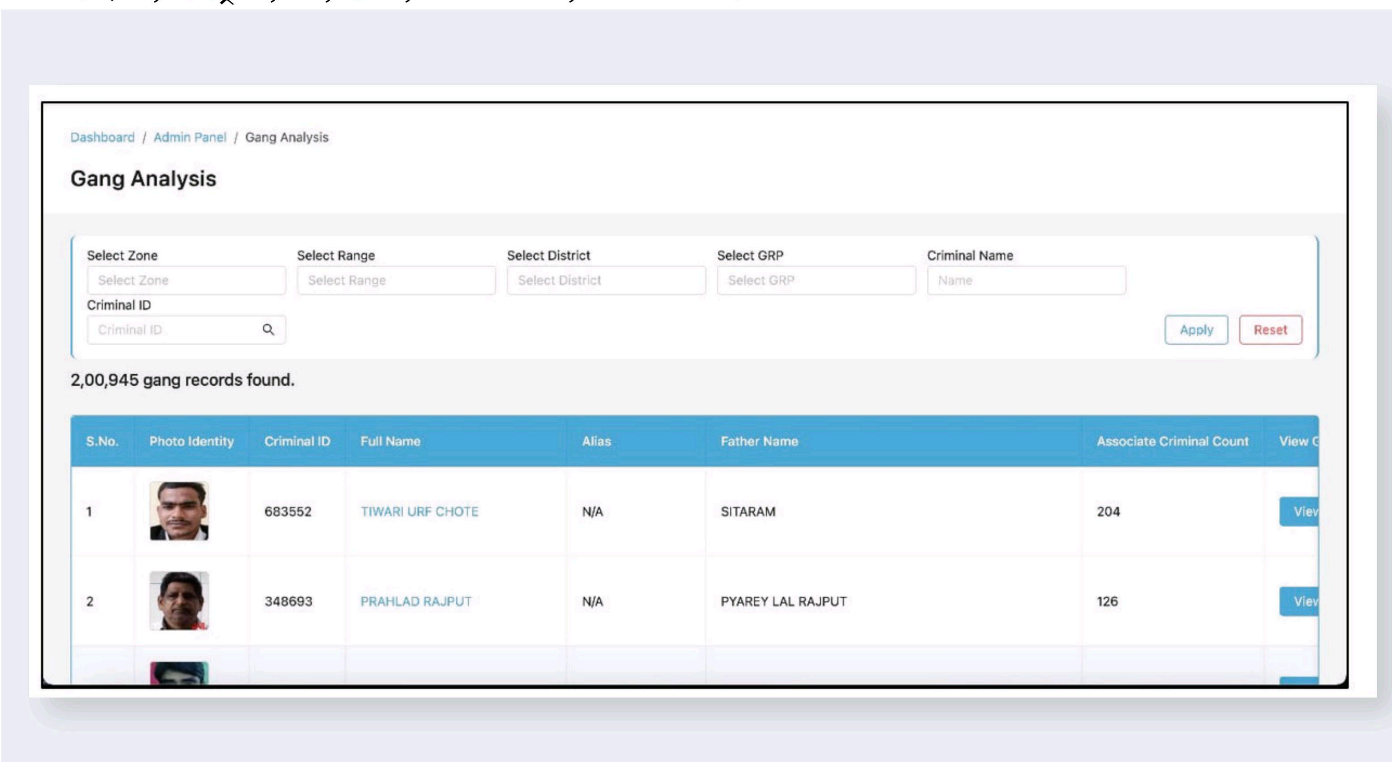

3. जब आपको वह क्रिमिनल मिल जाए जिसमें आपकी दिलचस्पी है, तो "व्यू गैंग्स" के नीचे "व्यू" बटन पर क्लिक करें और क्रिमिनल का गैंग एनालिसिस देखें। आप गैंग के सदस्यों की गिनती, दूसरी डिटेल्स जैसे पूरा नाम, उपनाम, पिता का नाम भी उसी टेबल में देख सकते हैं। क्रिमिनल डिटेल्स देखने के लिए क्रिमिनल ID पर क्लिक करें।

अब आप "ट्री व्यू" और "लिस्ट व्यू" के नीचे डेटा देखें। उन्हें नेटवर्क के तौर पर देखने के लिए ट्री व्यू का इस्तेमाल करें, जबकि डेटा को कॉलम के तौर पर देखने के लिए लिस्ट व्यू का इस्तेमाल करें।

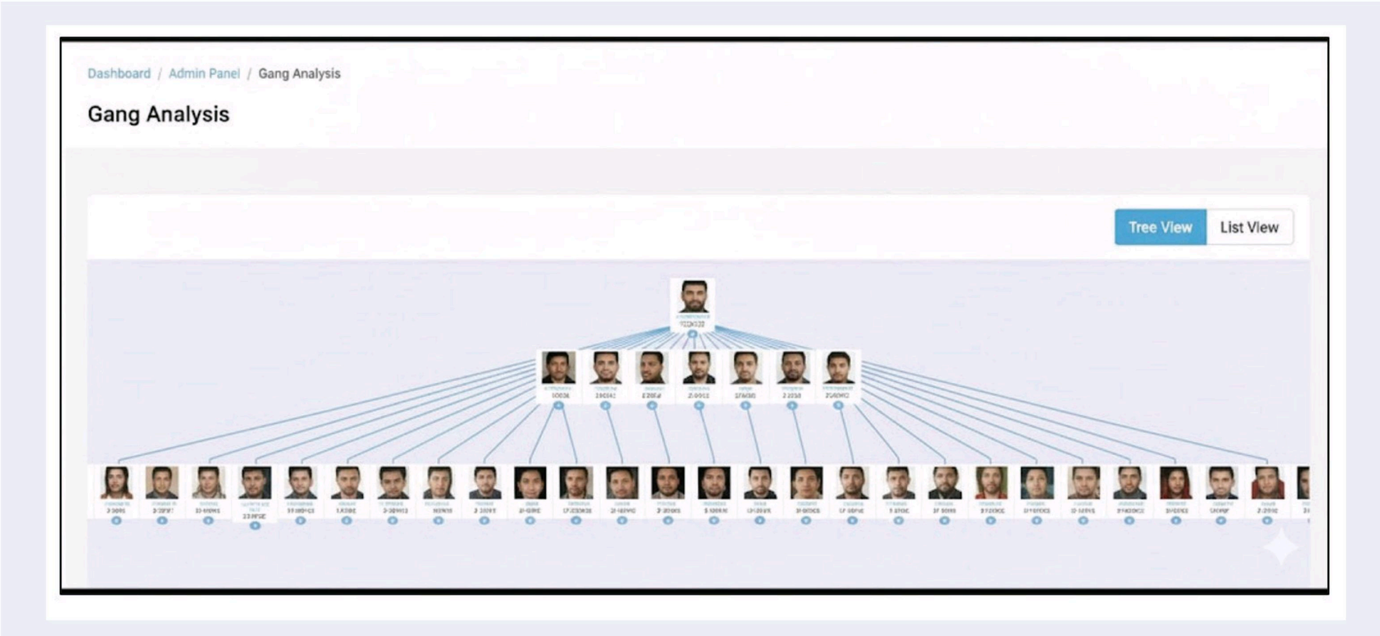

I. अन्य जानकारियाँ भरने हेतु निर्देश-

ऐप में सभी कार्यवाही करने के लिये बड़ा ही यूजर फ्रेन्डली इण्टरफेस बनाया गया है जिसके कारण किसी भी कार्यवाही को पूर्ण करने के लिये किसी तकनीकी दक्षता की आवश्यकता नहीं है । ऐप में जो भी सूचनायें प्रदर्शित होती है वह स्वतः CCTNS से fetch हो जायेगी या manually थाने स्तर पर फीड की जायेगी । कुछ रिक्त कॉलम ऐप में प्रदर्शित होंगे, जो सत्यापन के समय बीट कॉन्सटेबल द्वारा भरा जायेगा ।

J. कलर कोडिंग का विवरण

ऐप में अभियुक्तों की श्रेणी के अनुसार कलर कोडिंग की व्यवस्था की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है-

Sr. No.	Category	Colour Code	सत्यापन हेतु निर्धारित समयसीमा
1	History Sheeter	History Sheeter	प्रत्येक 30 दिवस में
2	Mafia	Mafia	प्रत्येक 30 दिवस में
3	Zila Badar	Zila Badar	प्रत्येक 15 दिवस में
4	Jail	Jail	प्रत्येक 30 दिवस में

5	Rewarded	Rewarded	प्रत्येक 07 दिवस में
6	Wanted	Wanted	प्रत्येक 07 दिवस में
7	Absconding (Lapata)	Absconding (Lapata)	प्रत्येक 07 दिवस में
8	Present- Active	Present- Active	प्रत्येक 15 दिवस में
9	Verification Pending	Verification Pending	-
10	Verification Incomplete	Verification Incomplete	-
11	Death	Death	एक बार
12	Present- In-Active	Present- In-Active	प्रत्येक 60 दिवस में
13	Others	Without colour	प्रत्येक 60 दिवस में

नोट-

1. **उक्त श्रेणी के अपराधियों के सम्बन्ध में वर्णित समय सीमा के अनुसार स्वतः ही सत्यापन हेतु अलर्ट सम्बन्धित पुलिस कर्मी को ऐप में ही प्रदर्शित हो जायेगा ।**

थाना प्रभारी को बीट कर्मियों के लम्बित सत्यापन की सूची मॉनिटरिंग हेतु ऐप पर उपलब्ध रहेगी, थाना प्रभारी सम्बन्धित बीट कर्मी को लम्बित सत्यापन का निस्तारण करने हेतु निर्देशित कर सकेगा ।

K. थाने के टॉप 10 अपराधियों पर निगरानी, सत्यापन एवं कार्यवाही-

यक्ष वेब पोर्टल एवं ऐप में डैशबोर्ड पर अभियुक्तों की उपरोक्त स्कोर निर्धारिण की व्यवस्था की गयी है जिसके अनुसार वर्तमान में अधिकतम स्कोर पाने वाले 10 शीर्ष सक्रिय अपराधियों का विवरण जनपद/सर्किल/थाने स्तर के टॉप- 10 के Icon में प्रदर्शित होने लगेगा । सम्बन्धित अधिकारी का दायित्व होगा अपने स्तर के टॉप- 10 अपराधियों की सतत् निगरानी / सत्यापन एवं नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे ।

L. अन्य विवरण-

अगर सत्यापन के दौरान यह पता लगता है कि अपराधी किसी दूसरे स्थान पर रहता है तो उसका विवरण बीट कर्मचारी द्वारा यक्ष ऐप पर दर्ज करने के उपरान्त सम्बन्धित थाना क्षेत्र में प्रदर्शित होने लगेगा और अपराधी के सत्यापन की कार्यवाही नये बीट कर्मी के ऐप पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रदर्शित होने लगेगा ।

3.3 DCRB स्तर (ऐप/वेब पोर्टल पर अपेक्षित कार्यवाही)-

DCRB प्रभारी को जनपद के थानों के फीड किये गये सभी अपराधियों का डाटा प्रदर्शित होगा, जिसको सत्यापित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

- DCRB स्तर से Yaksh Web Portal पर लॉगिन करने के पश्चात निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी-

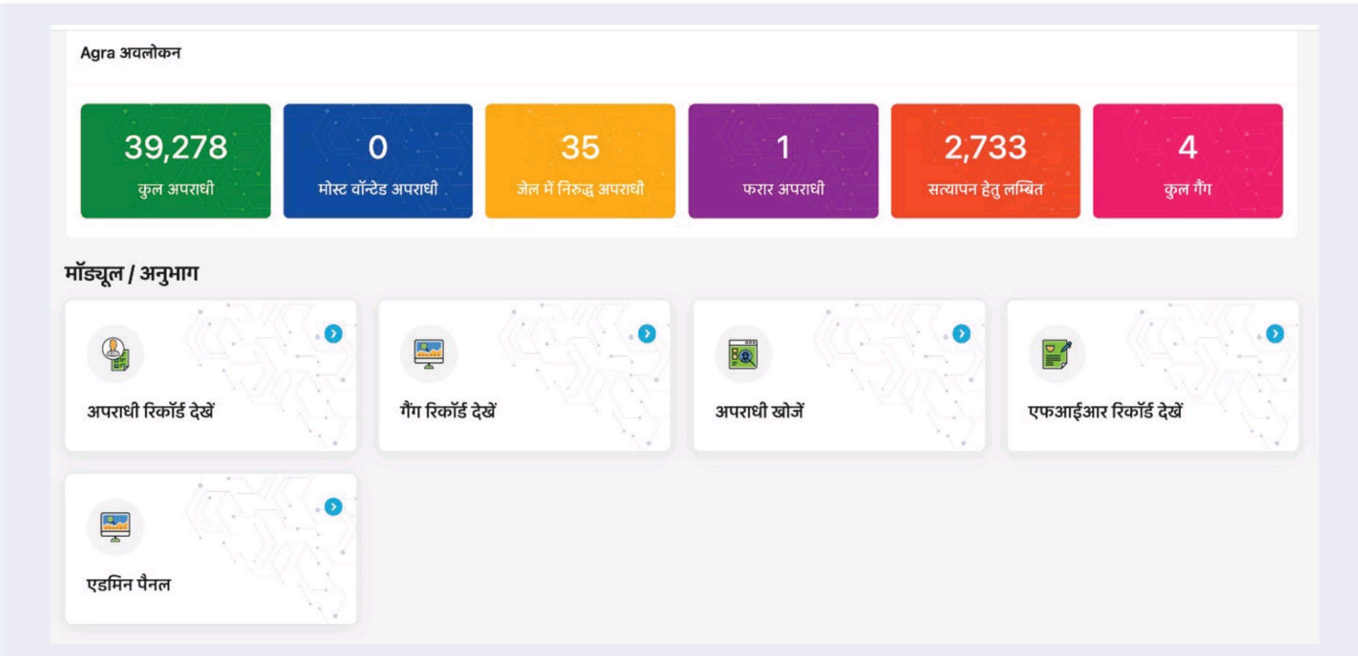

- जनपद, रेन्ज एवं जोन स्तर (ID/IR/IZ/IS) पर जब भी कोई गैंग रजिस्टर की जाती है तो DCRB प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि सभी अपराधियों के डाटा में ID/IR/IZ/IS नम्बर अंकित करते हुये गैंग रजिस्टर करना सुनिश्चित करेंगे ।

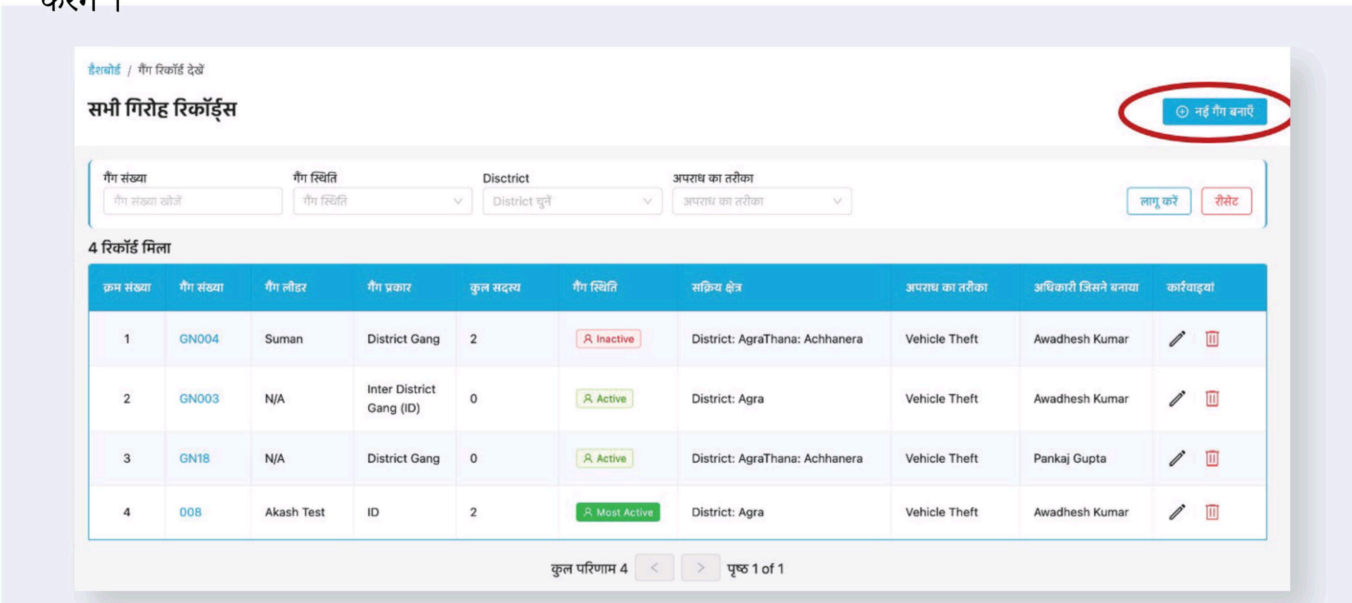

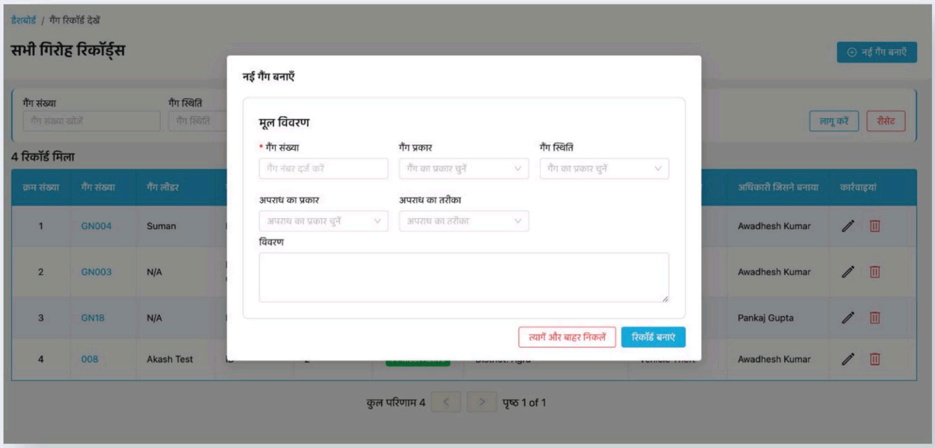

अपराधी का प्रोफाइल खोल के उसको गिरोह से लिंक कर दें।

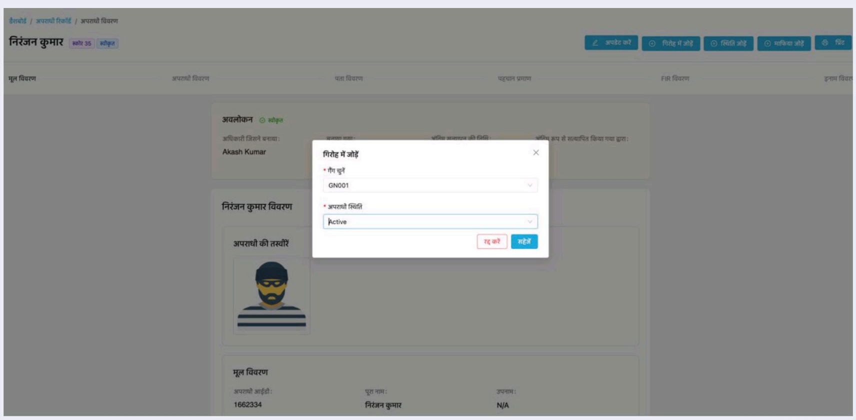

- थाने स्तर पर फीड किये गये अपराधियों के सत्यापन का कार्य-

जब भी थाने स्तर पर गिरफ्तार किये गये अपराधी की डिटेल, वॉयस, फोटो आदि फीड की जाती है तो स्वतः सारी सूचनायें डीसीआरबी को प्रेषित हो जायेगी एवं डीसीआरबी प्रभारी के पोर्टल पर सत्यपान हेतु लम्बित प्रदर्शित होने लगेगा ।

डीसीआरबी प्रभारी का दायित्व होगा कि उपरोक्त सत्यपान हेतु लम्बित Icon पर Click करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि

1. अभियुक्त की जानकारी सही भरी गयी है ।
2. फोटो एवं वॉयस रिकार्डिंग की क्वालिटी उच्च कोटि की है ।
3. कोई महत्वपूर्ण कॉलम अपूर्ण अथवा रिक्त तो नहीं है ।
4. अगर किसी प्रकरण में जब्ती की कार्यवाही की गयी है तो उसका विवरण भरा गया है कि नहीं और उसका QR Code जेनरेट किया गया है अथवा नहीं ।

समस्त जानकारियां चैक करने के उपरान्त डीसीआरबी प्रभारी द्वारा सत्यापन की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी ।

डीसीआरबी प्रभारी का दायित्व होगा कि 03 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे ।

3.4 बीट स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही-

थाने स्तर से बीट आवंटन होने के पश्चात बीट कर्मी को एक मैसेज प्राप्त होगा कि उनका मोबाइल नम्बर यक्ष ऐप में रजिस्टर हो गया है । थानाध्यक्ष एवं थाने के कम्प्यूटर ऑपरेटर का दायित्व होगा कि सभी बीट कर्मियों के मोबाइल पर यक्ष ऐप को Play Store / App Store से डाउनलोड करायेंगे एवं OTP के माध्यम से रजिस्टर कराना सुनिश्चित करेंगे ।

उपरोक्त कार्यवाही नीचे दिये गये स्क्रीनशाट के माध्यम से समझाया जा रहा है-

1. यक्ष ऐप में अपने रजिस्टर नंबर से OTP के माध्यम से लॉगिन करें।

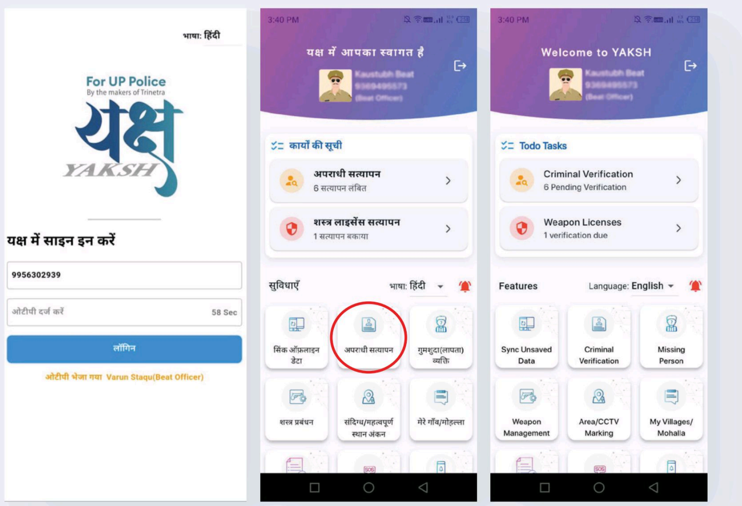

2. अपराधी सत्यापन पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगा

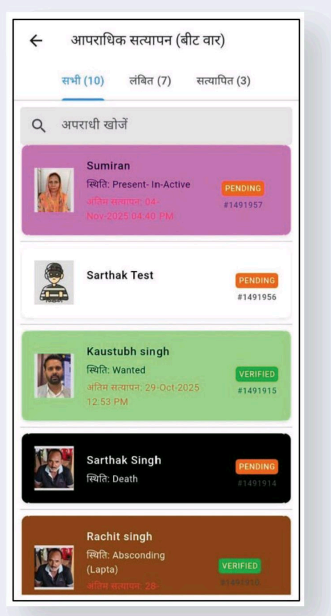

बीट सुचना

सत्यापन Icon खुलने के पश्चात बीट कर्मी के कार्यक्षेत्र के सभी अपराधी प्रदर्शित होने लगेंगे । बीट कर्मी का दायित्व होगा कि प्रत्येक अपराधी पर Click करके सभी सूचनाओं को अद्यावधिक करने की कार्यवाही पूर्ण करेंगे । साथ ही अपराधी के निवास स्थान पर जाकर जीओटैगिंग करना सुनिश्चित करेंगे । सभी कार्यवाही करने के लिये बड़ा ही सरल यूजर फ्रेन्डली इण्टरफेस बनाया गया है जिसके कारण किसी भी कार्यवाही को पूर्ण करने के लिये किसी तकनीकी दक्षता की आवश्यकता नहीं है ।

- अगर बीट कर्मी अपराधी के सत्यापन के समय किसी ऐसे गांव में जाता है जहाँ पर इण्टरनेट की सुविधा नही है तो बीट कर्मचारी ऐप मे ऑफलाइन मोट से सत्यापन कर सकते है और बाद में इण्टनेट के माधय्म से उसको सिंक करा सकते हैं।
- अगर किसी बीट में एक से अधिक कर्मी नियुक्त है तो दोनों की ID पर सत्यापन हेतु अपराधियों की सूची प्रदर्शित होगी तो ऐसी दशा में आपसी समन्वय से किसी भी कर्मी द्वारा अपराधियों का सत्यापन की कार्यवाही की जा सकती है ।
- सत्यापन हेतु लम्बित अपराधी का सत्यापन एक से अधिक पतों से किया जाना है तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित बीट कर्मी को आवंटित क्षेत्र के पते पर ही सत्यापन की कार्यवाही की जानी है ।
- गर किसी बीट कर्मी का स्थानान्तरण एक थाने से दूसरे थाने अथवा दूसरे बीट में होता है तो थाना प्रभारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित कर्मी की रवानगी के साथ ही उसको आवंटित बीट का आवंटन थाने में नियुक्त अन्य कर्मी को करना सुनिश्चित करेगा, किसी भी दशा में बीट को रिक्त नहीं रखा जायेगा ।
- उक्त कलर कोडिंग एवं अभियुक्तों के स्कोर के अनुसार वरियता के क्रम सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी ।
- अपराध की जघन्यता के आधार पर कलर कोडिंग एवं स्कोरिंग की व्यवस्था यक्ष ऐप में की गयी है । जिसके कारण गम्भीर प्रकृति के अपराधियों के सत्यापन के सम्बन्ध में एक निश्चित अन्तराल पर बीट कर्मी के ऐप में सत्यापन हेतु अलर्ट प्राप्त होगा, जिसके प्राप्त होने पर प्रत्येक बार बीट कर्मी के द्वारा सत्यापन की कार्यवाही करनी होगी ।
- फेस सर्च- बीट कर्मी को यदि संदिग्ध के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है तो वह उसकी फोटो व अन्य जानकारी थाना प्रभारी को उपलब्ध करायेगा जिसके आधार पर थाना प्रभारी यक्ष ऐप के माध्यम से संदिग्ध व्यक्ति को डाटाबेस में सर्च कर जानकारी प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करेगा ।

3. शस्त्र प्रबंधन (Weapon Management) Icon पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगा-

सभी बीट कर्मी अपने बीट क्षेत्र में निवास करने वाले शस्त्रधारकों का विवरण निम्न स्क्रीनशॉट के अनुसार सत्यापित करेंगे, सत्यापन के दौरान यदि किसी ऐसे शस्त्रधारक की जानकारी प्राप्त होती है जिसका विवरण ऐप में नहीं है तो इस सम्बन्ध थानाध्यक्ष को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । जिससे शस्त्रों एवं कारतूसों के सम्बन्ध में जानकारी अद्यावधिक की जा सके एवं कारतूसों का अवैध उपयोग पर प्रभावी अंकुश लग सके ।

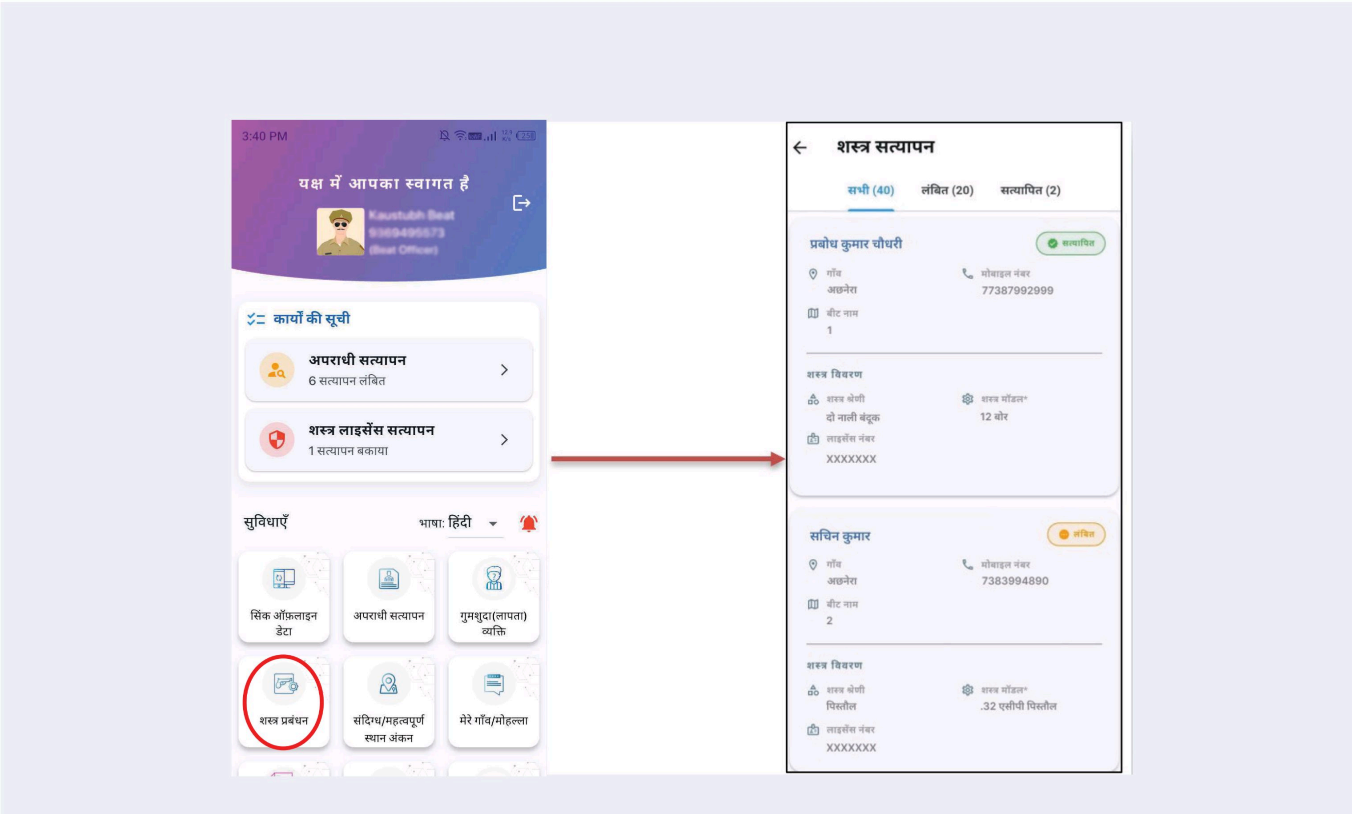

4. क्षेत्र/सीसीटीवी अंकन (Area/CCTV Marking) Icon पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगा-

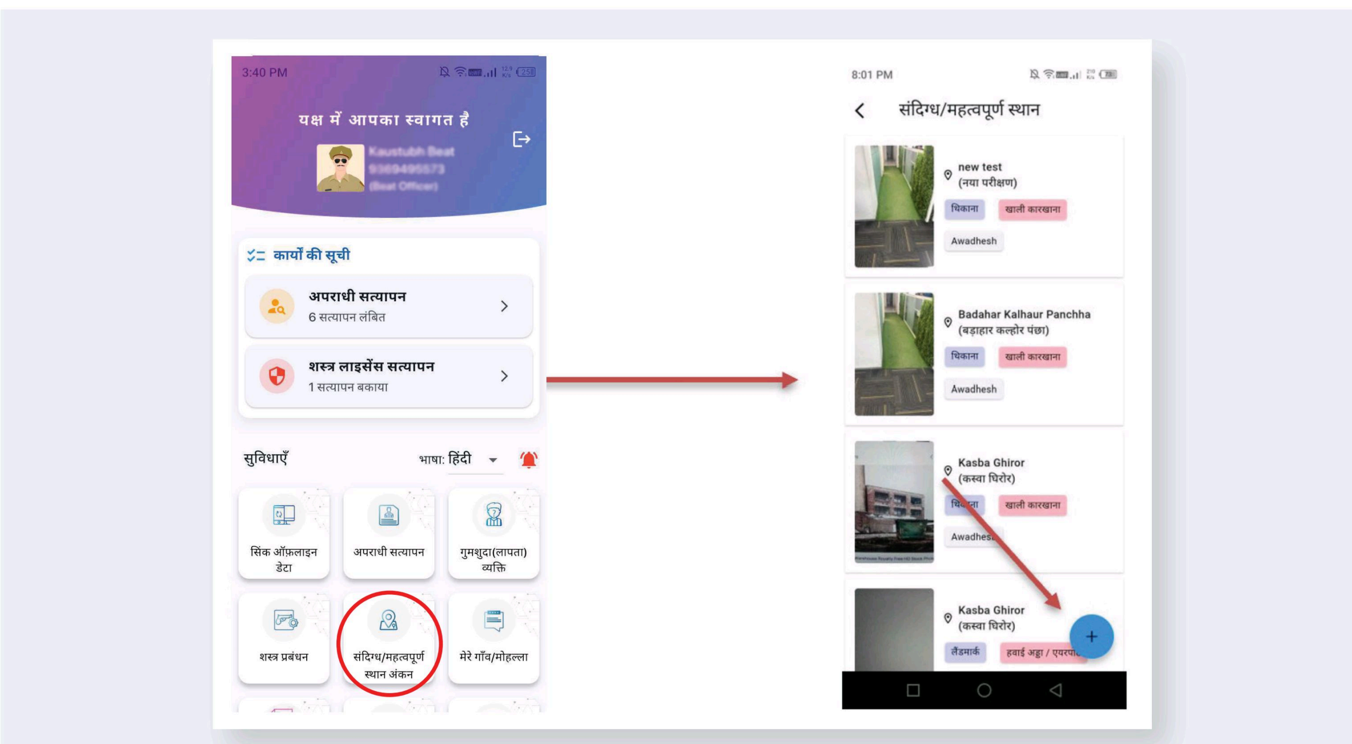

थाना क्षेत्र/सीसीटीवी रिकार्ड की स्क्रीन पर + के Icon पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी-

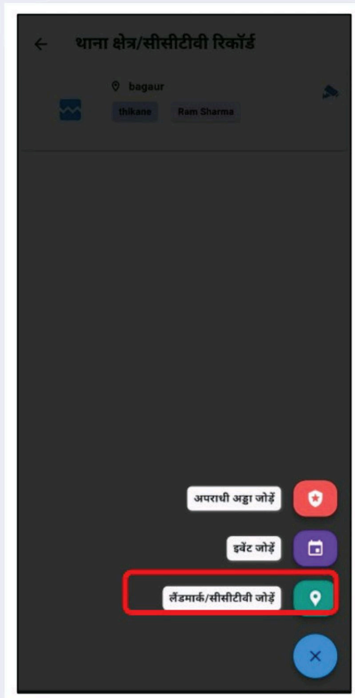

जिसमें अपराधी अड्डा जोड़े, इवेंट जोड़े तथा लैडमार्क/सीसीटीवी जोड़े के विकल्प प्रदर्शित होगें । लैडमार्क/सीसीटीवी जोड़े के विकल्प पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी-

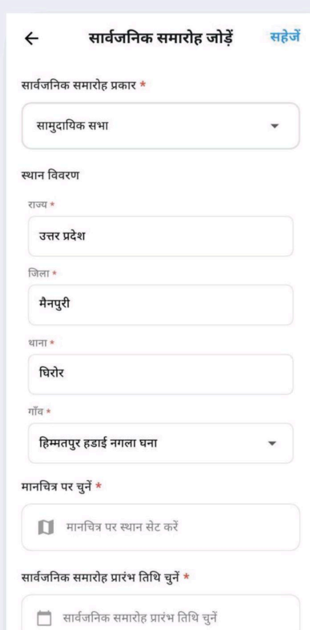

उक्त स्क्रीन में प्रदर्शित हो रहे फील्डस को भरने के पश्चात लैडमार्क/सीसीटीवी जोड़ने की कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी । अपराधी अड्डा जोड़ेने तथा इवेंट जोड़ने की कार्यवाही भी लैडमार्क/सीसीटीवी जोड़ने की कार्यवाही की तरह सम्पादित की जायेगी ।

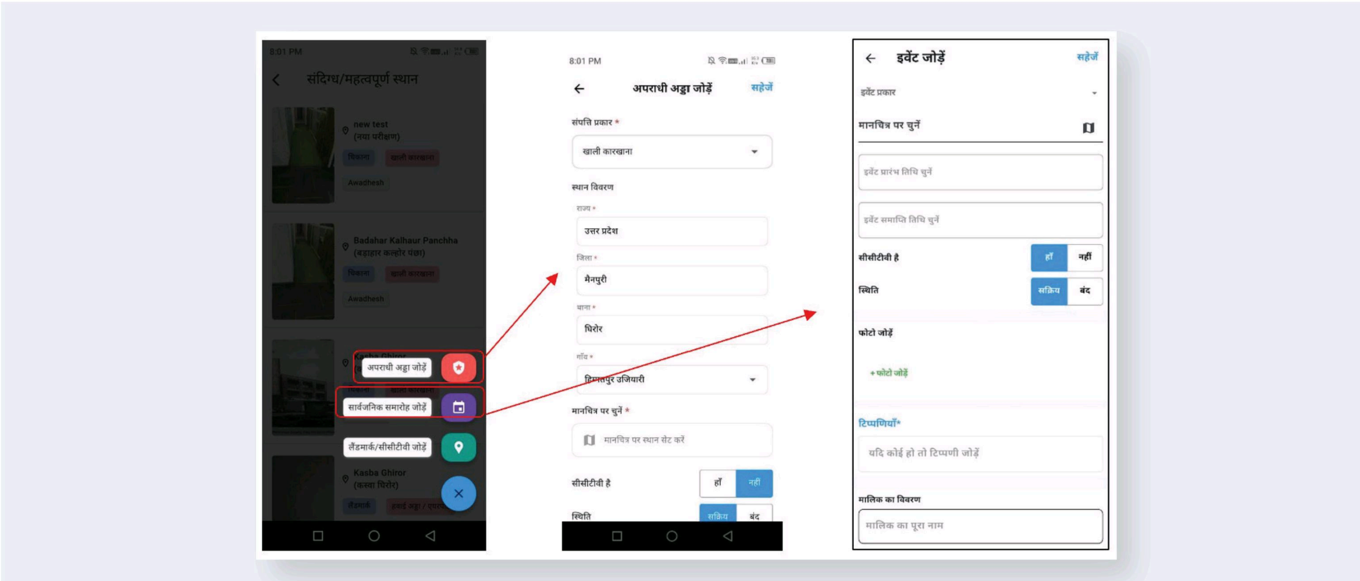

5 गुमशुदा व्यक्ति- बीट कर्मी को अपने बीट से सम्बन्धित गुमशुदा व्यक्ति का विवरण स्वतः ही सीसीटीएनएस से Fetch होकर ऐप पर प्रदर्शित होने लगेगा । सम्बन्धित बीट कर्मी की जिम्मेदारी होगी कि अपनी बीट क्षेत्र में गुमशुदा व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर ऐप में टिप्पणी करेगा एवं थाने में वापसी के समय सीसीटीएनएस में गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी को अध्यावधिक करायेगा ।

6. SOS Icon - कुछ ऐसे बीट सम्बन्धी व्यक्ति, क्षेत्र सम्बन्धी सूचना एवं बीट की गतिविधियों की जानकारी विभिन्न स्तर से वांछनीय होती है । ऐसे व्यक्ति/क्षेत्र/गतिविधियों के सम्बन्ध में बीट कर्मियों को इस Icon के माध्यम से अलर्ट जारी की जायेगी । जिसके सम्बन्ध में निरन्तर निगरानी करने की आवश्यकता होगी एवं लाभप्रद सूचना को अंकित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित बीट कर्मी एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षण अधिकारी की होगी ।

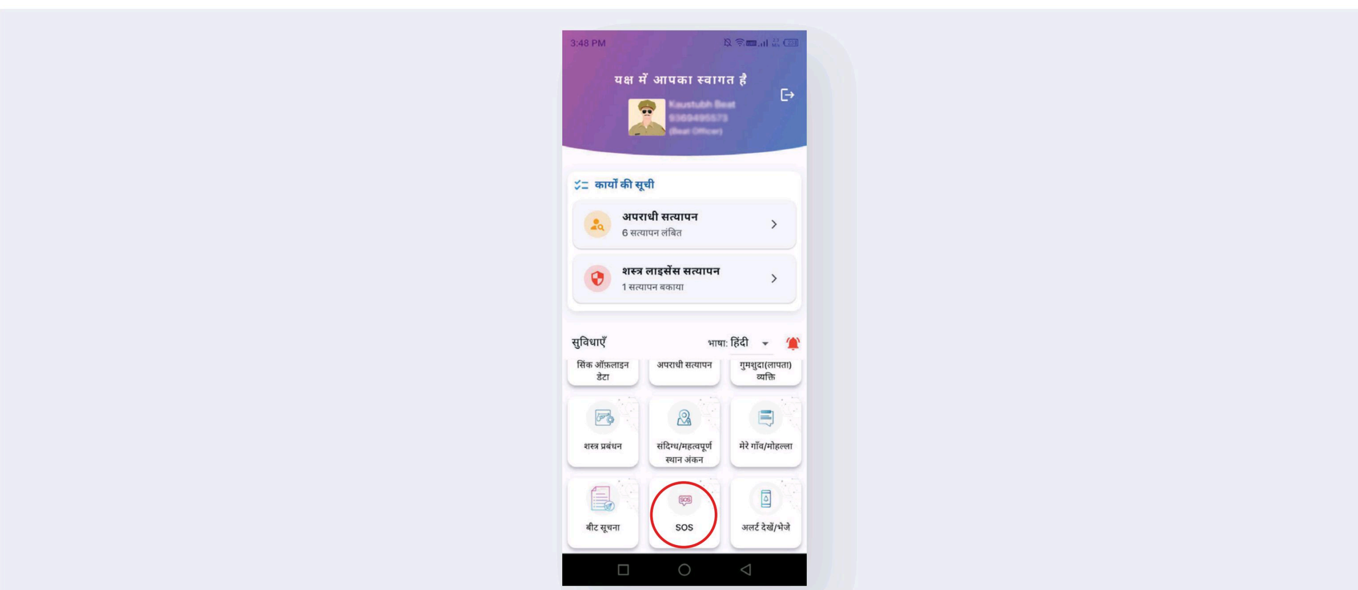

7. बीट सूचना आईकन- बीट कर्मी को अपराधियों के सत्यापन के दौरान अगर कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आता है जो अपराध की रोकथाम या अपराधी के मॉडस ऑपरेण्डी (Modus Operandi) या उसके सहयोगी के बारे में या उसकी किसी सन्देहासपद गतिविधि के बारे में हो तो यह जानकारी बीट कर्मी ऐप में टिप्पणी के कॉलम में दर्ज करेगा ।

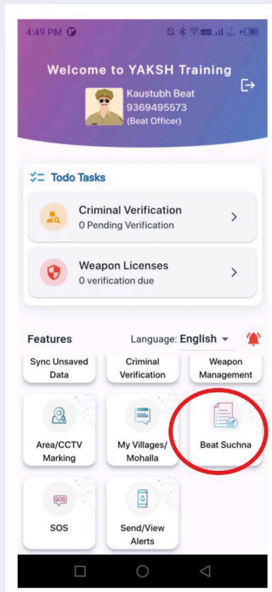

3.5 CO / Addl SP एवं SP स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही

a. लॉगिन एवं सेटअप-

- CO/Addl. SP/SP के पर्यवेक्षण हेतु यक्ष वेब पोर्टल/ऐप में अलग अलग डैशबोर्ड विकसित किया गया है । सर्वप्रथम CO/Addl. SP/SP yaksh.ai के कम्प्यूटर पर खोलेंगे और अपने रजिस्टर्ड CUG No से OTP द्वारा लॉगिन करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगा-

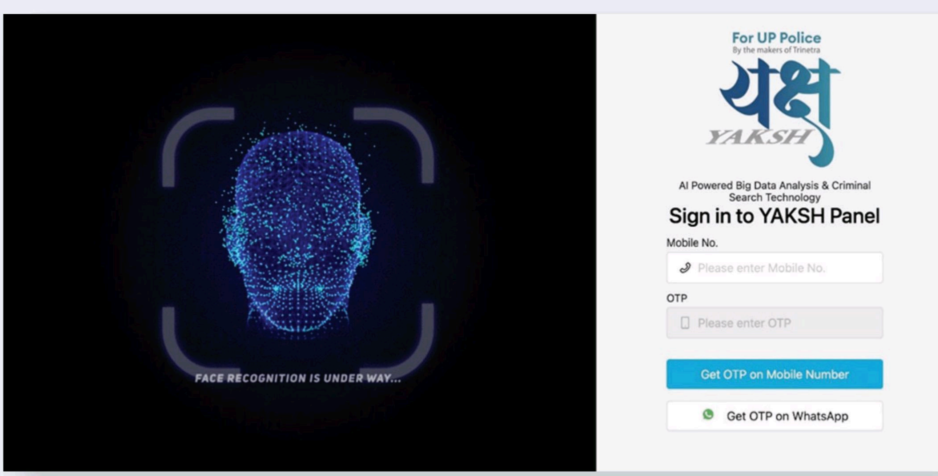

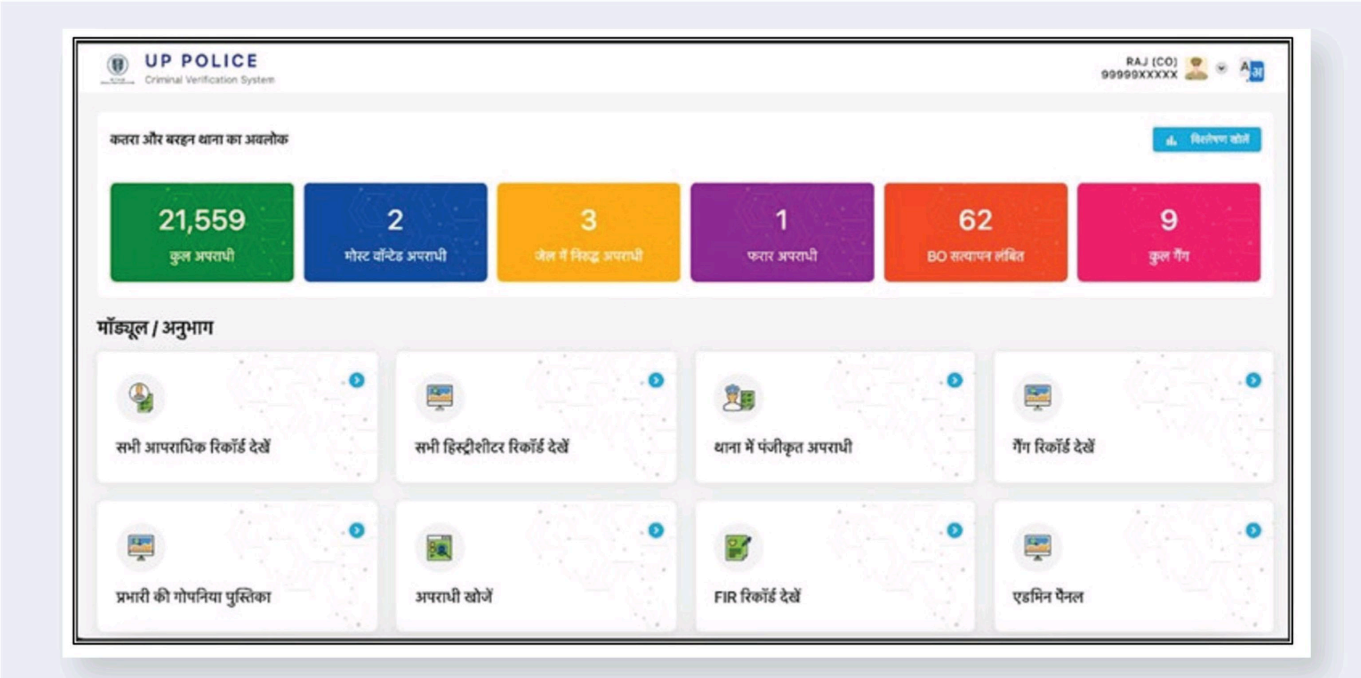

लॉगिन करने के उपरान्त क्षेत्राधिकारी को अपने सर्किल से सम्बन्धित थानें, Addl. SP को अपने क्षेत्र से सम्बन्धित थाने एवं SP को अपने सम्पूर्ण जनपद के थानें का रिकार्ड एवं अपेक्षित कार्यवाही हेतु Icon प्रदर्शित हो जायेगी ।

उपरोक्त व्यवस्था पर्यवेक्षणीय कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये CO/Addl. SP/SP स्तर पर डैशबोर्ड विकसित की गयी है । सभी राजपत्रित अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस ऐप को अपने मोबाइल / वेब पोर्टल को ऑफिस के कम्प्यूटर पर खोलकर निरन्तर पर्यवेक्षण करते हुये यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कार्यवाही लम्बित न रहे और समय समय पर अपने स्तर से विभिन्न प्रकार के अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे ताकि अपराध एवं अपराधियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके ।

b. पर्यवेक्षणीय कार्यवाहियां-

- सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक थाने के प्रत्येक गांव / मोहल्लों का विवरण बीटवार एवं समस्त पुलिस कर्मियों का डाटा, सीयूजी/मोबाइल नम्बर सही अंकित कर बीट आवटंन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ।
- यह सुनिश्चित किया जाये कि जो भी अपराधी पकड़े गिरफ्तार किये जा रहे हैं उनका फोटो, वॉयस एवं अन्य जानकारियां शुद्ध तरीके से अपलोड की जाये ।
- अपने अपने क्षेत्रों के हिस्ट्रीशीटरो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना
- प्रत्येक स्तर पर टॉप 10 अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही
- अपराधियों का Periodic verification
- समय समय पर गैंग/माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही
- शस्त्रो का सत्यापन

- गुमशुदा व्यक्ति एवं अज्ञात शवों के सिनाख्त की कार्यवाही
- संदिग्धों की पहचान (Facial, Voice, Text search) करते हुये घटना का अनावरण
- मालखाना प्रबंधन के सम्बन्ध में पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्य
- ऐप में विभिन्न कार्यों के लिये समयसीमा निर्धारित है । इनमें डिफाल्ट होने पर/ डिफाल्ट होने से कुछ दिन पूर्व सम्बन्धित कार्य ऐप में Blink करता हुआ प्रदर्शित होगा, जिन्हे पर्यवेक्षणीय अधिकारी को समय से पूर्ण कराना होगा ।

4. अपराधियों के पहचान के सम्बन्ध में जाने वाली प्रक्रिया-

यक्ष ऐप में निम्न तरीकों से अपराधियों को सर्च किया जा सकता है-

4.1 **फेस सर्च**- यह ऐप फेस के माध्यम से अपराधियों को खोजने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, आप कैमरे से अपराधी या संदिग्ध की एक फोटो लेते हैं और ऐप स्वतः ही उस संभावित अपराधी का नाम और पूरी जानकारी प्रदर्शित करता है। प्रक्रिया निम्नवत है-

i. इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आप को यक्ष ऐप के "सर्च क्रिमिनल" सेक्शन में जाना होगा।

ii. वहाँ आप को फेस सर्च का फीचर दिखेगा।

iii. इस फीचर के माध्यम से आप कोई तस्वीर या तो कैमरे से या गैलरी से अपलोड कर सकेंगे।

iv. ऐप सारे रिकॉर्ड में से ढूँढ कर संभावित अपराधी का नाम और पूरी जानकारी आपको दिखाएगा।

v. मैच होने के बाद चार अलग अलग स्कोर स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे- Best, Good, Average, Poor.

4.2 **ऑडियो सर्च**- आडियो सर्च के माध्यम से आप किसी अपराधी की आवाज रिकॉर्ड करके या ऑडियो अपलोड करके पूरे राज्य के अपराधियों के डाटा से मिलान कर सकते हैं। यह ऑडियो सर्च आपको तुरंत यह पता लगाने की सुविधा देता है कि वह आवाज किस अपराधी से मिलती है। इसके बाद ऐप उस अपराधी की पूरी जानकारी दिखा देता है। प्रक्रिया निम्नवत है-

i. इसके लिए आप क्रिमिनल या संदिग्ध की कोई आवाज़ फ़ोन के माइक से या गैलरी से अपलोड करनी होगी। ध्यान रहे की आप उसी आवाज़ को अपलोड करें जिसमे सिर्फ़ संदिग्ध की ही आवाज़ हो और कोई दूसरा इंसान ना बोल रहा हो।

ii. ये आवाज़ 15 सेकंड या उससे अधिक की होनी चाहिये।

iii. अगर आप को लगता है की संदिग्ध की आवाज़ के साथ पृष्ठभूमि को कोई और दूसरी ध्वनि भी रिकॉर्ड हो गई है जैसे पीछे बज रहे लाउडस्पीकर, बस, ट्रेन इत्यादि की ध्वनि, तो आप "Noise removal" फीचर से उस को हटा सकते हैं। हालाँकि अगर कोई दूसरी ध्वनि ना हो तो इस फीचर का इस्तेमाल ना करें।

iv. इसके बाद रिकॉर्ड किए हुई ध्वनि को "सर्च क्रिमिनल " बटन के माध्यम से सर्च कर सकते हैं।

v. आपको उसी पेज पर “ऑडियो सर्च रिजल्ट्स” नाम के सेक्शन में नतीजे दिखेंगे। ये रिजल्ट्स चार हिस्सों में बांटे जाएंगे — Best, Good, Average, Poor.

vi. यक्ष ऐप उसके बाद आप को उन सारे अपराधियों की लिस्ट दिखाएगा जिनकी आवाज़ पूछी गई आवाज़ से मेल खाती हैं।

4.3 टेक्सट सर्च- टेक्सट सर्च का इस्तेमाल अपराधी को पहचानने में किया जा सकता है। इसके लिए आप अलग-अलग बातों की मदद ले सकते हैं, जैसे- नाम, पता, पिता का नाम, पहचान पत्र (आईडी), फोन नंबर, रंग, शक्ल-सूरत, कद, एफआईआर नंबर, किस तरह का अपराध किया है (अपराध की श्रेणी) ।

4.4 सर्च (Criminal Search)-

- थाना स्तर पर अपराधियों को सर्च करने के लिये अपराधी खोजें के Icon पर Click करना होगा-

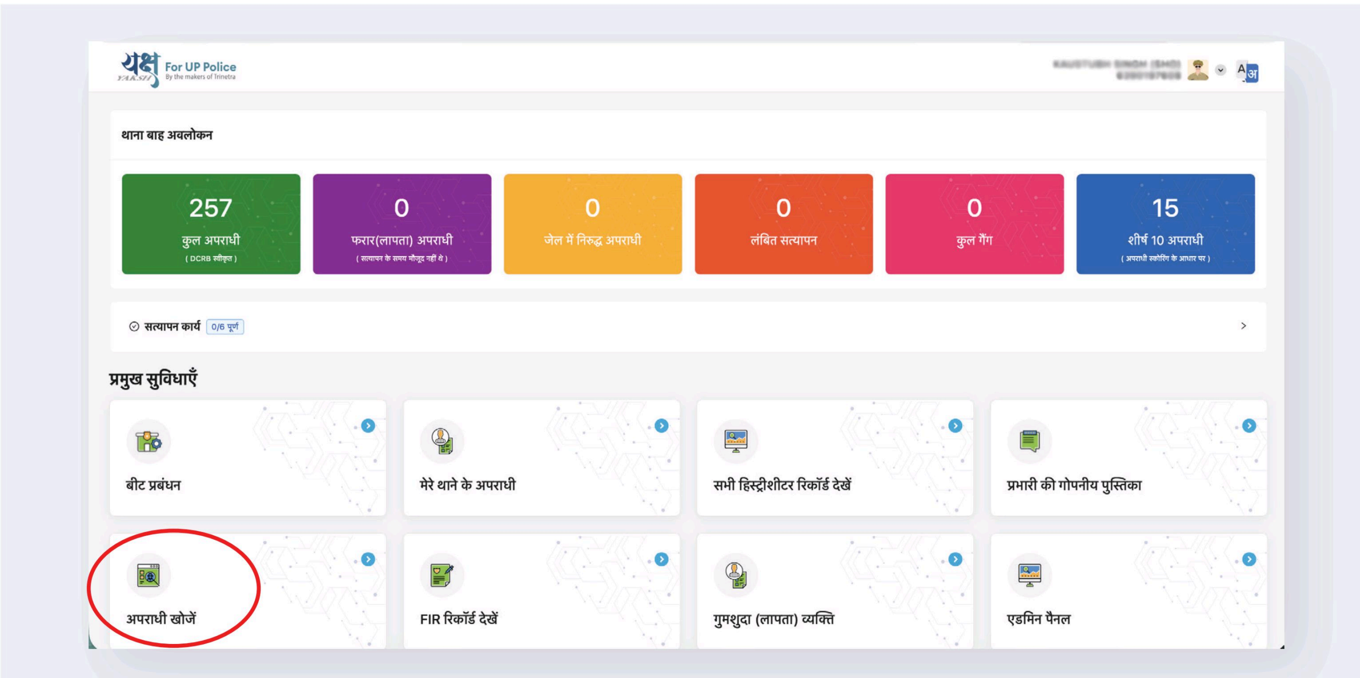

- अपराधी खोजें के Icon पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगा-

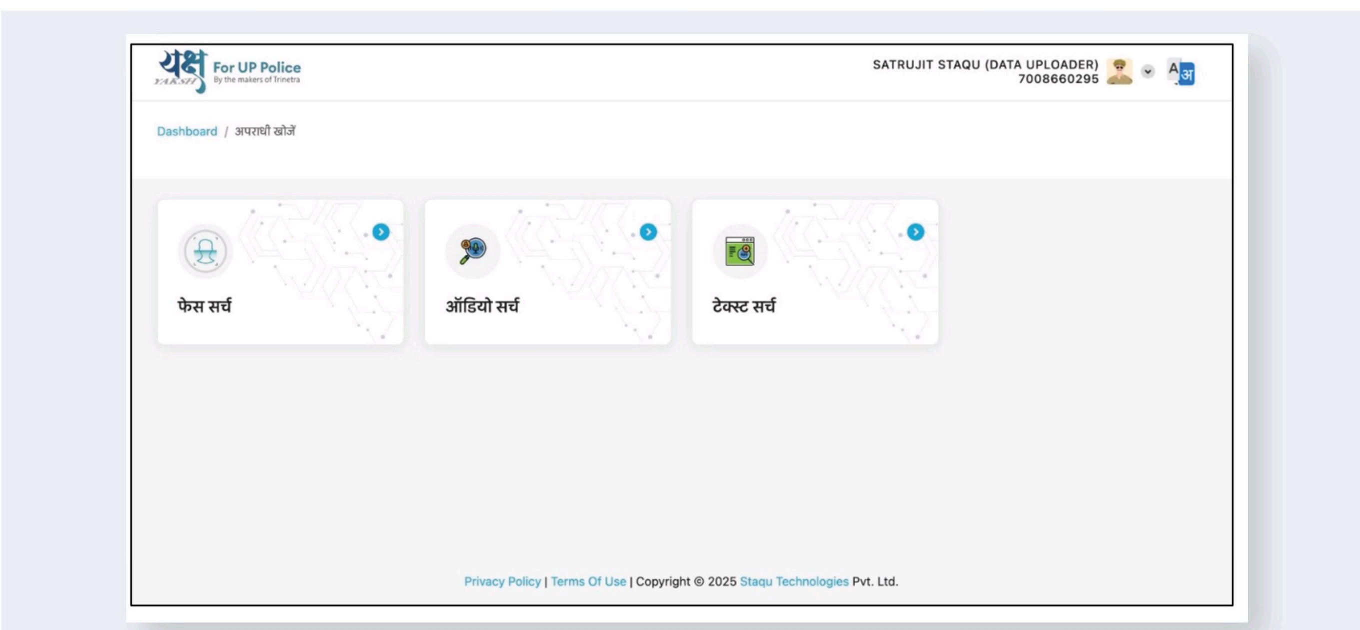

- अपराधी के नाम से अपराधी को सर्च करने के लिये टेक्टस सर्च पर के Icon पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी-

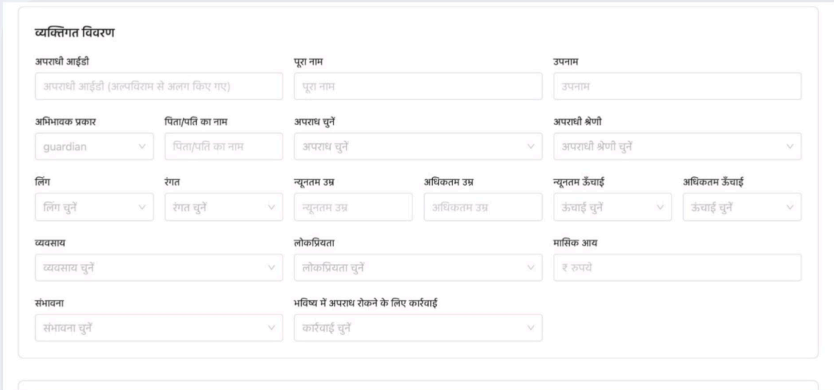

- अपराधी के फोटो से अपराधी को सर्च करने के लिये फेस सर्च Icon पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी-

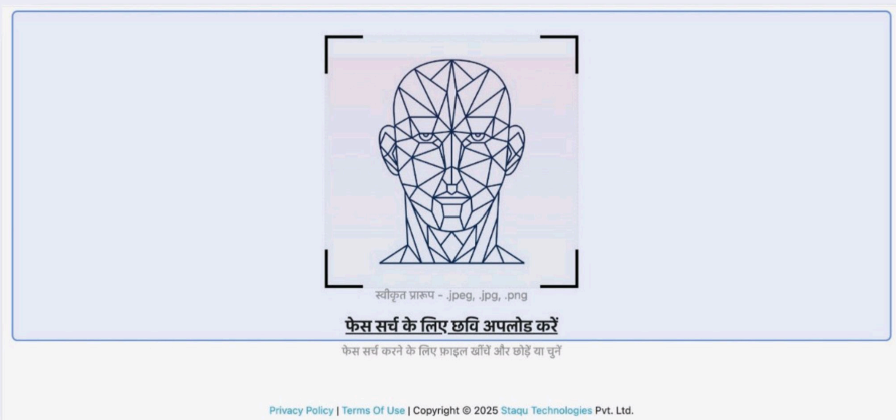

- अपराधी की वॉयस रिकार्डिंग से अपराधी को सर्च करने के लिये ऑडियो सर्च Icon पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी-

4.4 वाहन सर्च (Vehicle Search)- यक्ष ऐप में संदिग्ध वाहनों को सर्च करने की व्यवस्था प्रदान की गयी है । कहीं भी कोई संदिग्ध वाहन दिखता है तो वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर / चेचिस नम्बर / इन्जन नम्बर एवं वाहन के प्रकार के माध्यम से वाहन एवं वाहन स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है ।

5. ऐप के संचालन में आने वाली समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में-

- ऐप से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु त्रिस्तरीय व्हाट्सएप ग्रुप का गठन किया जाएगा। (थाना स्तर पर उत्पन्न ऐप संबंधी समस्या > जनपद स्तर द्वारा समाधान > समाधान न होने पर जोन स्तर को अग्रसारण > जोन स्तर पर भी समाधान संभव न होने की स्थिति में मुख्यालय स्तर द्वारा अंतिम निस्तारण)
- उपयोगकर्ता अपनी समस्याओं एवं सुझावों को ऐप में उपलब्ध कमेंट बॉक्स के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे।
- तकनीकी सहायता हेतु उपयोगकर्ता कंट्रोल रूम द्वारा उपलब्ध कराए गए अपने जोन के टेलीफोन नंबरों पर संपर्क कर सकेंगे।
- प्राप्त समस्याओं का स्तरवार परीक्षण एवं समाधान संबंधित तकनीकी टीम द्वारा किया जाएगा।
- गंभीर तकनीकी समस्याओं को उच्च स्तर पर एस्केलेट कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

6. कारागार

- जेल में यूटीएमएस (Under Trial Management System) प्रचलित है। वर्ष 2013 से अब तक जो भी अपराधी जेल गये हैं अथवा विचाराधीन न्यायालय है उनके डाटा प्राप्त कर थानावार अपलोड करा दिया गया है।
- जेल में कैदी निरूद्ध हैं अथवा बाहर हैं, उनसे संबंधित रियल टाइम सूचना ऐप में उपलब्ध रहेगी । इससे जनपद स्तर के अधिकारी को अपराधियों की खोजबीन एवं धरपकड़ में सहूलियत मिलेगी।
- अगर किसी अपराधी के किन्हीं कारणों से फोटो, वॉयस आदि का सैम्पल ना लिया गया हो तो सम्बन्धित थाना प्रभारी जेल प्रभारी से सामन्जस्य बैठाते हुये THE CRIMINAL PROCEDURE (IDENTIFICATION) ACT, 2022 के अनुसार समस्त डाटा फीड करा सकते हैं ।

सभी जिला प्रमुखों से अपेक्षा की जाती है कि अपने कार्यक्षेत्र में जेल के अधिकारियों से सामन्जस्य बैठाते हुये जमानत पर छूटने वाले समस्त कैदियों का डाटा UTMS पर अपडेट रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

7. कण्ट्रोल रूम-

यक्ष ऐप के सफल संचालन, तकनीकी सहायता एवं पर्यवेक्षण हेतु अपराध शाखा, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में एक समर्पित कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिसमें निम्न अधिकारी/ कर्मचारीगण की नियुक्ति की जा रही है-

1 - पुलिस उपाधीक्षक-पर्यवेक्षण अधिकारी, मुख्यालय लखनऊ उ०प्र०।

2 - निरीक्षक/ उ0नि0 कंट्रोलरूम इंचार्ज, मुख्यालय लखनऊ उ०प्र० ।

3 - नामित साफ्टेवेय कम्पनी के इजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट हेतु ।

यक्ष कंट्रोल रूम को 08 जोनों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रत्येक जोन से 01 निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं 01 कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाएगी।

क्र०सं०	जोन का नाम	अधिकारी/कर्मचारी पद नाम	अधिकारी/कर्मचारी की संख्या	योग
1	आगरा (कमिश्नरेट आगरा समाहित)	निरीक्षक/उ0नि0	1	2
		कम्प्यूटर आपरेटर	1	
2	प्रयागराज (कमिश्नरेट प्रयागराज समाहित)	निरीक्षक/उ0नि0	1	2
		कम्प्यूटर आपरेटर	1	
3	बरेली	निरीक्षक/उ0नि0	1	2
		कम्प्यूटर आपरेटर	1	
4	गोरखपुर	निरीक्षक/उ0नि0	1	2
		कम्प्यूटर आपरेटर	1	
5	कानपुर (कमिश्नरेट कानपुर नगर समाहित)	निरीक्षक/उ0नि0	1	2
		कम्प्यूटर आपरेटर	1	
6	लखनऊ (कमिश्नरेट लखनऊ समाहित)	निरीक्षक/उ0नि0	1	2
		कम्प्यूटर आपरेटर	1	
7	मेरठ(कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद समाहित)	निरीक्षक/उ0नि0	1	2
		कम्प्यूटर आपरेटर	1	
8	वाराणसी (कमिश्नरेट वाराणसी समाहित)	निरीक्षक/उ0नि0	1	2
		कम्प्यूटर आपरेटर	1	
सम्पूर्ण योग				16

नोट - जिन जनपदों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हैं, का कार्य कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से पूर्व के क्रम में सम्बन्धित जोनल पुलिस अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी कर्मचारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

- कंट्रोल रूम में कार्यरत समस्त पुलिस कर्मियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर कंपनी के इंजीनियर द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- प्रत्येक जोन हेतु नियुक्त कर्मियों का दायित्व होगा कि वे अपने-अपने जोन के जनपदों (कमिश्नरेट सहित) में स्थित थानों से नियमित समन्वय बनाए रखें।
- कंट्रोल रूम कर्मियों द्वारा थानों से प्रतिदिन प्राप्त क्राइम आईडी की प्रविष्टियों को उसी दिन डीसीआरबी से सम्पर्क कर मुख्य डाटाबेस में अद्यतन एवं सुरक्षित किया जाएगा।
- यक्ष ऐप के संचालन में उत्पन्न किसी भी तकनीकी बाधा का त्वरित समाधान कंट्रोल रूम में कार्यरत तकनीकी टीम द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- कंट्रोल रूम कर्मी प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक कार्यालय में कार्यरत रहेंगे तथा 24×7 फोन पर उपलब्ध रहेंगे।

- कंट्रोल रूम में कार्यरत पुलिस कर्मियों के शासकीय कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण मुख्यालय द्वारा नामित पर्यवेक्षण अधिकारी करेगा।
- यदि किसी क्रिमिनल आईडी में सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो संबंधित थाने को नोटिफिकेशन भेजकर सूचना पूर्ण कराई जाएगी।
- प्रत्येक जोन के कंट्रोल रूम कर्मी अपने जोन के समस्त DCRB प्रभारियों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे।
- यक्ष ऐप से संबंधित दैनिक प्रगति, तकनीकी स्थिति एवं अद्यतन सूचनाओं की नियमित समीक्षा कंट्रोल रूम द्वारा की जाएगी।
- कंट्रोल रूम द्वारा नये जुड़े अपराधी, पुराने सत्यापित अपराधी एवं सत्यापन हेतु शेष अपराधियों की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
- उपरोक्त रिपोर्ट को निर्धारित ई-मेल आईडी पर प्रतिदिन संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा।

8. प्रशिक्षण –

- TOT (Training of Trainers) के अंतर्गत STF मुख्यालय से टेक्निकल स्टॉफ द्वारा जोन स्तर पर कार्यशाला के माध्यम से ट्रेनिग ऐप का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है ।
- जोन स्तर पर प्रशिक्षित टेक्निकल स्टॉफ द्वारा TOT मॉडल के अनुसार जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
- जनपद स्तर का प्रशिक्षण TOT के माध्यम से व टेक्निकल स्टॉफ को गूगल मीट के माध्यम से जोड़कर संचालित किया जाएगा।
- थाना स्तर पर प्रशिक्षण भी TOT के माध्यम से व टेक्निकल स्टॉफ को गूगल मीट के माध्यम से जोड़कर संचालित किया जाएगा।
- सभी स्तरों पर प्रशिक्षण प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सुनिश्चित की जाएगी।
- प्रशिक्षण हेतु वीडियो ट्यूटोरियल एवं पीडीएफ सामग्री ऐप में उपलब्ध कराई जा रही है।
- उपयोगकर्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु FAQ सेक्शन को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है।
- प्रशिक्षण के दौरान ऐप के उपयोग, फीचर्स एवं तकनीकी प्रक्रियाओं का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा।

Note- (Main Yaksh App के Rollout का Roadmap (कार्ययोजना) अलग से प्रेषित की जा रही है ।

9. पूर्व से फीड किये गये डाटा के सत्यापन की कार्यवाही

यक्ष ऐप में जनपद/ईकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओ को अपलोड कर दिया गया है । थाना प्रभारी का यह दायित्व होगा कि यक्ष ऐप लान्च होने के 15 दिवस के अन्दर निम्न सत्यापन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे तथा पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा कार्यवाही पूर्ण होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा-

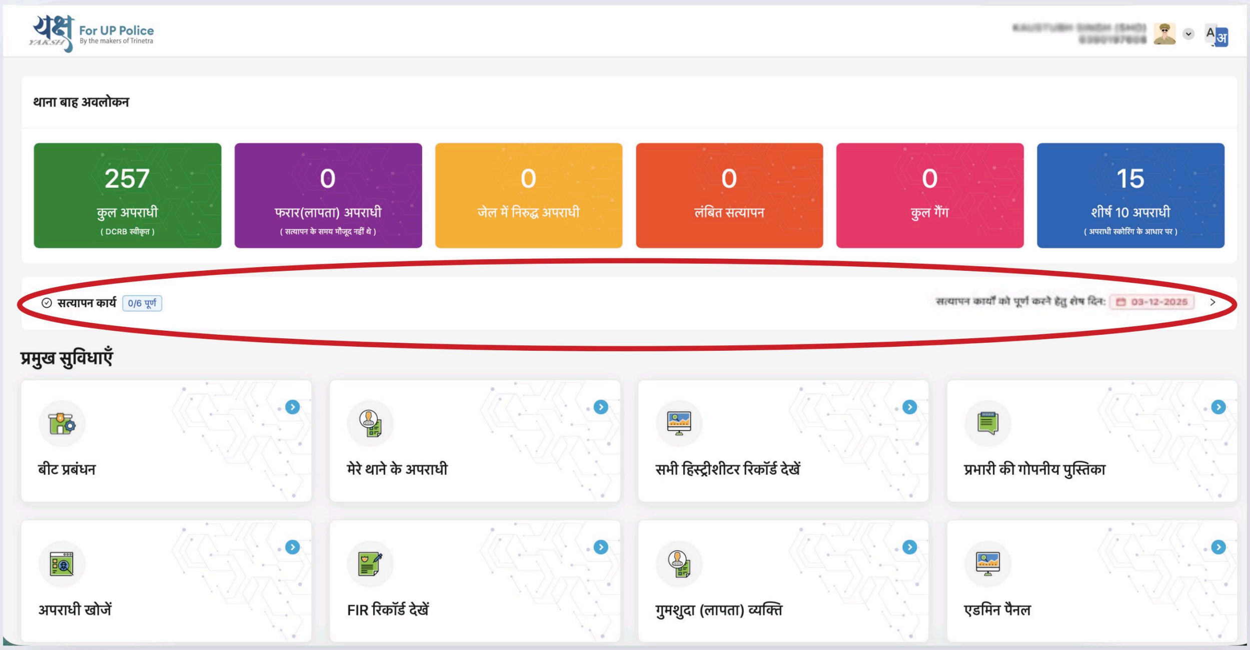
For UP Police
By the makers of Trinetra
थाना बाह अवलोकन
257
कुल अपराधी
(DCRB स्वीकृत)
0
फरार(लापता) अपराधी
(सत्यापन के समय मौजूद नहीं थे)
0
जेल में निरुद्ध अपराधी
0
लंबित सत्यापन
0
कुल गैंग
15
शीर्ष 10 अपराधी
(अपराधी स्कोरिंग के आधार पर)
सत्यापन कार्य 0/6 पूर्ण
सत्यापन कार्यों को पूर्ण करने हेतु शेष दिन: 03-12-2025
प्रमुख सुविधाएँ
बीट प्रबंधन
मेरे थाने के अपराधी
सभी हिस्ट्रीशीटर रिकॉर्ड देखें
प्रभारी की गोपनीय पुस्तिका
अपराधी खोजें
FIR रिकॉर्ड देखें
गुमशुदा (लापता) व्यक्ति
एडमिन पैनल

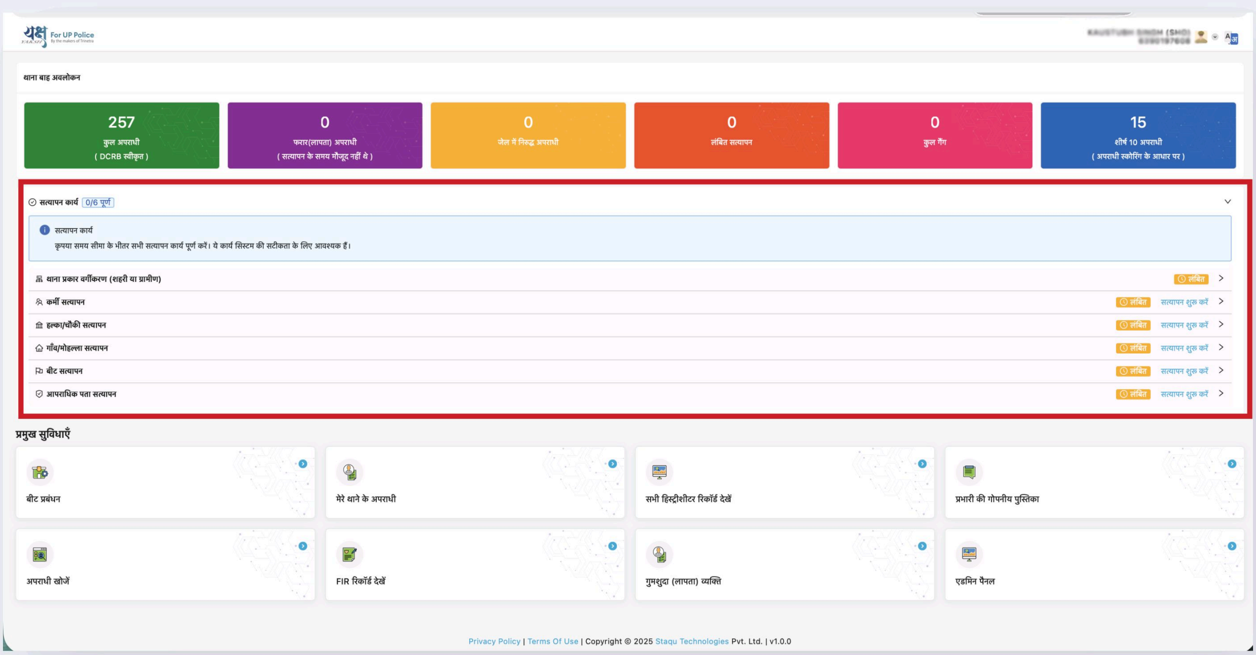
For UP Police
थाना बाह अवलोकन
257
कुल अपराधी
(DCRB स्वीकृत)
0
फरार(लापता) अपराधी
(सत्यापन के समय मौजूद नहीं थे)
0
जेल में निरुद्ध अपराधी
0
लंबित सत्यापन
0
कुल गैंग
15
शीर्ष 10 अपराधी
(अपराधी स्कोरिंग के आधार पर)
सत्यापन कार्य 0/6 पूर्ण
सत्यापन कार्य
कृपया समय सीमा के भीतर सभी सत्यापन कार्य पूर्ण करें। ये कार्य सिस्टम की सटीकता के लिए आवश्यक हैं।
थाना प्रकार वर्गीकरण (शहरी या ग्रामीण) लंबित
कर्मी सत्यापन लंबित सत्यापन शुरू करें
हल्का/चौकी सत्यापन लंबित सत्यापन शुरू करें
गाँव/मोहल्ला सत्यापन लंबित सत्यापन शुरू करें
बीट सत्यापन लंबित सत्यापन शुरू करें
आपराधिक पता सत्यापन लंबित सत्यापन शुरू करें
प्रमुख सुविधाएँ
बीट प्रबंधन
मेरे थाने के अपराधी
सभी हिस्ट्रीशीटर रिकॉर्ड देखें
प्रभारी की गोपनीय पुस्तिका
अपराधी खोजें
FIR रिकॉर्ड देखें
गुमशुदा (लापता) व्यक्ति
एडमिन पैनल
Privacy Policy | Terms Of Use | Copyright © 2025 Staqu Technologies Pvt. Ltd. | v1.0.0

- कर्मी सत्यापन- थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि-

a. थाने के सभी पुलिस कर्मी सिस्टम में पंजीकृत हैं ।

b. थाने के जिन पुलिस कर्मियों का विवरण सिस्टम में नहीं है उन पुलिस कर्मी को जोड़ें और सुनिश्चित करें कि उनके PNO और मोबाइल नंबर सही तरीके से दर्ज किए गए हैं ।

c. किसी भी पुलिस कर्मी का PNO और मोबाइल नंबर छूटना नहीं चाहिए ।

d. जो मोबाइल नंबर जोड़े जा रहे हैं वे सम्बन्धित पुलिस कर्मी के आधार से लिंक्ड होना अनिवार्य है ।

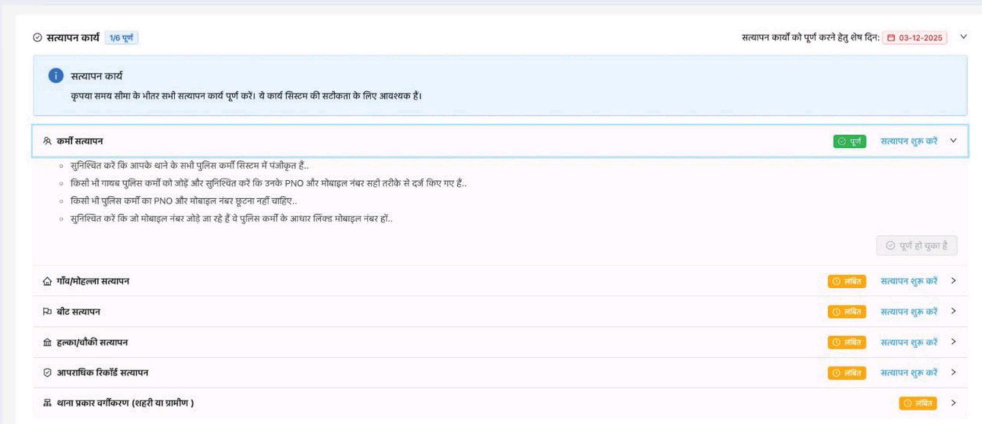

- गाँव/मोहल्ला सत्यापन- थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि-

a. थाना क्षेत्र के सभी गाँव सूची में शामिल हैं ।

b. गांव के नाम में स्पेलिंग त्रुटियों की जाँच करें और सुनिश्चित करें कि कोई डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ न हो ।

c. यदि कोई गाँव सूची में नहीं है, तो उसे जोड़ें ।

d. यदि कोई गाँव जोड़ा गया है और वह आपके थाना क्षेत्र में नहीं आता या वह डुप्लीकेट है, तो उसे हटा दें ।

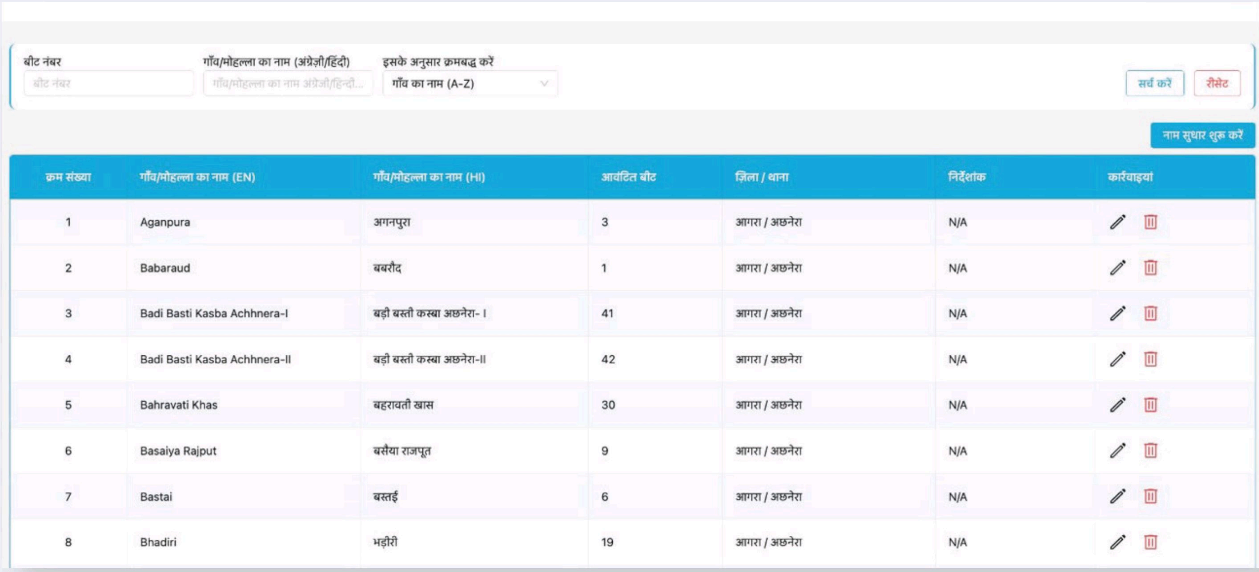

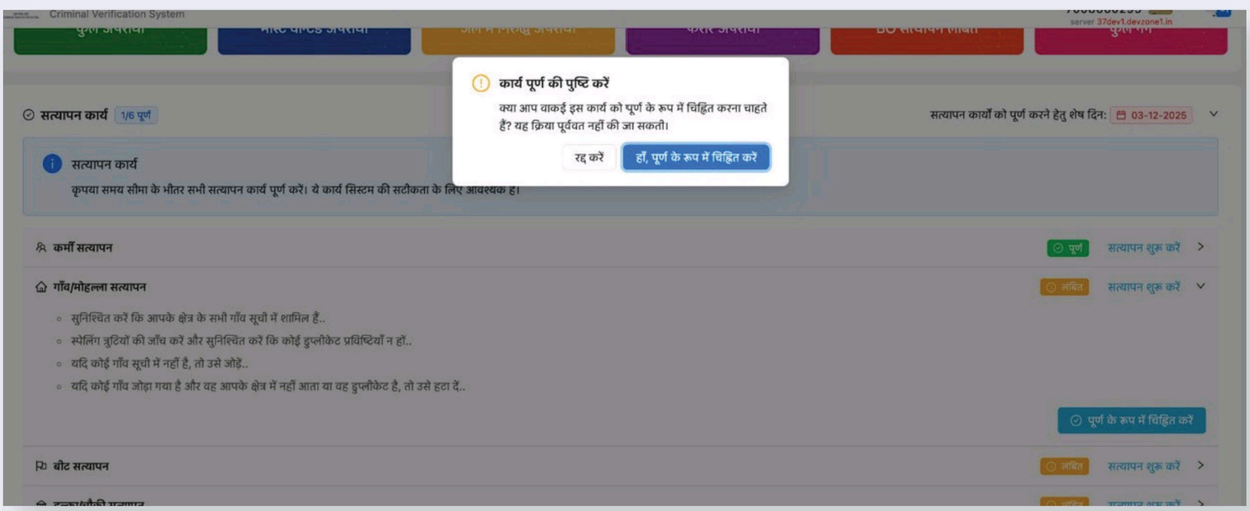

- बीट सत्यापन- थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि-

a. गाँव-से-बीट मैपिंग सही है ।

b. हर गाँव को किसी न किसी बीट से मैप होना चाहिए ।

c. यदि कोई बीट गायब है, तो उसे तुरंत बनाएं ।

d. हर बीट पर कम से कम एक पुलिस कर्मी नियुक्त करें ।

e. हर बीट में कम से कम एक गाँव/मोहल्ला जुड़ा हो ।

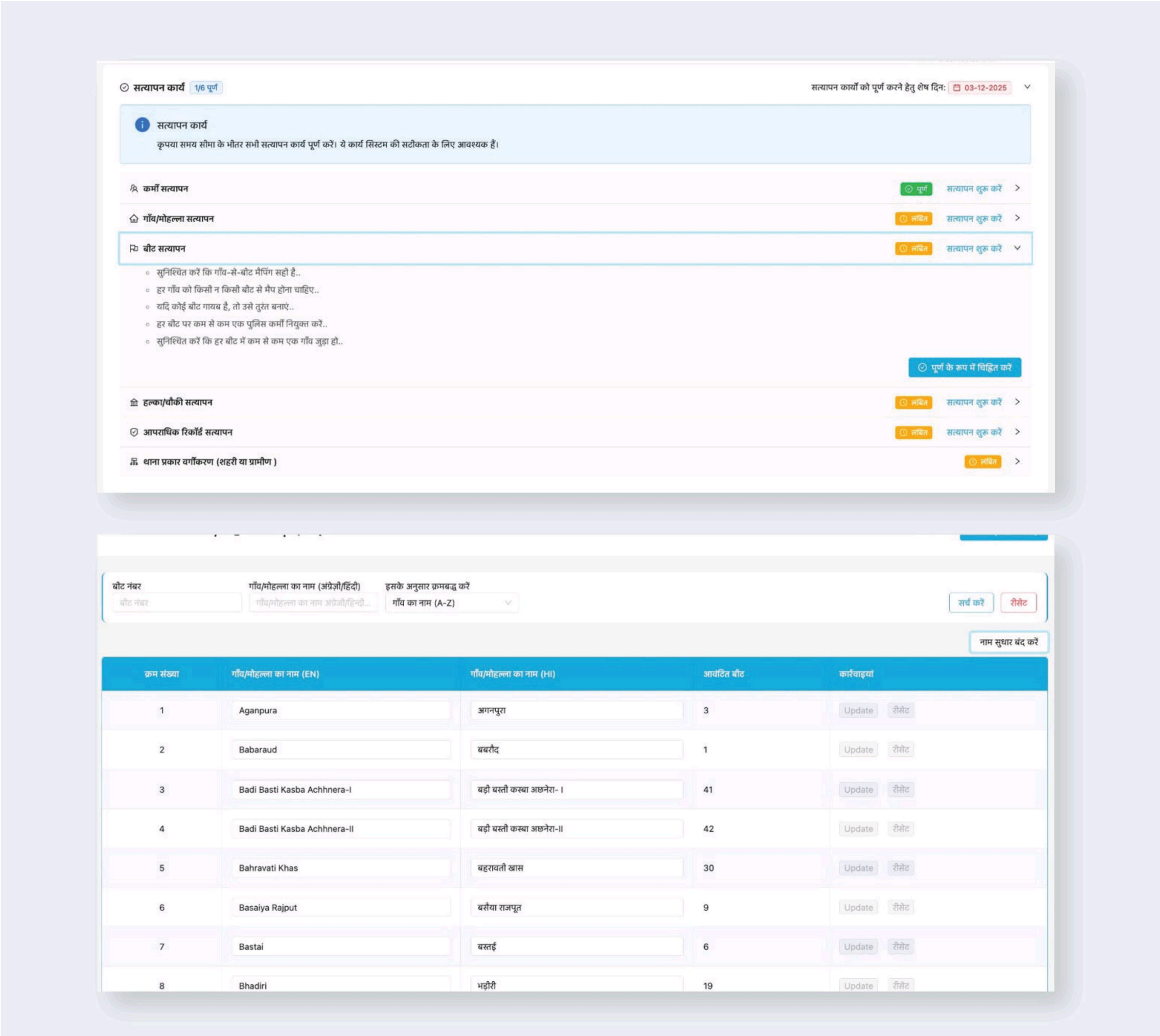

- हल्का चौकी सत्यापन- थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि-
  - o बीट का हल्का/चौकी से जुड़ाव सही है ।
  - o नामों में कोई डुप्लीकेट या स्पेलिंग त्रुटि न हो यह सुनिश्चित करें ।
  - o यदि कोई हल्का या चौकी गायब है, तो नया जोड़े ।
  - o यदि कोई हल्का चौकी जोड़ा गया है और वह आपके क्षेत्र में नहीं आता या वह डुप्लीकेट है, तो उसे हटा दें ।
  - o हर हल्का/चौकी पर कम से कम एक इंचार्ज नियुक्त करें ।
  - o हर हल्का/चौकी में कम से कम एक बीट जुड़ी हो ।

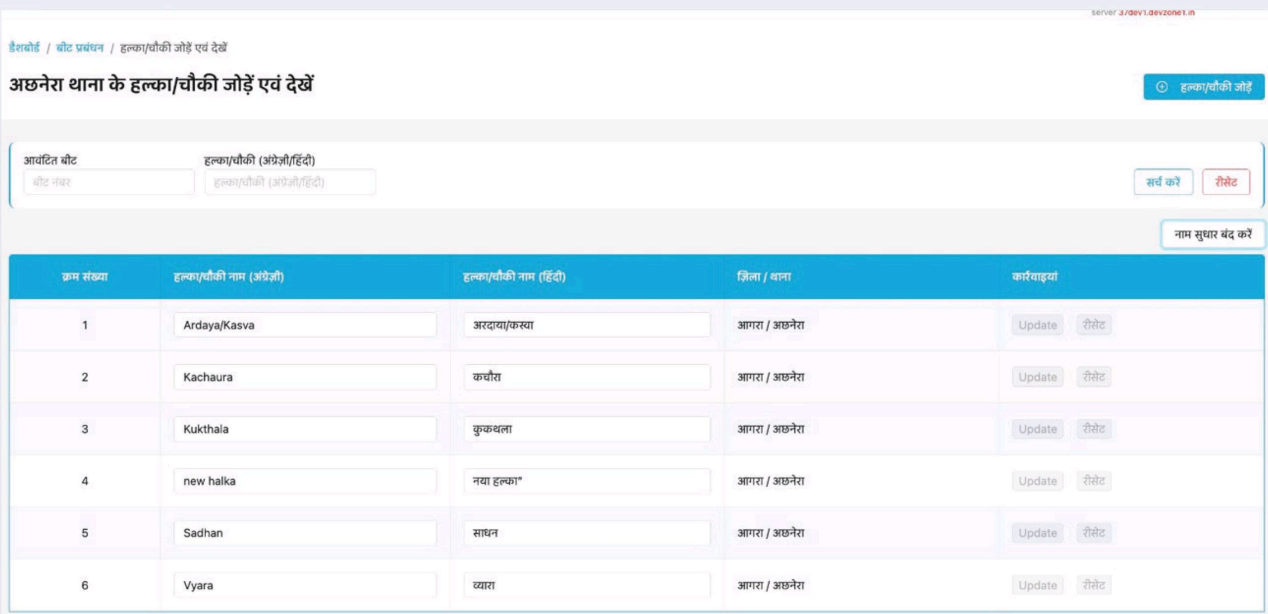

- आपराधिक रिकार्ड सत्यापन- थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि-

कुछ आपराधिक अभिलेखों में गाँव का विवरण नहीं है, सूची की समीक्षा करें और अपराधी के गाँव का नाम अवश्य अपडेट करें ।

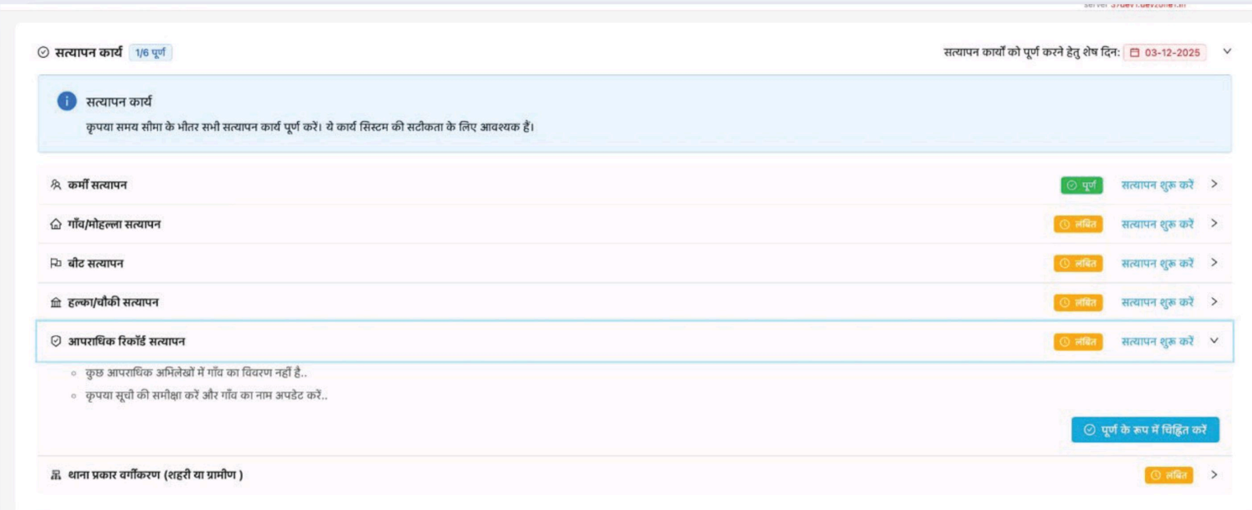

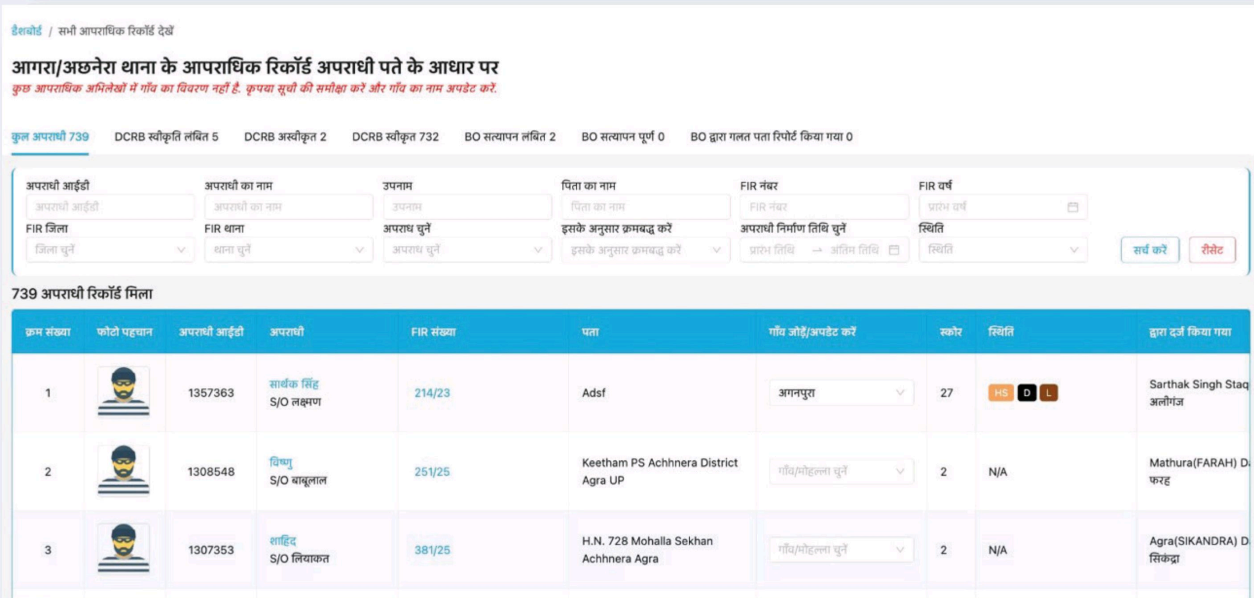

- थाना प्रकार वर्गीकरण (शहरी/देहात)- थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि-

a. अपने थाना को शहरी या ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत करें ।

b. यह वर्गीकरण सटीक अपराध विश्लेषण, संसाधन आवंटन और सांख्यिकीय रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है । (बीट का वर्गीकरण- शहरी/देहात)

यक्ष ऐप अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण तकनीकी पहल है। इसके माध्यम से अपराधियों की जानकारी, समय-समय पर सत्यापन तथा उन पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सभी वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए इस अनुप्रयोग के सफल संचालन में सक्रिय भूमिका निभाएँगे। सामूहिक प्रयासों और तकनीकी सहयोग से प्रदेश में अपराध पर प्रभावी एवं ठोस नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

STAQU

www.staqu.com | jarvis@staqu.com